लोक-सभा वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ७, १९६२/१८८४ (शक)

[२० से ३१ अगस्त, १९६२/२९ श्रावण, से ९ भाद्र, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Preservation 14-5-92
Fumigated On 8.12.83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ७ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक-सभा

मंगलवार, २८ अगस्त, १९६२
६ भाद्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ताप्ती और गोदावरी नदियों को मिलाना

+

†*६४३. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने ताप्ती और गोदावरी नदियों को तटीय जलमार्ग द्वारा मिलाने के एक कार्यक्रम के प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा क्या है और उससे देश के कहां तक लाभान्वित होने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या एसा करने का विचार पहले भी था तथा यदि हां, तो इसको किस कारण से रद्द कर दिया गया था ?

†**श्री राज बहादुर** : १९५५ में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने योजना की रूपरेखा बनाई थी जो अन्तदशीय नौवहन की वृहद योजना थी । उसमें यह प्रस्ताव भी था परन्तु वह केवल एक विचार मात्र था । इसकी जांच होनी थी । यह जांच भी दो प्रकार की ही थी एक तो टैक्नीकल जांच से नौवहन जल की उपलब्धता के संबंध में करनी थी तथा दूसरी जांच यह करनी थी कि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी है अथवा नहीं । जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक विचार को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1788 (Ai) LSD—1

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार का विचार तटीय नौवहन की अन्य नदियों के खोज करने का है ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरी जानकारी के अनुसार योजना की रूपरेखा तटीय नौवहन के लिए वर्धा नदी से गोदावरी और ताप्ती के संबंध में थी।

†**डा० क० ल० राव** : क्या गोदावरी नदी के हिंगनघाट से समुद्र तक नौवहन सव क्षण कर लिया गया है क्योंकि सौ वर्ष पूर्व यह सुझाव सर आर्थर काटन ने दिया था तथा जिसको आंशिक रूप से लागू भी किया गया था।

†**श्री राज बहादुर** : मैं समझता हूं कि इस नदी समेत कुछ नदियों तथा जलवर्णना सर्वेक्षण जिसकी सिफारिश कुछ वर्ष पहले की गई थी केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को सौंपा गया था। वह अपने साधनों से ऐसा करेंगे।

†**श्री विश्वनाथ राय** : योजना की उपयोगिता के आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार योजना पर पुनः विचार करेगी?

†**श्री राज बहादुर** : परन्तु हमें इस पर विचार करना है कि सिंचाई के लिए पानी लेने के बाद क्या नौवहन के लिए पर्याप्त पानी बच जाता है और यद्यपि यह राय जाहिर कर दी गई है कि जब कुछ नदियों पर बांध बन जायेंगे तो कुछ नदियों में कुल मीलों तक नौवहन हो सकेगा इसी आधार पर हमारी कुछ आशायें हैं। इस प्रश्न का मैं निश्चित उत्तर नहीं दे सकता हूं।

कृषि विश्वविद्यालय, मैसूर

†*६४४. { **डा० पू० ना० खां** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका कृषि विश्वविद्यालय, मैसूर को सहायता देने का इरादा रखता है ;

(ख) यदि हां, तो सहायता के तौर पर कुल कितनी राशि दी जायेगी ; और

(ग) क्या यह पूरी राशि एकमुश्त प्राप्त होगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)**: (क) अमेरिका सरकार ने विश्वविद्यालय को कोई सहायता देन का वायदा नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैसूर में जो कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है वह उसी प्रकार का होगा जैसा कि रुद्रपुर में है या किसी अन्य प्रकार का और यदि अन्य प्रकार का है तो उस का विवरण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : सवाल से माननीय सदस्य दूर चले गये। सवाल यह था कि यू०एस०ए० यह ग्रांट देगा या नहीं।

श्री म० ला० द्विवेदी : उसी प्रकार की एग्रीकलचरल युनिवरसिटी बन रही है या दूसरे प्रकार की बन रही है क्यों कि ऐड न हो तो भी विश्वविद्यालय तो बनेगा ही ?

अध्यक्ष महोदय : एड नहीं है तो इस सवाल से तो कोई सम्बन्ध होता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : दूसरा प्रश्न यह है कि यदि अमरीका से यह सहायता नहीं मिलेगी तो क्या भारत सरकार इसे अपने ही विश्वविद्यालय जैसा बनायगी या किस प्रकार का बनायेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : कृषि विश्वविद्यालयों को खोलने की जो योजना है उसके अन्तर्गत ७ विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं आठवां रुद्रपुर पहले ही खुल चुका है । इन सारे विश्वविद्यालयों की एक तरह से योजना चल रही है । जो कमेटियां बनी थीं उन्होंने कुछ सुझाव दिये और उसके अन्तर्गत विधेयक तैयार हो रहेहैं और इसका भी विधेयक तैयार हो रहा है कि भारत सरकार नौन रैकरिंग ग्रांट में ७५ परसेंट और रैकरिंग ग्रांट में २५ प्रतिशत देगी ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस विश्वविद्यालय के लिए अमेरिका से कोई सहायता लेने का प्रस्ताव है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : कोई प्रस्ताव नहीं था परन्तु यदि वह कोई सहायता देते हैं तो उसकी जांच की जा सकती है ।

श्री विभूति मिश्र : जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी बतलाया कि सात कृषि विश्वविद्यालय देश में खोले जा रहे हैं और आठवां रुद्रपुर में पहले ही बन चुका है तो मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न प्रदेशों में किस आधार पर यह विश्वविद्यालय बनाये जा रहे हैं ? प्रदेशों की कृषि प्रधानता देखी जाती है या उसके लिए कोई और क्राइटैरियन है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सामान्य प्रश्न है ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि अभी देश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं और तीसरी योजना में कितने और खोले जायेंगे और कहां कहां खोले जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न भिन्न है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : अमेरिका के अतिरिक्त क्या कोई और गैर सरकारी अभिकरण इस विश्वविद्यालय की सहायता दे रहा है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री तुलशीदास जाधव : इस युनिवरसिटी के लिए भारत ने क्या अमरीका से सहायता मांगी है, यदि हां, तो कितनी मांगी है ?

डा० राम सुभग सिंह : नहीं जी, इस के बारे में नहीं मांगी है ।

बम्बई में नाविकों द्वारा हड़ताल

†*६४५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री प० कुन्हन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून में बम्बई में २,००० नाविकों की हड़ताल के फलस्वरूप तटीय व्यापार के लिये काम में लाये जाने वाले जहाजों का काम ठप्प हो गया था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सम्बन्धित भारतीय नौवहन समवायों ने नाविकों की शिकायतों पर गत १२ वर्ष तक ध्यान नहीं दिया ; और

(ग) नाविकों की मांगों को पूरा करने और स्थायी समझौता करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) २७ जून, १९६२ से तटीय व्यापार के काम में लाय जाने वाले जहाजों पर जहाजी मजदूर संघ द्वारा काम न करने की घोषणा के फलस्वरूप तटीय व्यापार के काम में लाये जाने वाले नौ जहाजों (आठ बम्बई में और एक ओटावा में) पर प्रभाव पड़ा था । ५ जुलाई, १९६२ से उन्होंने जहाजों के काम करना आरम्भ कर दिया था २६७ नाविकों ने काम नहीं किया था ।

(ख) जितना सरकार को मालूम है उसके अनुसार जहाजी मजदूर संघ ने जुलाई १९६० में तटीय व्यापार के काम में लाये जाने वाले जहाजों के मालिकों को कुछ मांगें पेश की थीं ।

(ग) जहाजी मजदूर संघ का अब मजूरी, काम के घंटे, ओवरटाइम आदि के सम्बन्ध में नौवहन समवायों से द्विदलीय समझौता हो गया है और इसके फलस्वरूप ५ जुलाई, १९६२ से उन्होंने काम करना आरम्भ कर दिया है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार जानती है कि तटीय व्यापार में लगे हुए नाविकों की मजरी १९५० से नहीं बदली गई है और क्या सरकार का विचार समिति अथवा बोर्ड अथवा ऐसी ही कोई संस्था स्थापित करने का है जो इस मजूरी को मान्यता प्राप्त आधार पर विनियमन कर दे ?

†**श्री राज बहादुर** : विवरण पढ़ने पर माननीय सदस्य को मालम होगा कि तटीय व्यापार जहाजों के मालिकों तथा जहाजी मजदूर संघ के बीच त्रिदलीय समझौता मजूरी काम के घंटे, ओवर-टाइम, बाजार भत्ता, साबुन का सम्भरण, बर्तन आदि के मामले में हो चुका है । मैं नहीं समझता कि नई समिति बनाने से क्या काम होगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण से मालूम होता है कि इस हड़ताल का ९ जहाजों पर असर पड़ा । परन्तु विवरण में यह भी दिया हुआ है कि २६७ नाविकों ने काम करना बन्द किथा था । यह दोनों आंकड़ किस प्रकार ठीक हो सकते हैं क्योंकि ९ जहाज एक दम खड़े रहे थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ चल रहे होंगे ।

†**श्री राज बहादुर** : यह तो उनकी कुल संख्या है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनमें से कुछ ने हड़ताल नहीं की होगी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : कृपया उन्हें बताने दीजिये ।

†**श्री राज बहादुर** : तटीय व्यापार में कुल ३४ जहाज लगे हुए हैं । ये छोटे ३००० टन ग्रास के है । इनमें से ९ पर हड़ताल का प्रभाव पड़ा था ।

†**श्री वारियर** : पी० टी० आई० ने २७ जुलाई को समाचार दिया है कि लगभग २००० कर्मचारियों ने १० जहाजों पर काम करना बन्द कर दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह क्या जानना चाहते हैं।

†**श्री वारियर** : यदि ऐसा है तो उन्होंने यह सूचना किस लिए दी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्हें पी० टी० आई० को गलत बताना चाहिए।

†**श्री वारियर** : क्या मन्त्री जी ने प्रस रिपोर्ट देखने का कष्ट किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं माननीय सदस्य तथा माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि हम सभी समाचारों की जांच करते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पी० टी० आई० गलत हो सकता है।

†**श्री राज बहादुरः** : यदि हमारी सूचना गलत होगी तो हम सभा में माफी मांग लेंगे और ठीक सूचना दे देंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या केवल इन ६ जहाजों ने ही मजूरी आदि का फैसला किया है और क्या अन्य जहाजों तथा उनके मजदूरों के बीच कोई और समझौता हुआ है।

†**श्री राज बहादुर** : एक समझौता संघ और तटीय व्यापार जहाज मालिकों के बीच हुआ है। इसलिये तटीय व्यापार के जहाजों के मालिकों के सभी जहाजों में वह लागू हुआ है। सम्भवतया माननीय सदस्य जानते होंगे कि हड़ताल, सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी, गिल अधीन कम्पनी और बम्बई स्टीमशिप कम्पनी; नहीं हुई थी। इसलिये इन मामलों के सम्बन्ध में उन्होंने अपना प्रबन्ध स्वयं कर लिया होगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह हड़तालें अत्यावश्यक सेवा की हड़ताल के अधीन नहीं आती है। यदि हां, तो सरकार को हड़ताल करते वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कुन्हन्।

†**श्री प० कुन्हन** : संघ को समवायों द्वारा मान्यता दिलाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस सम्बन्ध में हमें कोई कार्यवाही नहीं करनी है। यह संघ तथा जहाज मालिकों के बीच द्विदलीय समझौता था। संघ कीएक मांग यही थी कि उनको नाविकों का प्रतिनिधि माना जाय। मैं समझता हूं कि उनको मान्यता मिल गई है।

भारतीय रेलों में पहियों और एक्सलों की कमी

†*६४६. { **श्री सुबोध हंसदा** : **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री ब० कु० दास** : **श्री म० ला० द्विवेदी** : **श्री यलमंदा रेड्डी** : }

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में पहियों और एक्सलों की कमी है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो देश में तैयार की गयी चीजों से यह कमी पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक्सलों और पहियों की सप्लाई करने के लिये रेलवे ने हंगरी की एक फर्म को आर्डर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस फर्म से कितने पहिये और एक्सल आयात किये जायेंगे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). भारतीय रेलों के पहियों और एक्सलों की बहुत कमी नहीं है । परन्तु वर्तमान देसी उत्पादन पर्याप्त नहीं है और आवश्यकता की कमी आयात से पूरी की जाती है । जब दुर्गापुर व्हील्स एण्ड एक्सेल प्लांट में पूरा उत्पादन होने लगगा तब आत्मनिर्भरता हो जायगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) हंगरी की फर्म को ४१५६६ टायर और ११५१० एक्सैलों का आर्डर दिया गया है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** विवरण से मालूम होता है कि पहियों तथा एक्सैलों की बहुत कमी नहीं है परन्तु इसके साथ साथ यह भी बताया यगया है कि इन एक्सलों तथा पहियों का उत्पादन अपर्याप्त है । क्या यह समझा जाय कि जितने टायर और एक्सल विदेशों से मंगाये गये हैं इतनी ही उनकी कमी थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हंगरी से आयात किया गया कमी को पूरा करेगा ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हमने आवश्यकता का अनुमान लगाया है । देश में देसी उत्पादन क्षमता है । योजना की आवश्यकताओं के अनुसार क्षमता नहीं है । तुरन्त आवश्यकता को पूरा करने के लिये हमने विदेशों को आर्डर दिये हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या हंगरी से मंगाए गए इन पहियों का एक्सलों के लिये भुगतान विदेशी मुद्रा द्वारा होगा अथवा भारतीय रुपये में होगा ।

†**श्री स०वें० रामस्वामी :** हंगरी में अपरिवर्तनीय रुपयों में भुगतान स्वीकार कर लिया है

†**श्री स० चं सामन्त :** क्या देश में पहियों और एक्सलों का देसी उत्पादन करने के लिये हमें कच्चे माल का आयात करना पड़ता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : कच्चे माल का आयात करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

†**श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या यह सच है कि कपलिंग की बहुत कमी है और इसी कारण दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे पर कई वैगन बेकार पड़े हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इससे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न पहियों तथा एक्सलों के बारे में है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : विवरण में बताया गया है कि हम आवश्यकता का भाग आयात कर रहे हैं । विदेशों से आवश्यकता का कितने प्रतिशत अभी भी आयात किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं प्रतिशतता नहीं बता सकता परन्तु आंकड़े बता सकता हूं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : उत्तर के साथ जो बयान रखा गया है, उसमें यह लिखा है कि दुर्गापुर व्हील्ज एण्ड एक्सल्ज़ प्लांट में जब फुल प्राडक्शन होगी, तो इस सम्बन्ध में हमारी कमी पूरी हो जायगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वक्त उस प्लांट की कैपेसिटी क्या है और जब वह पूरी ताकत पर काम करने लगेगा, तो उस समय उसकी प्राडक्शन कितनी होगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह इस्पात मन्त्रालय में सम्बन्धित है परन्तु मैं इसका उत्तर देता हूं । पहले प्रक्रम में पूर्ण क्षमता ४५,००० पहिओं के सैट वार्षिक है परन्तु बाद में अभी उत्पादन शुरू हुआ है । अभी वह ३०० पहिये और २००० एक्सल बना पाये हैं । जब पूरा उत्पादन होने लगेगा तब दुर्गापुर सन्यन्त्र से हमें अपेक्षित ७५,००० पहियों के सैट मिलने लगेंगे ।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या मैं जान सकता हूं कि हंगरी की इस फर्म के साथ जो सौदा किया गया है, क्या उसके लिये टेंडर इनवाइट किये गये थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : सारे विश्व से टेंडर मंगाये जायेंगे ।

माताटीला बांध

†*६४७. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माताटीला बांध पूरा किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो वह संभवतः कब पूरा हो जायेगा ; और

(ग) क्या बिजलीघर बनाने का काम शुरू हो गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभासचिव (श्री सै० अ० मेहदी)** : (क) जी, हां, बाढ़ द्वारों को लगाने के काम को छोड़ कर ।

(ख) बाढ़ द्वारों को लगाने का काम जून १९६३ तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ग) बिजलीघर की नींवों के लिये खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है । बिजली घर का वास्तविक निर्माण कार्य, टेंडरों का अन्तिम निर्णय हो जाने के पश्चात्, जो मांगे गये हैं, आरंभ किये जाने की अपेक्षा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह तथ्य है कि इस विशिष्ट बांध का मूल प्राक्कलन लगभग ३ करोड़ रुपये था और अब यह बढ़ कर ११ करोड़ रुपये हो गया है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : जी, हां । बांध के मूल आमूलन में कुछ वृद्धि हो गयी है । अब यह काम पूरा हो गया है । और केवल द्वारों का काम पूरा करना शेष है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या टेंडर बहुत पहले मांगे गये थे और अभी वे आ रहे हैं। इसका कब तक फैसला होने और बिजलीघर का काम आरंभ होने की आशा है?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : बिजली घर १९६५ तक कार्य आरम्भ कर देगा ऐसी आशा है और टेंडर मंगवाये गये हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : माताटीला डैम प्राजैक्ट के कम्पलीट होने के बारे में सरकार के द्वारा बतलाया गया था कि उसको दूसरी पंच-वर्षीय योजना के कोर में शामिल कर लिया गया था, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि वह तीसरी योजना के अन्त तक पूरी नहीं होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री सै० अ० मेहदी: तीसरी योजना के अन्त तक काफ़ी काम ख़त्म हो जायेगा। पावर हाउस का काम भी ख़त्म हो जायगा। सिर्फ़ कैनाल वग़ैरह थोड़ी बाकी रह जायगी।

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा : क्या इस पावर हाउस के लिए टरबाइन्ज़ विदेशों से मंगाई जायेंगी या भारत की बनी टरबाइन्ज़ लगाई जायेंगी?

श्री सै० अ० मेहदी : पावर हाउस में जो टरबाइन्ज़ लगेगीं, वे विदेशों से मंगाई जायेंगी।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : यद्यपि करार में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राज्य क्षेत्र में सिचाई नालों और नहरों के निर्माण की व्यवस्था है, तो क्या यह तथ्य है कि केवल उत्तर प्रदेश की ओर की नहरें और सिंचाई नाले पूरे किये गये हैं और करार का वह भाग, जिसमें मध्य प्रदेश की ओर नहरों के निर्माण की अपेक्षित है, पूरा नहीं किया गया है?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : आशा है कि १९६३–६४ तक नहर पूर्ण हो जाएगी।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या करार का उल्लंघन हुआ है?

†**अध्यक्ष महोदय** : पानी छोड़े जाने से पहले सब काम पूरे हो जायेंगे।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या करार का पालन किया गया है या उस का उल्लंघन किया गया है।

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : किसी करार का उल्लंघन करने का सवाल नहीं उठता। उत्तर यह है कि हम नहरों का काम बहुत शीघ्र पूरा करने जा रहे हैं।

श्री राम सेवक यादव : अभी सभा-सचिव महोदय ने बताया है कि एस्टीमेट में सिर्फ कुछ फ़र्क पड़ गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आरिजिनल एस्टीमेट और वर्तमान एस्टीमेट में कितना फ़र्क है।

श्री सै० अ० मेहदी : मैं ने अभी बताया है।

श्री राम सेवक यादव : सभा-सचिव महोदय ने बताया है कि आरिजिनल एस्टीमेट और इस वक्त के एस्टीमेट में कुछ फ़र्क पड़ गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह फर्क कितना है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा-सचिव महोदय कोई डेफ़िनट फ़िगर बता सकते हैं?

श्री सै० अ० मेहदी : इस के लिये मुझे नोटिस चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस डैम से जो बिजली पैदा की जायेगी, उसमें से मध्य प्रदेश को कितनी दी जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : पहले बिजली पैदा तो होने दीजिए ।

यमुना पर पुल

†*६४८. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुना नदी पर तीन पुल बनाने की योजना और कार्यक्रम पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार चल रहा है या किसी न किसी कारण से उस काम में देर हो रही है ; और

(ख) इस योजना के अधीन पहला पुल अर्थात् वजीराबाद पुल कब तैयार हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) दिल्ली में यमुना नदी पर तीन पुल बनाने के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :—

वजीराबाद में यमुना पुल : इस पुल का निर्माण-कार्य जनवरी, १९६२ में शुरू हुआ था और भली प्रकार चल रहा है । मूलतः इस के ठेकेदार के साथ हुए करार के अनुसार दिसम्बर, १९६२ तक पूरा होने की आशा थी । कुछ विलम्ब के कारण अब इस पुल के मार्च, १९६३ तक ौर पहंच मार्ग जन, १९६३ तक परे हो जाने की आशा है ।

हुमायूं के मकबरे क पास यमुना पुल : यह निर्माण-कार्य ५४,६२,२०० लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर फरवरी, १९६१ में मंजूर किया गया था । कार्य के लिये ठेका मई, १९६१ में दिया गया और निर्माण-कार्य जनवरी, १९६२ में आरम्भ हुआ । वास्तविक पुल का निर्माण कार्य इसलिये आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि ठेके वाली फर्म को वास्तविक अधोमृदा व्योरे के अनुसार अपने डिजाइन को संशोधित करने को कहा गया । इस के संग्रह का काम इस फर्म ने केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था को सौंपा । फर्म केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था से छिद्रण कार्य समाप्त होने पर प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद संशोधित डिजाइन पेश करेगी । अनुस्रोत भाग में पार्श्व प्रवण में प्रांगण बनाने और निकुहन समेत नदी के दाहिने किनारे पर नेतृ बांध का निर्माण पूरा- होने को है । बायें नेतृ-बांध का निर्माण-कार्य वर्षा ऋतु के बाद आरम्भ किया जायेगा । इस पुल के हर सूरत में जून, १९६५ तक पूरा हो जाने की आशा है ।

वर्तमान रेलवे पुल के अनुस्रोत में नौका पुल : यह पुल दिल्ली नगर निगम द्वारा ३.८७ लाख रुपये की लागत से बनाया जाना है । यह प्रस्ताव निगम की निर्माण समिति के समक्ष है और शीघ्र ही उसके मंजूर किये जाने की आशा है ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या यह सच है कि मल कार्यक्रम के अनुसार वज़ीराबाद पुल का काम १९६० के प्रारम्भ में शुरू होना था, किन्तु विवरण से हमें पता चलता है कि काम जनवरी, १९६२ में आरम्भ किया गया था । यदि यह सच है, तो क्या उन्हें विलम्ब के कारणों का पता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मैं ठीक समय नहीं बता सकता कि काम कब आरंभ होना था। किंतु पुल का निर्माण, जनवरी, १९६२ में आरम्भ हुआ था, और जून, १९६३ तक इस के पूर्णतः तैयार हो जाने की संभावना है ?

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : पुल की कुल अनुमानित लागत कितनी है ?

†**श्री राज बहादुर** : कुल अनुमानित लागत ३१·४८ लाख रुपये है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण में बताया गया है कि एक तीसरा नावों का पुल वर्तमान रेल और सड़क—पुल के बग़ल में बनाए जाने का प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान पुल का विस्तार कर के उस की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है और क्या किसी और प्रकार से यातायात की सुविधा बढ़ाई जा सकती है ?

श्री राज बहादुर : जो वर्तमान रेल-रोड-पुल है, वह तो पहले ही नाकाफ़ी माना गया है, क्योंकि वहां पर जितना ट्रैफ़िक निकलता है, उस सब को वह नहीं ले सकता है और इसीलिए दूसरे पुल की आवश्यकता हुई है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण से मैं देखता हूं कि काम किसी ठेकेदार को सौंपा गया है। ठेके का स्वरूप क्या है ? क्या वह कोई सहकारी संस्था है या कोई दूसरा अभिकरण ?

†**श्री राज बहादुर** : हम ने काम सब से कम टेण्डर वाले को दिया है। मैं समझता हूं कि यह साधारण ठेकेदार है और सहकारी संस्था नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा पटल पर रखा गया विवरण दो बातों के बारे में अस्पष्ट है। पहला, वजीराबाद के यमुना पुल के बारे में। उस में 'कुछ कारणों से' शब्दों का प्रयोग किया है। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप मंत्रियों को निदेश दें कि वे ऐसे विलम्बों के कारण बताया करें। प्रत्येक परियोजना और उपक्रम में विलम्ब करना नियमित बात बन गई है। इस मामले में विलम्ब के कारण क्या हैं ? दूसरी बात ......

†**अध्यक्ष महोदय** : एक ही विवरण से चाहे कितने ही प्रश्न उठते हों। किन्तु एक समय में एक ही पूछा जाना चाहिये।

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि मा० सदस्य को याद होगा, केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग का दिल्ली में जल संभरण की अवस्था को सुधारने के लिये वजीराबाद पर यमुना के ऊपर एक बांध बनाने का प्रस्ताव था। उस की आवश्यकता प्रारम्भ में जल संभरण को सुधारने के लिये पड़ी। उस समय यह सुझाव दिया गया कि उस के साथ ही हम पुल भी बना सकते हैं।

अतः हमने बांध का लाभ उठा लिया है। बांध का काम आरम्भ हो गया है और हम ने सोचा कि हम पुल एवं बांध बना लें। मिलाने वाली सड़कों के लिये भूमि अधिग्रहण करने तथा डिजाइन बनाने के काम में विलंब हो गया होगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : कहा गया है कि पुल एवं बांध का काम १९६२ में मंजूर किया गया है और इस पर केवल ५४ लाख रुपये की लागत है और यह आशा है कि पुल १९६५ में मुकम्मल हो जाएगा। इस पर इतना अधिक समय क्यों लिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : यमुना जैसी नदी पर सड़क का पुल साधारण काम नहीं है जहां तक डिजाइन बनाने का संबंध है। प्रायः ऐसा होता है कि जब नीवें खोदी जाती हैं और मिट्टी का

---

†मूल अंग्रेजी में

सर्वेक्षण किया जाता है, डिजाइन में परिवर्तन करना पड़ता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। बहुत से मामलों में ऐसा होता है । उन्हें इस बात का निश्चय करना पड़ता है कि पुल चिरस्थायी, पक्का और मजबूत है। इसलिये वे जल्दी नहीं कर सकते। और कुछ समय लगाते हैं। इसमें साधारण समय लिया गया है।

कृषि के औजार

+

†*६४६. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना में कृषि के औजारों की आवश्यकता का पता लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अगले पांच वर्षों की कुल कितनी आवश्यकता होगी ;

(ग) इसमें से कितने प्रतिशत की पूर्ति देश में हो जायेगी; और

(घ) क्या तीसरी योजना अवधि के अन्त तक, समची आवश्यकता की पूर्ति देशी उत्पादन से हो जाएगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) कृषि के सब औजारों की जो खुर्पी से लेकर ट्रैक्टर तक अनेक हैं, आवश्यकताओं का अनुमान लगाना व्यवहारिक नहीं समझा जाता । हाथ से चलाने वाले और बैलों द्वारा चलाने वाले औजारों की आवश्यकता अब भारत में निर्मित औजारों से पूरी की जाती है यद्यपि ऐसे स्थान भी हैं जहां अपेक्षित मात्रा में इस्पात उपलब्ध न होने के कारण स्थानीय अभाव हो जाता है। ज्यों ज्यों देश में इस्पात की स्थिति सुधरेगी, यह कठिनाई दूर हो जाएगी । भारतीय-निर्माण से पम्प करने के लिये तेल इंजन और बिजली की मोटरें भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । ट्रैक्टरों और बिजली द्वारा चालित हलों की कमी है जिसकी तीसरी योजना की समाप्ति पर भी जारी रहने की संभावना है क्योंकि यह क्षमता देश के अन्दर उन लोगों के द्वारा नहीं बनाई गई है जिन को ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों द्वारा खेंचे जाने वाले औजार बनाने का लाइसेंस दिया गया था ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या आयात किये जाने वाले और देशी औजारों के विकास, डिज़ाइन और निर्माण के सम्बन्ध में इस समय कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हमने चार केन्द्र स्थापित किये हैं। पश्चिम बंगाल में पन्नागढ़ में एक केन्द्र है जहां डिजाइन और अन्य चीजों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जा रहा है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र स्तर के ग्रामीण मिस्त्रियों को इस समय औजार बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां। कार्यक्रम ग्रामीण लोहारों को प्रशिक्षण देने का है और हम तीसरी योजना में लगभग ७५ वर्कशाप स्थापित करने वाले हैं। दस वर्कशाप स्थापित

†मूल अंग्रेजी में

की जा चुकी हैं। दूसरी योजना में २३ वर्कशापें स्थापित की गई थीं और इन का उपयोग गांवों में लोहारों द्वारा किया जा रहा है।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि देश में कृषि उपकरणों की विशाल पैमाने पर आवश्यकता है, क्या सरकार अपने ढंग पर कोई कारखाना ऐसा खोल रही है जिस में कृषि उपकरण बनाये जायेंगे और क्या जो निजी उद्योग इनको बना रहे हैं, उन के लिये कोई मानक स्थापित किया गया है ताकि सब उपकरण एक समान हों मजबूती में और चलने में ?

डा० राम सुभग सिंह : एक कमेटी पिछले साल बनाई गई थी और उसने तय किया है कि आल-इंडिया इस्तेमाल के एक जैसे कृषि के उपकरण होने चाहिये और कितने होने चाहिय और वह सारी चीज़ हम लोगों के सामने है। अभी जैसा कि मैंने एक सप्लीमेंटरी के जवाब में कहा है कि चार रिसर्च सेंटर खोले जायेंगे जिन में सारी चीज़ पर रिसर्च होगा। यदि जो प्राइवेट फर्मे हैं और जिन को लाइसेंस मिले हुए हैं वे नहीं बना पाएंगी तो जरूर देखना होगा कि किस पैमाने पर हम काम को बढ़ावें जिससे हर प्रकार के कृषि इम्प्लेमेंट्स उपलब्ध हो सकें। जितने पैकेज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एक एक एग्रीकलचरल इम्प्लेमेंट्स का वर्कशाप स्थापित किया जा रहा है और कुछ में स्थापित किया भी जा जुका है।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या कृषि के उपयोग के लिये बढ़िया किस्म के औजार बनाने के लिये मिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई विशेष कदम उठाये गये हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं इसका पहले ही उत्तर दे चुका हूं, किन्तु सभा और मा० सदस्य की सूचना के लिये मैं उत्तर को दुहरा दूं कि हम लोहारों और अन्य लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये कार्रवाई कर रहे हैं। यदि और किसी को दिलचस्पी है, तो मैं उस के प्रशिक्षण की व्यवस्था करूंगा।

श्री विश्राम प्रसाद : प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि देशी हलों की होली जला दी जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितने वरस लगेंगे और ये जो देशी हल हैं उनको कब तक अन्य सुधरे हुए हलों से रिप्लेस कर दिया जाएगा ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में एक भ्रम है जिसको मैं दूर कर देना चाहता हूं कि कोई कठिनाई है। कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि हर सामुदायिक विकास प्रखण्ड में कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लेमेंट्स नए ढंग के भेज दिये गये हैं और यह कोशिश की जा रही है कि एक साल के अन्तर्गत हर गांव में एक सैट इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लिमेंट्स का भिजवा दिया जाए और थोड़े दिन के बाद दस सैट हम लोग भिजवायें उस जगह इस्तेमाल वाले एग्रीकल्चरल इम्प्लेमेंट्स का अगर आज़मगढ़, जानपुर में जरूरत हो तो माननीय प्रश्नकर्ता अभी बतायें और मैं उनका इंतजाम करा दूंगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्योंकि हमें पहले यह बताया जा चुका है कि सरकार सूरतगढ़ फार्म के नमूने पर कुछ और बड़े पैमाने के राजकीय फार्म स्थापित करने का इरादा करती है, क्या उन फार्मों के लिये कोई आधुनिक औजारों और खेती बाड़ी सम्बन्धी मशीनरी के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये कम से कम प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं और क्या उन के संभरण के लिये व्यवस्था की जा चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में, केवल जनेसर में एक नया फार्म खोलने का निर्णय किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ और स्थानों को भी देखा गया है किन्तु कोई निर्णय नहीं किया गया। किन्तु जैसा मैंने कहा, सरकार सब पैकेज जिलों में कृषि के औजारों की वर्कशापें स्थापित कर रही है और वहां उपयोगी औजार बनाये जायेंगे।

†श्री फ० गो० सेन : क्या यह तथ्य नहीं है कि कृषि के औजारों के संभरण की अच्छी तरह देख भाल नहीं की जा सकी, क्योंकि जैसा बताया गया है, इस्पात की कमी है, जब कि अन्य उद्योगों के मामले में, लोहा बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है ?

†डा० राम सुभग सिंह : इस्पात की उपलब्धि न होने के बारे में भी हम ने इस्पात मंत्रालय से कहा और हमें आश्वासन दिया गया है कि कुछ समय में पर्याप्त संभरण दिया जाएगा।

दूसरा शिपयार्ड

†*६५०. श्री वारियार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दसास :
श्री दशरथ देव :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प० कुन्हन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री नम्बियार :
श्री बसुमतारी :
श्री नाथ पाई :
श्री रवीन्द्र नाथ शर्मा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २० जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरे जहाज बनाने के यार्ड के लिये विदेशों से मिलने वाले ऋण के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या फैसला किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री वारियर : इस विषय पर पिछले प्रश्न के उत्तर में मा० मंत्री ने कहा था कि वार्तालाप को बताने का तथा यह बताने का कि वार्तालाप किस अवस्था में है, समय नहीं आया था। क्या अब सूचना देने का समय आ गया है और यदि हां तो वार्तालाप कहां तक आगे बढ़ा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मैं सभा से और मा० सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे कृपया यह अनुभव करेंगे कि समय से पूर्व हमारे लिये वार्तलाप की कोई विशिष्ट स्थिति या क्रम को बताना अवांछनीय होगा ।

†**श्री वारियर** : इन वार्तालापों को अन्तिम रूप देने में सरकार अनुमानतः कितना समय लगायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : हमें इस बात का निश्चय करना पड़ता है कि प्रविधिक या यदि संभव हो तो वित्तीय सहयोग के लिये हम जिस फर्म को चुनते हैं, उसके पास अपेक्षित अनुभव और अपेक्षित प्रविधिक ज्ञान हो और वह प्रत्येक दृष्टि से विश्वसनीय हो वित्तीय तथा अन्य दृष्टियों से । जब तक हम इस के बारे में निश्चय नहीं कर पाते, इस मामले में किसी फर्म विशेष के साथ कोई करार करना वांछनीय नहीं होगा ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : इसी उत्तर की पुनरुक्ति की दृष्टि से, क्योंकि हम माननीय मंत्री द्वारा पिछले दो वर्षों से इस उत्तर के दोहराये जाने से इतने तंग आ चुके हैं—सरकार दूसरे जहाज निर्माण कारखाने के सम्बन्ध में किन देशों या किन फर्मों के साथ परामर्श कर रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं नाम बताना उचित नहीं समझता, किन्तु मैं यह बता सकता हूं कि हमें एक जर्मन फर्म से एक विशिष्ट पेशकश आई है, हालैंड की फर्म द्वारा पूछताछ की गई है तथा हाल ही में एक दूसरी जर्मन फर्म ने पूछताछ की है । इस के अतिरिक्त जापान में भी कुछ बातचीत चल रही है । हमें इन में से प्रत्येक फर्म से प्राप्त होने वाले लाभों और लाभप्रद शर्तों के बारे में अपना निश्चय करके और तुलना करके कोई निर्णय करना होगा ।

श्री विभूति मिश्र : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस बात को वह नहीं बता सकते हैं कि बाज़ार में वह सामान किस दाम पर बिकता है । जब सारी दुनिया उसके दाम जानती है तो उसको यहां बताने में क्यों कोई एतराज़ होना चाहिये । यह कोई डिफेंस का मामला तो है नहीं जो बताया न जा सकता हो ।

श्री रघुनाथ सिंह : सेकेण्ड शिपयार्ड का सवाल करीब पिछले सात या आठ वर्षों से हमारे सामने है । मैं जानना चाहता हूं कि इस शिपयार्ड के एस्टेब्लिस करने में अभी कितने वर्ष और लगेंगे ?

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य की याददाश्त ताजा कर दूं । शायद पहली बार यह प्रश्न हमारे सामने सन् १९५९ में आया था । यहां यू० के० मिशन आया था, जिसने इस के बारे में जांच की । उस ने जांच करने में कुछ समय लिया । इस की घोषणा शायद सन् १९६१ में हुई । उस के बाद जैसा मैंने कहा, जमीन वगैरह ले ली गई है । अब सवाल इस बात का है कि टेकनिकल और फाइनैन्शल कोलैबोरेशन कहां से लाया जाय । यह उस की उपलब्धता पर निर्भर है और उस के औचित्य पर निर्भर है कि कितना अच्छा है और कहां से मिलता है ।

†**श्री मे० क० कुमारन** : इस परियोजना पर अबतक कितनी राशि खर्च की गई है और भूमि अधिग्रहण तथा अन्य प्रारंभिक कामों में कहां तक प्रगति की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : अब तक जो राशि खर्च की गई है वह भूमि के अधिग्रहण पर खर्च की गई है । ६४ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है । हम सड़क के मोड़ की लागत को भी देने को तैयार हैं जो १३,४०,१७६ रुपये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प० कुन्हन** : क्या सरकार को पश्चिम जर्मनी से कोई पेशकश आई है और यदि हां, तो सरकार ने इस के बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं ने कहा कि हमें एक भारतीय फर्म के द्वारा पश्चिम जर्मन जहाज निर्माण कारखाने से एक पेशकश प्राप्त हुई है और हमने उनको आकर हमारे साथ बातचीत करने को निमंत्रित किया है ।

रेंड परियोजना से बिजली

\+

†*६५१. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री उटिया : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच रेंड परियोजना से तैयार होने वाली बिजली के वितरण के सम्बन्ध में शीघ्र फैसला करवाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री के सभा-सचिव (श्री सैं० अ० मेहदी)** : इस का शीघ्र फैसला करने की वांछनीयता के सम्बन्ध में समय-समय पर दोनों राज्य सरकारों पर जोर डाला गया है । इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या भूतकाल में केन्द्रीय सरकार दोनों सरकारों को एक स्थान पर बैठकर और पिछले करार के बारे में चर्चा करने और उस से उत्पन्न होने वाले नवीन करार के बारे में चर्चा करने के लिये मनाने में सफल रही है ?

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : १९५८ और १९६० में दो मंडलीय परिषदों की बैठकें हुई हैं। पहली ने एक समिति नियुक्त की है और दूसरी ने मुख्य मंत्रियों को मामले को निपटाने के लिये कहा । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के पिछली मई में एक तारीख बताई थी, किन्तु कुछ कारणों से यह स्थगित हो गई थी । आशा की जाती थी कि उनकी शीघ्र बैठक होगी और उनके बीच मामले का समझौता हो जाएगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या हमें यह पता चल सकता है कि करार के निबन्धनों के अनुसार इस से कितनी फालतू बिजली मिल जायेगी ?

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : मुख्य मंत्रियों द्वारा अपने विवाद का निपटारे किये जाने के पश्चात् ही इस का फैसला किया जा सकता है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बार बार मध्य प्रदेश सरकार को और केन्द्रीय सरकार को यह बात सूचित की है कि अभी जो बिजली पैदा हो रही है वह उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं के लिये भी पूरी नहीं है और आगे चल कर जब बिजली अधिक पैदा होगी तब ही बटवारा करना उचित होगा ?

श्री सैं० अ० मेहदी: अभी तो यू० पी० के चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब से मिलकर इस पर बात चीत करेंगे और उसके बाद कोई चीज तय हो सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों सरकारें भारत सरकार के अन्तर्गत हैं? जब दोनों में मामला निपट नहीं रहा है और इतने दिनों से पड़ा हुआ है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि केन्द्रीय सरकार दोनों मुख्य मंत्रियों को बुलाकर अपने सामने इसका निपटारा करवा दे ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मैं माननीय सदस्यों को याद करा दूं कि इस सभा में इस मामले पर अभी हाल ही में चर्चा हुई थी और उस चर्चा की समाप्ति पर जब मैं ने वाद-विवाद का उत्तर दिया तो मैं ने बताया था कि मैं स्वयं हस्तक्षेप कर के दोनों मुख्य मंत्रियों को किसी समझौते पर आने के लिये कहूंगा। किन्तु तब से——इसे बहुत देर नहीं हुई यह अभी हाल की ही बात है——अब तक, मैं ने दो पत्र लिखे हैं, किन्तु किसी न किसी कारणवश दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी । अतः मैं फिर कहूंगा कि जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, यह जो कुछ कर सकती, करेगी और मैं करूंगा ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या यह सही है कि यह रिहन्द डेम की स्कीम उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की तरक्की के लिये ओरिजिनली सोची गई थी, और आज बिजली बनने के बाद भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में इस बिजली का एक अंश भी नहीं गया है ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : इस की बात तो, हुजूर, यह है कि यह आइडिया था जिस वक्त रिहन्द डेम को अख्त्यार किया गया था, लेकिन उस के बाद रिहन्द डैम तैयार होने से पहले ही तीन पावर हाउसेज उस एरिया में, जिस के मुताल्लिक अभी मेरे दोस्त ने जिक्र फरमाया है, बना दिये गये थे, और उस एरिया में पहले ही बिजली मिलनी शुरू हो गई थी । इसके लिहाज से उतनी स्ट्रिक्ट पोजीशन कायम नहीं है, जितनी कि मेरे लायक दोस्त कहते हैं। लेकिन इस के मतलब यह नहीं हैं कि यू० पी० को हम महरूम कर देंगे ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या रिहांद परियोजना से पहले प्रक्रम से पैदा की जाने वाली बिजली चालू कर दी गई है? यदि हां, तो करार किये जाने के पश्चात् मध्य प्रदेश को कितनी बिजली दी जायेगी ? क्या अभी कुछ फालतू बिजली उपलब्ध है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : अन्तरिम उपाय के तौर पर रिहांद परियोजना से जो बिजली तैयार की जायेगी, उसे दामोदर घाटी निगम तथा अन्य क्षेत्रों को जहां तक इस की तत्काल जरूरत है देने का वचन दिया जा चुका है। यह केवल अस्थायी तौर पर होगा । उत्तर प्रदेश की सरकार १० प्रतिशत बिजली मध्य प्रदेश को देने को तैयार है। ज्योंही वार्तालाप पूरा होगा और समझौता हो जायेगा रिहांद से मध्य प्रदेश को बिजली दी जा सकेगी। उन से इसे दूर ले जाने का कोई सवाल नहीं है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : पश्चिम बंगाल में बिजली की अत्यधिक कमी के कारण क्या सरकार ने कुछ देने का कोई फैसला किया है ? पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच बातचीत हुई थी तो क्या रिहांद परियोजना से पश्चिम बंगाल को कुछ और बिजली देने का फ़ैसला किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। श्री सरजू पाण्डेय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सरजू पाण्डेय : अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये रिहांद डैम के पूरा होने से पहले ही बिजली मिलने लगी। तो क्या मैं जान सकता हूं कि रिहांद डैम से कोई बिजली पूर्वी उत्तर प्रदेश को नहीं दी जायेगी ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : यह बिल्कुल गलत है । कौन कहता है कि उसे बिजली नहीं दी जायेगी। जितनी जरूरत होगी वह उस से भी दी जायेगी और दूसरे जरिये से भी पैदा कर के दी जायेगी। उस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की जायेगी। उस क्षेत्र की सब आवश्यकतायें रिहांद से या और कहीं से पूरी की जायेंगी।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : बुन्देलखंड क्षेत्र को कितने किलोवाट बिजली दी गई है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को रिहांद परियोजना से कितने किलोवाट बिजली दी जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री राम सेवक यादव : पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है जिस की एक बार इस सदन में चर्चा भी उठी थी और प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है । तो क्या इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए उत्तर प्रदेश को ज्यादा बिजली देने की कोई व्यवस्था है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब दे दिया गया ह ।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाइयें

*६५२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाइयों के निर्माण को संविहित नियंत्रणाधीन लाने में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : यह विषय अभी विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : इतना सब समझते हैं। "विचाराधीन है" या "पटल पर रख दिया गया है" इसको दोहराने की जरूरत नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस संबंध में वैद्यों और हकीमों से कोई राय अब तक ली है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : जी हां, इस पर काफी विचार विनिमय हुआ है और जो आयुर्वेदिक रिसर्च कौंसिल है उस के सामने भी यह तजवीज है। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी भेजी गई है। सोलह स्टेट गवर्नमेंट्स के जो जवाब आये हैं उनमें से चौदह ने कहा है कि इस की अत्यन्त आवश्यकता है और यह होना चाहिये, एक ने कहा है कि पहले आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया बनाया जाय उसके बाद यह कन्ट्रोल लगाया जाय, और एक ने कहा है कि इस से कोई फायदा नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने सवाल यह किया था कि वैद्यों और हकीमों की राय भी ले ली गई है या नहीं ।

डा० सुशीला नायर : मैं ने अर्ज किया कि उनके सामने भी यह चीज रक्खी गई है और उन्होंने भी कहा है कि कुछ कन्ट्रोल तो होना चाहिये। कुछ दिक्कतें हैं, उन की भी उन्होंने चर्चा की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि वैद्यों और हकीमों से सरकार ने राय ली है, लेकिन जो रस वाली चीजें बनाते हैं, उस को पावर के बारे में सरकार वद्यों और हकीमों पर ज्यादा नियंत्रण रखती है जबकि एलोपैथिक के लोगों पर इस प्रकार का नियन्त्रण नहीं है।

डा० सुशीला नायर: ऐसी कोई बात नहीं है। हकीकत यह है कि बहुत सी दवायें आयुर्वेद में बनाई जा रही हैं। उन के ऊपर इस वक्त किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, इस चीज के बारे में कि वह सचमुच जो मूल पदार्थ होने चाहियें उनका इस्तेमाल करते हैं या नहीं या उन दवाइयों को हाइजीनिक कंडीशन्स में तैयार किया जाता है या नहीं। और आज तो आयुर्वेद में इंजैक्शन भी बन रहे हैं, वे इंजैक्शन्स भी हाईजोनिक तरीके से बनते हैं या नहीं, इस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है और श्रीमन्, आज आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयां बन रही हैं जिनमें लोग एलोपैथी की भी कुछ दवाइयां डाल लेते हैं जिनकी लिस्ट लम्बी है, और इस बिना पर कि ये आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वे सारे प्रतिबन्धों से मुक्त हो जाती हैं। इस परिस्थिति को दुरुस्त करना चाहिये ऐसी सबकी राय है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुर्वेदिक दवाइयां जो फार्माकोफिया पर कोई नियंत्रण नहीं है क्या उस महत्वपूर्ण चीज को सरकारी क्षेत्र में लाना आवश्यक नहीं है जिस प्रकार दवाइयों का निर्माण केन्द्रीय नियंत्रणाधीन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है।

श्री म० ला० द्विवेदी : सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने भी आयुर्वेदिक दवाओं पर काफी अनुसंधान किया है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि उनसे भी इस सिलसिले में राय ली गयी है कि कन्ट्रोल किया जाना चाहिये या नहीं? यदि हां, तो उन्होंने क्या राय दी है?

अध्यक्ष महोदय : एक-एक इंस्टीट्यूशन के बारे में कैसे बताया जा सकता है?

श्री म० ला० द्विवेदी : लखनऊ का सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ही एक ऐसी संस्था है जो आयुर्वेदिक दवाओं पर अनुसंधान कर रही है।

डा० सुशीला नायर : कई स्थानों पर अयुर्वेदिक दवाओं पर अनुसंधान हो रहा है और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उनमें से एक है। और यह तो सभी मानते हैं कि आज जिस परिस्थिति में आयुर्वेदिक दवाएं हैं उन पर जनता के हित मे नियंत्रण होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : डा० गोविन्द दास (हंसी)।

डा० गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्राणी जी ने कहा कि १६ राज्यों से पत्रव्यवहार हुआ है और उनमें से १४ इसके पक्ष में हैं। मैं जानना चाहता हूं....

अध्यक्ष महोदय : मैंने "डा० गोविन्द दास" कहा, इस पर माननीय सदस्य मेरे पर हंसने लगे। यह मैंने उनकी इच्छा के अनुसार ही कहा है क्योंकि वह चाहते हैं कि उनको "सेठ" न कहा जाए।

डा० गोविन्द दास : इस विषय में स्वराज्य प्राप्त होने की कई दशाब्दियों पहले से चर्चा हो रही है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इतने वर्ष बातें हो चुकी। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार कब तक निर्णय कर लेगी क्योंकि इससे हमारी जनता की बहुत हानि हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर : आशा है कि जल्दी ही इसके ऊपर कुछ कार्यवाही हो जाएगी।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में कुछ अच्छी फर्में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं बनाती हैं, और अन्य फर्मों द्वारा हानिकारक औषध बनाये जाते हैं, और इन्हीं औषधों का अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों में प्रयोग किया जाता है। सरकार ने लोगों को शुद्ध औषधियों के स्थान पर हानिकारक औषधियां दिये जाने से बचाने के लिये क्या पूर्वोपाय किये हैं?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, आयुर्वेद की बहुत सी दवाएं इस समय जनरल अस्पतालों में इस्तेमाल हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। वे आयुर्वेदिक डिसपेंसरीज में जरूर इस्तेमाल होती हैं। ये सब कठिनाइयां जब सामने आयीं कि इसमें झूठी और खराब दवाएं होती हैं, तो उनको देख कर ही यह तै किया गया कि उनपर नियंत्रण होना चाहिये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, अभी कहा गया है कि आयुर्वेदिक इंजैक्शन भी तैयार हो रहे हैं और ऐलोपैथी औषधियों को भी आयुर्वेदिक औषधियों में मिला दिया जाता है, इसलिए इन पर नियंत्रण होना चाहिये। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि "चाहिए" शब्द से उनका अभि प्राय क्या यह है कि कोई दूसरा विभाग नियंत्रण लगायेगा, या उनका अपना विभाग नियंत्रण लगायेगा ?

डा० सुशीला नायर : जैसा मैंने निवेदन किया, दो राज्य सरकारों का तो इस बारे में आबजेक्शन आया है। इसलिये यह मामला लॉ मिनिस्ट्री के पास परीक्षण के लिये भेजा गया है। दो तजवीजें रखी गयी थीं, एक तजवीज यह थी कि इसके लिये अलग से कानून बनाया जाय जिससे आयुर्वेदिक दवाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके, और दूसरी तजवीज यह थी कि जो इस वक्त ड्रग कंट्रोल ऐक्ट मौजूद है और जिसमें ड्रग की डैफीनीशन में से आयुर्वेदिक ड्रगस को निकाल दिया गया है, उस डैफीनिशन में ही सुधार कर दिया जाए तो यह जो दूसरा सुझाव हैं कि डेफिनीशन में सुधार कर दिया जाए यह ज्यादा मौजूं है ऐसा माना जा रहा है। इस वक्त, और इसमें क्या प्रिकाशन होने चाहियें ताकि जो वैद्य लोग अपनी दवा स्वयं बनाते हैं उनके रास्ते में कोई बाधा न आए, इस पर विचार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब नहीं दिया गया। सवाल यह था कि यह नियंत्रण आपका मुहकमा लगाएगा या कोई दूसरा मुहकमा लगाएगा ?

डा० सुशीला नायर : जाहिर है कि यही मंत्रालय लगाएगा, दूसरा कौन लगा सकता है।

फल तथा ढोर फार्म

+

†*६५३. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० के० देव : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उत्तुंग फल तथा ढोर फार्म स्थापित किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कहां पर ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा इस समय कोई उच्च उत्तुंग फल फार्म स्थापित नहीं किया जा रहा है,

†मूल अंग्रेजी में

किन्तु कुछ योजनायें विचाराधीन हैं। जहां तक ढोर फार्मों का संबंध है, इसे हिमालय प्रदेश के मंडी जिले में कटौला में एक जरसी प्रजनन फार्म स्थापित किया है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि लद्दाख क्षेत्र को जो कि हाई आल्टीट्यूड पर है और जहां २० हजार वर्गमील एरिया आबाद नहीं है। उसको आबाद और विकसित करने के लिए क्या योजना है ?

डा० राम सुभग सिंह : लद्दाख की राजधानी लेह से पांच मील की दूरी पर एक एक्सपेरीमेंटल फार्म है और वह बहुत अच्छे ढंग से विकसित किया जा रहा है। उस में फलों के पौधे, साग सब्जियों के पौधे और दूसरे प्रकार के मकई वगैरह के पौधे भी उगाए जा रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस संबंध में विचार किया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन स्थानों के सुझाव इस सम्बन्ध में शासन के सामने आए हैं और कब तक उन पर निर्णय हो जाएगा ?

डा० राम सुभग सिंह : एपिल और चैरी पैदा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के महासू जिले के खदरौला स्थान में एक फार्म बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिले में होल्स्टीन कैटिल फार्म खोलने पर विचार किया जा रहा है। याक ब्रीडिंग के लिए लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, कन्नौर में, और भी स्थानों में जो दस पन्द्रह हजार फीट की ऊंचाई पर हैं फार्म खोलने पर विचार किया जा रहा है जहां याक को विकसित किया जाए। याक को विकसित करने के लिये कन्नौर में भी एक केन्द्र खोला जाएगा।

†**श्री हेम राज** : राज्य सरकार द्वारा कुछ ढोर फार्म और फल केन्द्र खोले गये हैं। क्या सरकार उन ढोर फार्मों और फल फार्मों को अर्थ सहायता देने का विचार करती है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : संभवतः मा० सदस्य पालमपुर के समीप खोले गये केन्द्रों का उल्लेख कर रहे हैं।

†**श्री हेम राज** : मैं लाहौल और स्पिति वाले केन्द्रों की बात पूछता हूं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : वे हमारी उच्च उत्तुंग योजनाओं के अन्तर्गत आ सकते हैं। याक और अन्य ढोरों के लिये हम वहां कुछ करने का प्रयत्न करेंगे।

!**श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या सरकार लद्दाख में एक उच्च उतुंग कृषि फार्म खोल कर ही संतुष्ट हैं ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि करगिल क्षेत्र में वही जलवायु है, क्या सरकार वहां एक फार्म खोलने का विचार करेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : करगिल क्षेत्र लेह क्षेत्र की अपेक्षा कुछ अधिक विकसित है, किन्तु हम करगिल को अवश्य उसका भाग देंगे। करगिल के अतिरिक्त हम नूबरा घाटी का भी विकास करना चाहते हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में कहां-कहां पर इस प्रकार की योजना चालू करने का विचार किया जा रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह : अल्मोड़ा में डा० बोशी सेन का एक फार्म है, और मवेशियों का एक फार्म उत्तर प्रदेश के कालसी नामक स्थान में खोलने का विचार था जहां हम जरसी कैटिल

---

†मूल अंग्रेजी में

को विकसित करना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम खुद इस काम को चलावेंगे । उन्होंने यह इच्छा प्रकट की है कि यहां केवल रुपये की इमदाद उनको दी जाए। इस पर विचार किया जा रहा है ।

पूर्णा जल विद्युत् परियोजना

+

†*६५४. { **श्री पें० वेंक्टासुब्बया :**
श्री मोहसिन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से सम्बद्ध निकाय, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने महाराष्ट्र में पूर्णा जल-विद्युत् परियोजना के निर्माण के लिए ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ऋण की सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में कुछ अन्य जलविद्युत् परियोजनाओं के लिये भी ऐसी ही सहायता मांगी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव (श्री सै० अ० मेहदी)** : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने पूर्णा परियोजना के लिये १३० लाख डालर का ऋण देना स्वीकार कर लिया है । यह करार १८ जुलाई, १९६२ को किया गया था ।

(ग) ऐसी ही सहायता की मांग की गई थी और कोयना जल-विद्युत् परियोजना के दूसरे उपक्रम के लिये दी गई है। यह करार ८ अगस्त, १९६२ को १७५ लाख डालर के ऋण के लिये किया गया था ।

†**श्री पें० वेंक्टासुब्बया** : क्या सरकार शरावती और श्री सैलम आदि कुछ महत्वपूर्ण जल-विद्युत् परियोजनाओं के लिये ऐसी ही सहायता मांगने का इरादा करती है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : शरावती परियोजना पहले ही चल रही है और हमने इसके लिये आवश्यक विदेशी सहायता प्राप्त कर ली है । मा० सदस्य उस व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं जो हम श्रीसैलम परियोजना के लिये करने वाले हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सुझाव दे रहे हैं कि अन्य परियोजनाओं के लिये कुछ और सहायता प्राप्त की जाए ।

†**श्री पें० वेंक्टासुब्बया** : मैं श्रीसैलम परियोजना के संबंध में पूछ रहा हूं कि क्या इसके लिये कुछ सहायता मांगी जा रही थी ?

†**श्री अलगेशन** : जब इस योजना को अन्तिम रूप और अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा, तब इस सवाल को उठाया जाएगा।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया जा रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि सूद की दर क्या है ? उन्होंने विश्व बैंक से ऋण लिया है । मैं व्याज की दर जानना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अलगेशन : इन ऋणों पर कोई ब्याज नहीं होता, किन्तु उन पर ३/४ से १ प्रतिशत वार्षिक तक सेवा प्रसार होता है। और वह बैंक के काम के लिये दिया जाता है ताकि इस तरह प्रशासनिक व्यय पूरा कर सके। मूलधन पचास वर्षों में लौटाया जाना चाहिये ।

श्री तुलसीदास जाधव : पूर्णा प्रोजेक्ट का काम कहां तक पहुंचा है और वह कब तक पूरा होगा ?

†श्री अलगेशन : यह मार्च १९६६ तक अर्थात् तीसरी योजना की समाप्ति तक पूरा हो जाएगा ।

भारत में रूस की सहायता-प्राप्त तापीय विद्युत् संयंत्र

†*६५५. श्री बसुमतारी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय योजना में रूस की सहायता-प्राप्त चार बड़े तापीय विद्युत्-केन्द्रों के समय पर पूरा हो जाने का सुनिश्चियन कर लिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संयंत्रों के संचालन में प्रशिक्षण के लिये भारतीय प्रविधिज्ञों को मास्को भेजने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) इस आशय का सुझाव रूसी प्राधिकारियों द्वारा दिया गया है ।

(ग) प्रत्येक परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार संख्या का फैसला यथा समय किया जाएगा ।

†श्री बसुमतारी : क्या यह तथ्य है कि उन प्रविधिक व्यक्तियों को, जिन्हें विदेश भेजा गया था, विशेषकर रूस को पूर्ण प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और उनको बंद रखा जाता है ?

†श्री अलगेशन : यह ठीक नहीं है । वास्तव में उन्होंने स्वयं यह सुझाव दिया था कि हमें संचालन तथा संभरण के प्रशिक्षण के लिये अपने लोगों को भेजना चाहिये ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह तथ्य है कि रूस से इन जैनेरेटिंग सैटों के संभरण की अनुसूची में कुछ परिवर्तन किये गये थे और यदि हां, तो उन परिवर्तनों का ब्योरा क्या है और ये परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

†श्री अलगेशन : पहले यह सुझाव आया था या एक प्रश्न उठा था कि रूसी प्राधिकारी तीसरी योजना के अन्त तक समय पर इनके चलाये जाने के लिये एक एकांशों का संभरण नहीं कर सकेंगे? हमने उन के साथ बातचीत की थी । । हमारे लोग मास्को गये, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का सभापति वहां गया और उस ने बातचीत थी तथा विदेश आर्थिक संबंधों का प्रभारी रूसी के मंत्रिमंडल की राज्य समिति का अवर–उपसभापति यहां आया और हमने उस के साथ बात चीत की और अब यह मान लिया गया है कि चार थर्मल स्टेशनों के लिये एकांश समय पर दे दिये जायेंगे ताकि हम उन सब को तीसरी योजना के अन्त तक चालू कर सकेंगे ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या इन थर्मल संयंत्रों के लिये भुगतान की शर्तें और निबंधन वैसे ही होंगे जो भिलाई इस्पात संयंत्रों के लिये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी

†**श्री अलगेशन** : मुझे मालूम नहीं है कि भिलाई इस्पात संयंत्र को किन शर्तों पर संभरण किया गया था, किन्तु हमें रूसी ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत तथा उनके व्यापार करार के अन्तर्गत ये संयंत्र प्राप्त हो रहे हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड के पूर्वी और दक्षिण जिलों को आज जो बिजली की कमी अनुभव हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या इन चार बिजली संयंत्रों में से एक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा ?

†**श्री अलगेशन** : एक बिजलीघर सिंगरौली थर्मल बिजलीघर है ; इसमें ५०–५० मैगावाट के पांच एकांश होंगे । मुझे यह पता नहीं कि सिंगरौली कहां है।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : इन चार बड़े संयंत्रों के अतिरिक्त, क्या तीसरी योजना में भारत में स्थापित होने वाले प्रस्तावित अन्य रूसी सहायता वाले और कोई थर्मल बिजलीघर हैं ; और यदि हां, तो क्या उनकी क्रियान्विति का निश्चय कर लिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत बड़ा प्रश्न है।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : क्या और कोई रूसी सहायता वाले थर्मल संयंत्र हैं ?

†**श्री अलगेशन** : जी नहीं । केवल यही है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : प्रत्येक थर्मल बिजली संयंत्र की क्षमता क्या होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस का उत्तर दे चुके हैं ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या प्रशिक्षण के लिये मास्को भेजे जाने वाले भारतीय शिल्पिकों को निवेली में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां ऐसा ही रूसी संयंत्र है ? क्या उस को रूस भेजने से पहले रूसी भाषा पढ़ाई जाएगी ?

†**श्री अलगेशन** : हम ये प्रबन्ध करेंगे।

†**श्री मुहम्मद इलियास** उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मा० मंत्री को प्रत्येक थर्मल संयंत्र की क्षमता का पता है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां, कोरवा के लिये ५० मैगावाट के ४ एकांश, निवेली ५० मैगावाट का एक एकांश, और १०० मैगावाट का एक एकांश, सिंगरौली (ओबरा) ५० मैगावाट के ५ एकांश और पथराटू ५० मैगावाट के ४ एकांश तथा १०० मैगावाट का एक एकांश ।

पंजाब तथा काश्मीर में भूचाल

†*६५६. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९६२ में पंजाब के कई नगरों तथा काश्मीर की घाटी में भूचाल आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो धन जन की हानि का ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सूचना सम्बद्ध राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या इन भूचालों से कोई पशुधन (कैटल वैल्थ) वगैरह का भी नुकसान हुआ था ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अभी तक इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है ।

†**श्री भगवती** : समाचारपत्रों के समाचारों के अनुसार भूकम्पों से जन जीवन और माल की कोई हानि नहीं हुई है। किन्तु जम्मू तथा कश्मीर राज्यों की सरकारों की रिपोर्टें अभी नहीं आई हैं ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या ये नगर भूकम्प पट्टी पर स्थित हैं ?

†**श्री भगवती** : जी हां ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं इतना ही जानना चाहता था कि प्राकृतिक भूचाल से ही आप का अभिप्राय है या राजनीतिक भूचालों से भी अभिप्राय है ?

अध्यक्ष महोदय : कहीं उस तरह के भूचाल आप न खड़े कर दें ।

डाकखानों में फार्मों की कमी

+

†*६५७. **श्री हेम राज** :
श्री प० कुन्हन :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषतः उपनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकखानों में फार्मों की बहुत कमी है ;

(ख) क्या यह सच है कि डाकखानों में प्रतिदिन काम में आने वाले फार्मों की मांग को पूरा करने में केन्द्रीय मुद्रणालय असमर्थ है ;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) अधिकांश डाकघरों में फार्मों की कुछ कमी है किन्तु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किये गये विशेष उपायों के कारण यह सामान्यतया बहुत अधिक नहीं होगी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) छपाई के कागज, विशेषकर सरकारी मुद्रणालय की रोटरी मशीनों के लिये अपेक्षित रील्ड कागज का अपर्याप्त संभरण ।

(घ) डाक व तार मंडलों के अध्यक्षों को शक्ति दी गई है कि वह आवश्यकता होने पर स्थानीय तौर पर कागज खरीद कर कमी को पूरा करने के लिये स्थानीय तौर पर फार्म छपवा सकते हैं । निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय न भारतीय मिलों से रील्ड कागज का अधिक संभरण प्राप्त करने तथा विदेशों से भी कागज का आयात करने के लिये कार्रवाई की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम राज** : क्या पिछले दो या तीन वर्षों में फार्मों की कमी अनुभव की जा रही है और वे प्राप्त नहीं हो रहे हैं ? पिछले दो वर्षों में कमी को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्री भगवती** : सरकार ने सब संभव कार्रवाई की है। अब वह जापान से लगभग २००० टन आयात कर रहे हैं। यहां के कागज के मिलों से जितना अधिक ले सकते हैं, लेने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री मान सिंह पृ० पटेल** : क्या यह सही है कि समीपवर्ती राज्यों की भाषा में छापे गये फार्म कुछ स्थानों पर दिये जाते हैं ?

†**श्री भगवती** : हो सकता है गलती से ऐसा हुआ हो।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

नई दिल्ली के इर्विन अस्पताल में पानी की सप्लाई का बन्द किया जाना

+

७. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती सुभद्रा जोशी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ और १४ अगस्त की मध्य रात्रि को नई दिल्ली के इर्विन अस्पताल को पानी की सप्लाई अचानक बन्द कर दी गई थी जिससे डाक्टरों व रोगियों को बड़ी परेशानी हुई और कई आवश्यक औपरेशन भी स्थगित करने पड़े ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) इस प्रकार की असुविधा भविष्य में न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वस्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ५८]**

(ग) (१) ५०,००० गैलन धारिता का एक अतिरिक्त भूमिगत स्टोरेज़ टैंक बनाने और (२) टूट फूट की स्थिति में भी पानी मिलते रहने के लिये कारपोरेशन मेन से पानी का एक अलग कनेक्शन लेने का निर्णय किया गया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो गड़बड़ हुई है, इसकी जिम्मेदारी किस पर है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ने नगर निगम की मीटिंग में फ़रमाया है कि इस बारे में म्यूनिसिपल कार्पोरेशन की ज़िम्मेदारी नहीं है। अतः यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिये ज़िम्मेदार है या दिल्ली नगर निगम।

डा० सुशीला नायर : हकीक़त यह है कि सी० पी० डब्लू० डी० और कालेज के प्रिंसिपल तथा अस्पताल के मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट के द्वारा जो एन्क्वायरी की गई है, उसके अनुसार तो यही

---

†मूल अंग्रेजी में

नज़र आता है कि कार्पोरेशन के मेन्ज़ में पानी नहीं आ रहा था। कार्पोरेशन वालों ने यह कहा है कि जो टैंक था, उस का पम्प रिपेयर करने के बाद शायद कर्मचारी नल खोलना भूल गए होंगे। लेकिन इस बात को दो तीन अलग-अलग ज़रियों से चेक किया गया है और मालूम हुआ है कि वे भूले नहीं थे। उस में पानी आना ही बन्द हो गया था, अर्थात् कार्पोरेशन के मेन्ज़ में पानी नहीं आ रहा था, इसलिये वह टैंक नहीं भर सका और पानी की कमी हो गई।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। नगर निगम के कमिश्नर महोदय ने साफ कहा है कि इस में हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, विभाग के कर्मचारियों का ह्। दोष है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पहलू पर विचार किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर तो दे दिया गया है। शायद माननीय सदस्य ने सुना नहीं है। उन्होंने कहा है कि टैंक में ही पानी नहीं था और इसलिये उनका कुसूर हुआ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण में यह स्पष्ट बताया गया है कि पानी जो रोका गया, वह बिना सूचना के रोका गया, क्योंकि यदि सूचना दी गई होती, तो पहले से कुछ व्यवस्था की जाती। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये किसी कर्मचारी को दोषी ठहराया गया है और क्या उस के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, जैसाकि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है, कार्पोरेशन वालों ने यह रुख़ अख्तियार किया कि हमारा कुसूर नहीं हैं, आप लोगों ने अपना टैंक भरा नहीं है। इस के ऊपर जो अलग अलग एन्क्वायरीज़ की गई हैं, उन का यह नतीजा निकलता है कि अस्पताल में किसी का दोष नहीं था। वे सब नल वगैरह खुले थे, लेकिन नल में जो मेन्ज़ा आ रहे थे, शाम के आठ बजे से उन में पानी आना बन्द हो गया और इस लिये टैंक में पानी इकट्ठा नहीं हो सकता था। **(अन्तर्बाधाएं)** श्रीमन्, यह चीज़ एक मर्तबा नहीं हुई है, दो तीन साल से बार-बार यह चीज़ हो रही है। **(अन्तर्बाधाएं)** समय-समय पर अस्पताल का पानी बन्द हो जाता है। इसलिये इस का कोई स्थायी इलाज होना चाहिये। इस में दोष किस का है और किस को दोषी ठहराया जाये, यह बात तो कार्पोरेशन के साथ हम लोग देख रहे हैं, देख लेंगे, लेकिन इसका कोई स्थायी निराकरण होना चाहिये क्योंकि रात के आठ बजे से आपरेशन रुके रहे और रात के एक बजे जब टेंक से पानी गया, तो अस्पताल में आपरेशन हो पाए। यह मुनासिब परिस्थिति नहीं है। उस के लिये ये अलग अलग निर्णय लिये गये हैं कि झंडेवालां रेज़रवायर से एक सीधा मेन ले आया जाये, जिस को ये लोग रास्ते में न रोक सकें और एक बड़ा अंडरग्राउंड टैंक और बनाया जाये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि इस का एक इलाज होना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन का अभिप्राय दूसरे डिपार्टमेंट्स से है, या अपने डिपार्टमेंट से।

डा० सुशीला नायर : खुद मेरे डिपार्टमेंट से है। जब हमने यह परिस्थिति देखी है, तो हम उस का इलाज कर रहे हैं और माननीय सदस्यों को बता रहे हैं।

श्री राम सेवक यादव : श्रीमन्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष म ादय : मैं समझता हूं कि और प्रश्नों की ज़रूरत नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : विवरण स्पष्ट नहीं है।

प्रध्यक्ष महोदय : विवरण बड़ा व्यापक था।

मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अस्पतालों में और दिल्ली नगर में पानी की आवश्यक व्यवस्था पर स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई नियंत्रण है या नहीं; यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? इस कारण से मरीजों को जो असुविधा हुई, प्राणान्त वेदना हुई—शायद कोई मर भी गए हों—, उसका कौन जिम्मेदार होगा ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, कोई मरा नहीं है ।

†**श्रीमती विमला देवी** : जब एक महिला सदस्य उत्तर देती है तो सभा में इतनी अशांति क्यों होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मा० सदस्या यह अनुभव नहीं करती कि वह उस अशांति को बढ़ा रही हैं ।

श्री राम सेवक यादव : अभी मंत्री जी ने बताया कि यह स्थिति तीन वर्ष से चल रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन तीन वर्षों में इस स्थिति में सुधार करने के लिये इससे पहले क्या प्रयास किया गया है ।

डा० सुशीला नायर : इस बारे में बहुत लम्बी कारेसपांडेंस हुई है । इतनी मोटी फ़ाइल पड़ी हुई है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : विवरण में कहा गया है कि इस मामले की सूचना अतिरिक्त मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, अस्पताल को ८ बजे मध्याह्न पश्चात दी गई, जो , शब्दों को देखिये, दिल्ली नगरपालिका निगम के विविध प्राधिकारियों से बातचीत करने के पश्चात् १ बजे प्रायःकाम सफल हुआ अर्थात् १४ अगस्त, को, ५ घंटे बाद अस्पताल में टैंकर मंगवाया जा सका । उसने दिल्ली निगम के किन प्राधिकारियों से बातचीत की और क्या इस मामले में सब लोग अपने उत्तरदायित्व से इन्कार कर रहे थे और काम को आगे धकेल देते थे, जो दिल्ली के वर्तमान प्रशासन का प्रमुख धंधा बन चुका है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, एडीशनल मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट ने तुरन्त कार्पोरेशन के वाटर इमरजेंसी डिपार्टमेंट को टेलीफोन किया । इमरजेंसी वालों ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते । तब उन्होंने बड़े इंजीनियर को टेलीफ़ोन किया, लेकिन वह टेलीफ़ोन पर नहीं मिले । जब उन्होंने छोटे इंजीनियर को टेलीफोन किया, तो वह कहने लगे कि हम मेन्ज़ नहीं खोल सकते । तब उन्होंने सी० पी० डब्ल्यू० डी० को टेलीफोन किया । सी० पी० डब्ल्यू० डी० वालों ने उन लोगों को फिर टेलीफ़ोन किया । उन्होंने कहा कि हम टैंकर भेज सकते हैं, हम पानी नहीं दे सकते हैं । यह सब करते-कराते रात के एक बजे पानी पहुंचा, उस से पहले नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप मानेंगे कि भारत की राजधानी में गोलमाल वाली हालत है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर १० मिनट हो गये हैं, आगे भले सभा पटल पर पत्र रखे जायं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पोचमपाद बहुप्रयोजनीय परियोजना

†*६५८. { श्री लक्ष्मी दास
श्री पें० वेंक्टासुब्बैया
श्री इ० मधु सूधन राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पोचमपाद बहुप्रयोजनीय परियोजना के ब्योरे केन्द्र को स्वीकृति तथा अनुदान के आवंटन के लिये पेश कर दिए थे ;

(ख) यदि हां, दो आवश्यक स्वीकृति देने में सरकार को कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या सरकार ने परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) से (घ). आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पेश की गई गोदावरी नहरों परियोजना (पोचमपाद) नाम की शोधित परियोजना को प्रविधिक रूप से परीक्षण केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग तथा सलाहकार समिति के द्वारा किया गया था । राज्य सरकार से प्रार्थना की गई थी कि परियोजना में परिवर्तन किया जाए और उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है ।

पुराने डकोटा विमान

†*६५९. **श्री दे० द० पुरी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन कुछ ऐसे डकोटा विमानों को चला रही है जो अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पुराने हो चुके हैं ;

(ख) इस समय प्रयोग में लाये जा रहे किसी भी डकोटा विमान ने अधिकतम कितने घंटे की उड़ान की है तथा निर्माताओं ने कितनी उड़ान-अवधि सुरक्षित समझी थी ; और

(ग) अन्तिम डकोटा विमान के स्थान पर किस तिथि तक अन्य प्रकार के विमान चलाये जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स के डकोटा विमान ने १ अगस्त, १९६२ को अधिकतम उड़ान २९३६८ घंटे तक की थी । निर्माताओं ने डकोटा विमान के उड़ान घंटों पर कोई रुकावट नहीं लगाई है ।

(ग) डकोटा को धीरे धीरे बदला जाएगा जब निगम अतिरिक्त आधुनिक विमान प्राप्त कर सकेगी ।

रेलवे की चोरी गई सम्पत्ति

*६६०. **श्री राम सेवक यादव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाज़ियाबाद में कुछ स्क्रैप व्यापारियों के यहां रेलवे की चोरी गई सम्पत्ति पकड़ी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का सामान था और कितने मूल्य का ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(घ) क्या इन चोरियों में कुछ रेलवे कर्मचारियों का भी हाथ है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी हां । जो सम्पत्ति बरामद की गई है वह अधिकतर गाड़ी और डिब्बों की फिटिंग्स, इंजनों के पुर्जे, और रेल-पथ का सामान है, जिसकी कीमत का अनुमान अभी लगाना बाकी है ।

(ग) और (घ). अभी तक केवल पांच आदमी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका रेलवे से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस बारे में जांच-पड़ताल अभी जारी है ।

ऊपरी सिलेरू परियोजना

†*६६१. { **श्री कोल्ला वैंकैया**
श्री इ० मधु सूदन राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ७ अगस्त १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊपरी सिलेरू परियोजना के प्रश्न पर विचार करने के लिये आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई है ;

(ख) बैठक में क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने विवाद का क्या हल प्रस्तुत किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां :

(ख) चर्चा अपूर्ण रही और दोनों मुख्य मंत्रियों ने बातचीत करने के लिये पुनः सितम्बर १९६२ में मिलने का फैसला किया ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अभी हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझा ।

अलनावर-डंडेली रेलवे लाइन

†*६६२. { **श्री सं० ब० पाटिल** :
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे को अलनावर डंडेली लाइन के बारे में रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए प्रतिकर प्रस्ताव को मैसूर सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड, अलनावर डंडेली लाइन का प्रबन्ध कब अपने हाथ में लेगा; और

(ग) इस लाइन में सुधार करने का क्या कार्यक्रम है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) इस लाइन को मैसूर सरकार से खरीदने का फैसला किया गया है और औपचारिक रूप में लाइन की विविध आस्तियों को कब्जे में लेने के लिये आवश्यक प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खली की भाड़ा दरों में वृद्धि

†*३३३. { **श्री चि० र० राजा :**
श्री ओझा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खल और खली की भाड़ा दरों में वृद्धि की घोषणा "कांफ्रेंस लाइन्स' ने की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत मिली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी हां । भारत/इंगलैंड यूरोप सम्मेलन ने खलियों और मील के सम्बन्ध में ३१ जुलाई, १९६२ को ११५/६ शिलिंग से १२७/६ शिलिंग प्रति १००० किलो, चावला भूसा निगम ९८/६ शिलिंग से ११५ शिलिंग प्रति १००० किलो और मेरिओफ मील १२० शिलिंग से १३० शिलिंग प्रति १००० किलो, १ अक्तूबर, १९६२ से लागू होने के लिये, भाड़ा दरों में वृद्धि की घोषणा की है ।

(ग) जी, हां और यह मामला सम्मेलन के साथ उठाया गया है ।

आटोमेटिक फायर अलार्म प्रणाली

†*६६४. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र ही दिल्ली में स्वयं चालित अग्नि सूचना प्रणाली (ओटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम) लागू होगी ;

(ख) क्या इस बारे में जांच तथा खोज पूरी हो चुकी है; और

(ग) प्रणाली के कब तक लागू हो जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) अक्तूबर, १९६२ से धीरे धीरे ।

'आदि जयन्ती' पोत के कर्मचारी

†*६६५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयन्ती शिपिंग कम्पनी ने अपने टैंकर 'आदि जयन्ती' के विदेशी कर्मचारियों के स्थान पर भारतीय कर्मचारी रखना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन कब तक हो जायेगा ;

(ग) क्या समुद्र में चलने वाले अन्य किसी भारतीय जहाज के अभारतीय कर्मचारी हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम में संशोधन करने का है जिससे अनिवार्यतः भारतीय जहाजों में भारतीय कर्मचारी भरती करने होंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

बिजली का विकास

†*६६६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिजली के दीर्घकालीन विकास का आयोजन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव है और अब तक क्या किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अयोग ने बिजली विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना की एक प्रारूप रूप रेखा और एक व्यापक योजना (१९६६–१९८१) तैयार की है । प्रारूप रूप रेखा में ११४.६० लाख किलोवाट अतिरिक्त बिजली का प्रस्ताव है। यह राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ भेजी गई है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग, योजना आयोग और संबद्ध विविध मंत्रालयों में प्रतिनिधियों के एक आयोजन दल, १९७६ तक की अवधि के लिये दीर्घकालीन बिजली विकास कार्यक्रम तैयार करने तथा विशेषकर चौथी योजना तैयार करने के लिये स्थापित किया गया है ।

कलकत्ता पत्तन से खनिज अयस्कों का परिवहन

†१८०४. **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीदा :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९६१ से जून, १९६२ तक कलकत्ता पत्तन से निर्यात के लिय खनिज अयस्कों के परिवहन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया हे;

(ख) खान उद्योग की कुल मांग कितनी है;

(ग) उड़ीसा के विविध स्टेशनों पर लौह अयस्क का इस समय कितना स्टाक पड़ा है परिवहन सुविधाओं के प्राप्त न होने के कारण; और

(घ) रेलव को लौह अयस्क के इस समय के जमा स्टाक को ढोने में कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) निर्यात के लिए लोहा और मैंगनीज अयस्क को रेल के द्वारा ढोने का लक्ष्य प्रति वर्ष जुलाई से जून तक निश्चित किया जाता है । जुलाई, १९६१ से जून, १९६२ तक कलकत्ता पत्तन के लिए निर्यात के लिए लोहा और मैंग-

†मूल अंग्रेजी में

मैंगनीज अयस्क के रेल द्वारा संवहन का लक्ष्य इस प्रकार है :—

क्षेत्र	मात्रा लाख टनों में लोहा अयस्क	मैंगनीज अयस्क
वाराजायदा . . .	३.५	३.०
वाडाम पाहाड़ . .	१.०	—
जाजपुर . . .	३.०	—
	७.५	३.०

(ख) जाजपुर और वाडामपाहाड़ क्षेत्रों से रेल द्वारा संवहन का लक्ष्य इन क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिये काफी है। बाराजायदा क्षेत्र की इस समय मांग लगभग १० लाख टन प्रति वर्ष है।

(ग) और (घ). उड़ीसा के स्टेशनों पर पड़े लौह अयस्क का ठीक स्टाक मालूम नहीं है अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि माल को ढोने में कितना समय लगेगा।

अलवाये में सूखी मछली के पार्सल

†१८०५. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलवाये में सूखी मछली के पार्सलों के पहुंचने में विलम्ब के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार को एसे सूखी मछली पार्सलों की बड़ी चोरी के सम्बन्ध में भी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ऐसे विलम्ब और चोरी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सूखी मछली के पार्सलों में कई बार पुनः पैक करने और मार्ग के स्थानों में विलम्ब हो जाता है। ऐसे विलम्ब को समाप्त करने के लिये समुचित कार्रवाई की गई है।

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

१८०६. **श्री तन सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति कितनी बिजली उपभोक्ताओं को उपलब्ध है;

(ख) क्या तृतीय योजना में प्रादेशिक सन्तुलन बनाने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में इस उद्देश्य के लिए कौन-सी परियोजनायें कार्यान्वित की जायेंगी; और

(घ) उन पर कितना खर्च किया जायगा ?

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) प्रत्येक राज्य में १९६१–६२ के दौरान विद्युत के व्यक्ति-परक उपभोग के आंकड़ों का विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५९]**

(ख) विविध राज्यों की तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में नई विद्युत् उत्पादन स्कीमें, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा, सम्बद्ध राज्य अधिकारियों के साथ परामर्श करके, किये गये 'लोड सर्वे' पर आधारित अनुमित मांग का विचार करते हुए, सम्मिलित की गई हैं। पूरी होने पर, य स्कीमें विविध राज्यों के व्यक्ति-परक विद्युत्-उपभोग में वर्तमान अन्तर को, कुछ हद तक, कम कर देंगी।

(ग) तथा (घ)

परियोजना का नाम	अनुमित लागत (लाख रुपयों में)
संतित स्कीमें	
चम्बल जल-विद्युत् स्कीम (राजस्थान का भाग)	
(क) गांधीसागर विद्युत् केन्द्र चौथा यूनिट (११.५ मैगावाट)	४०.०
(ख) राणाप्रताप सागर विद्युत् केन्द्र (६४ मैगावाट)	५४८.०
२. जोधपुर में स्टीम टर्बो सैट (३ मैगावाट)	३०.०
नई स्कीमें	
१. भाखड़ा नंगल (राजस्थान का भाग)	
दक्षिण तट विद्युत् संयंत्र (५३ मैगावाट) ब्यास सतलुज स्कीम	२६४३.०
२. चम्बल परियोजना (राजस्थान का भाग)	
गांधी सागर विद्युत् केन्द्र पर यूनिट ५ की स्थापना (११.५ मैगावाट)	४०.०
कोटा बांध विद्युत् केन्द्र	९६७.८९
*३. चम्बल क्षेत्र में ताप केन्द्र (३० मैगावाट)	८५०.००
*४. भाखड़ा सर्विस क्षेत्र में थर्मल केन्द्र (५० मैगावाट)	
५. डीजल सैट्स (१० मैगावाट)	८५.०

*मध्य प्रदेश सरकार के ५०–५० मैगावाट के तीन यूनिटों के साथ मध्य प्रदेश में सतपुरा में ये (५०–५० मैगावाट के दो यूनिट) स्थापित होने हैं।

राजस्थान का रेगिस्तान

१८०७. **श्री तन सिंह** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में रेगिस्तान के बढ़ने को रोकने के लिय केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्य किये हैं;

(ख) इन कार्यों पर अब तक कितना खर्च किया गया है;

(ग) तृतीय योजना में इस दिशा में और क्या नय कार्य प्रारम्भ किये जाने वाले हैं; तथा

(घ) उन पर क्या खर्च किया जायगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) राजस्थान में रेगिस्तान के सुधार और नियंत्रण के लिय १९५२ में जोधपुर में एक अनुसन्धान केन्द्र शुरू किया गया था। योजना के अन्तर्गत जो कार्य किये जायेंगे उन में रेत के टीलों पर वृक्षारोपण के सम्बन्ध में प्रयोगीय कार्य करना, रक्षा पट्टी का लगाना, चरागाह प्रबन्ध और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिये उपयुक्त भूमि संरक्षण कार्य शामिल हैं। इस सम्बन्ध में प्रयोगीय कार्य पूरे कर लिये गये हैं और सिफारिशों को तैयार करके राजस्थान सरकार के पास भेज दिया गया है ताकि क्षेत्र स्तर पर कार्य शुरू किया जा सके। यूनेस्को के सहयोग से शुष्क क्षेत्रों के मूल और व्यावहारिक विषयों के बारे में अध्ययन करने के लिये इस केन्द्र को एक शुष्क खंड अनुसन्धान संस्थान के रूप में बदल दिया गया है।

(ख) १९५२ से ६१ तक .	७२.२१ लाख रुपये
अप्रैल से जून, १९६२ तक	३.४९ लाख रुपये

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और बातों के अतिरिक्त ये कार्यक्रम भी शामिल होंगे :—

(१) १०,००० वर्ग मील क्षेत्र के विषय में प्रदेश के मूल साधनों का सर्वेक्षण करना ताकि प्रदेश की विभिन्न प्रकार की भूमि और परिस्थितियों के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जाये।

(२) ३०० एकड़ भूमि में प्रयोगीय वृक्षारोपण

(३) घासों के न्यूक्लियस बीजों का वितरण—४००० मन

(४) वन-वृक्षों की पौधों का वितरण—२ लाख

(५) उन्नत किस्म की फसलों के बीजों का वितरण—विशष रूप से अरन्डी, मूंगफली और ग्वार—५०० मन

(६) क्षेत्र प्रबन्ध और भूमि संरक्षण कार्य—१०,००० एकड़ भूमि पर

इनके अतिरिक्त संस्थान चरागाह विकास, फसल सस्य विज्ञान, वन वृक्ष विज्ञान और सिंचाई के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान करेगा। संस्थान शुष्क और अर्ध-शुष्क वातावरण के सम्बन्ध में क्षेत्र के निवासियों के सोशियो-इकानौमिक (Socio-Economic) और पशु आहार-पुष्टि, फिज़ियालोजी (Physiology) और इकालौजी (Ecology) के बारे में भी अध्ययन करेगा।

(घ) तीसरी योजना की शेष अवधि के अन्तर्गत अनुमानतः ९९ लाख रुपये खर्च होंगे।

लाहौल और स्पिती में बीजों की उपज

१८०८. **श्री हेमराज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाहौल-स्पिती में अच्छे बीजों की उपज के लिय कोई वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को १९६१-६२ में दी;

(ख) यदि हां, तो वह कितनी रकम थी;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या १९६२-६३ के लिये भी कुछ सहायता देने का निश्चय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) से (घ). १९५८-५९ में लागू की गई संशोधित आर्थिक क्रियाविधि के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए मिलने वाली केन्द्रीय सहायता के बारे में राज्य सरकारों को वर्ष के शुरू में विकास शीर्षों के अनुसार सूचित किया जाता है और मंजूरी वर्ष के अन्त में शीर्ष के अन्तर्गत हुए खर्च के आधार पर विकास शीर्षों के अनुसार दी जाती है न कि योजना-अनुसार। अतः प्रश्न में पूछी गई सूचना उपलब्ध नहीं है।

त्रिपुरा में वन संबंधी मामले

†१८०९. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१ और में त्रिपुरा में कुल कितने वन संबंधी मामले किये गये हैं;

(ख) क्या उन की संख्या वद्धि पर है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कम करने के लिये क्या कार्यवही करने का विचार किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चक्रधरपुर डिवीजन में नियुक्तियां और पदोन्नतियां

†१८१०. **श्री ह० च० सौय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में दक्षिण पूर्व रेलवे में, अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित अभ्यंश की पदोन्नति तथा नियुक्ति के मामले में बहुत बड़ा अन्तर भरने वाला है;

(ख) यदि हां, तो उस कमी को पूरा करने के लिये क्या विशेष कार्यवाई की जा रही है;

(ग) क्या इस रेलवे डिवीजन में अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति सामान्य योग्यता और अनुभव के आधार पर नियुक्त किये गये हैं और पदोन्नत किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) चतुर्थ श्रेणी में प्रारम्भिक भरती श्रेणियों में आरक्षित अभ्यंश भरा जा चुका है किन्तु पदोन्नति के मामले में कमी है।

(ख) दूसरी परीक्षा की जायेगी और जहां तक संभव होगा, आरक्षित अभ्यंश को भरने के लिये प्रयत्न किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त (क) के उत्तर में इस का उत्तर आ गया है।

(घ) कारण यह है कि अनुसूचित आदिमजाति के अभ्यर्थी चुनाव के लिये अपेक्षित निम्नतम स्तर के नहीं थे। ज्यों ज्यों उन को अधिक अनुभव प्राप्त होगा, हालत सुधरती जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों का विमान द्वारा यात्रा के लिये बुकिंग

†१८११. **श्री प० कुन्हन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून और जुलाई, १९६२ में विदेश जाने के लिये कितने भारतीय यात्रियों ने विमान के टिकट खरीदे;

(ख) यह संख्या जून और जुलाई, १९६१ की संख्या से अधिक है या कम ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) और (ख). जून और जुलाई, १९६२ में क्रमशः ८७६१ और ३९८४ भारतीय यात्री पूर्व निश्चित विमानों से विदेश यात्रा पर गये। जून और जुलाई, १९६१ के लिये उन के तुलनात्मक आंकड़े क्रमशः ६०९७ और ५४९९ हैं।

केरल में तैरता हुआ डाकखाना

†१८१२. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुट्टानाड के पानी भरे इलाके में एक तैरता हुआ डाकखाना स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस दशा में है ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां, नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में चलने वाला एक मौसमी तैरता हुआ डाकखाना स्थापित करने की योजना है।

(ख) इस योजना की व्यावहारिकता और उस के आर्थिक पहलुओं की छानबीन की जा रही है ।

नारियल के बागान

१८१३. **श्री मे० क० कुमारन**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल में नारियल के बगीचों में नेफान्टिस सेरिनोपा बहुत तेजी से बढ़ रहा है ;

(ख) इस कीड़े को काबू में करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) वे कहां तक सफल हुए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) राज्य सरकार ने यह बताया है कि इन कीड़ों के प्रसार पर नियंत्रण हो रहा है ।

(ख) नियंत्रण उपायों में पेड़ों पर डी डी टी छिड़कना और कीड़ों को नष्ट करना है ।

(ग) जनवरी से अप्रैल, १९६२ तक. लगभग ७९००० नारियल पेड़ों पर एर्नाकुलम में भारत सरकार के सेन्ट्रल प्लान्ट प्रोटेक्शन स्टेशन से प्राप्त सहायता से डी डी टी छिड़का गया । राज्य में सात पैरासाइट ब्रीडिंग स्टेशन काम कर रहे हैं और वे १९६२—६२ में लगभग १०० लाख पैरासाइट वितरित करेंगे । ये उपाय कीड़ों को काबू में करने में सफल सिद्ध हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्विलोन जंक्शन पर रिटायरिंग रूम

१८१४. श्री मे० क० कुमारन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में क्विलोन जंक्शन पर प्लेटफार्मों पर छत डालने और रिटायरिंग रूम बनाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो काम कब तक पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां ।

(ख) अनुमान है कि अक्तूबर, १९६२ तक काम पूरा हो जायेगा ।

त्रिवेन्द्रम पेट्टा में प्रतीक्षालय

†**१८१५. श्री मे० क० कुमारन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि त्रिवेन्द्रम पेट्टा में प्रतीक्षालय न होने के कारण तीसरे दर्जे की महिला यात्रियों को दिक्कत हो रही है; और

(ख) क्या उन दिक्कतों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी नहीं ।

(ख) तीसरे दर्जे में सफर करने वाली महिलाओं के लिये कोई अलग प्रतीक्षालय नहीं होता । फिर भी ऊंचे दर्जे की महिला यात्रियों के लिये अलग प्रतीक्षालय है और वही तीसरे दर्जे की महिला यात्रियों के उपयोग के लिये भी उपलब्ध है ।

डाक-तार विभाग की इमारतें, रेवाड़ी

†**१८१६. श्री चुनी लाल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़गांव जिले में रेवाड़ी में डाक-तार कार्यालयों की नयी इमारतें बनाने के लिये सरकार ने कोई जमीन खरीद ली है;

(ख) क्या यह सच है कि कोई निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्माण कार्य आरम्भ करना कब संभव होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां ।

(ख) से (घ). टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत पूरी हो चुकी है । डाकखाने की इमारत बनाने के लिये मंजूरी २३-३-६२ को दी गयी है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को वास्तविक कार्य आरम्भ करने से पहले कुछ औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ती हैं जैसे विस्तृत नक्शे और विस्तृत अनुमान तैयार करना, टेन्डर मंगाना और काम सौंपना जिन में कुछ समय लगता है ।

अम्बाला स्थित पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय अन्यत्र ले जाना

†**१८१७. श्री चुनी लाल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय अम्बाला से चण्डीगढ़ ले जाने का सरकार का विचार है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कब और उस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) और (ख). इस प्रस्ताव पर अभी विचार हो रहा है ।

करजन-खोपोली रेलवे लाइन पर अतिरिक्त रेल गाड़ियां चलाना

†**१८१८. श्री दिगे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि मध्य रेलवे के करजन-खोपोली रेलवे लाइन पर यात्रियों को दिक्कत होती है ;

(ख) इस बात को देखते हुए कि खोपोली प्रदेश में औद्योगिक विकास बड़ी तेजी से हो रहा है और उस से यातायात बढ़ रहा है, क्या इस लाइन पर और अधिक रेलें चलाने का रेलवे का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब;

(घ) क्या खोपोली में यात्रियों का एक शैड बनाने की तीव्र आवश्यकता के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो वह शैड कब बनाने का सरकार का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). करजन और खोपोली के बीच आने जाने वाली दो रेलगाड़ियां इस सेक्शन के सारे यात्रियों को ले जाती हैं । इसलिये इस लाइन पर अतिरिक्त गाड़ियां चालू करने के लिये कोई औचित्य नहीं है । खोपोली प्रदेश के औद्योगीकरण के फलस्वरूप जब कभी यात्रियों की संक्या बढ़ जायेगी तब वर्तमान गाड़ियों की वहन क्षमता बढ़ा दी जायेगी ।

(घ) जी हां ।

(ङ) यह काम ३१-३-६४ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के कार्यक्रम में शामिल किया गया है ।

मछली ले जाने के लिये इन्सुलेटेड रेफ्रिजरेटर रेल माल डिब्बे

†**१८१९. श्री मे० क० कुमारन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि उसे केरल राज्य से बाहर बाजारों में मछली पहुंचाने के लिये इन्सुलेटेड रेफ्रिजरेटर रेल माल डिब्बे दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी हां । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को प्रार्थना प्राप्त हुई है ।

(ख) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और केरल सरकार के बीच इस मामले पर पत्र व्यवहार हो रहा है ।

झरसुगुडा रेलवे लेवल क्रासिंग पर ऊपरी पुल

†**१८२०. श्री उलाका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरसुगुडा रेलवे लेवल क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल बनाने के लिए सरकार को उड़ीसा सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या राय है; और

(ग) उपर्युक्त लेवल क्रासिंग पर ऊपरी पुल संभवतः कब बनाया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). झरसुगुडा स्टेशन के पास ३१८/२३–२४ मील पर वर्तमान लेवल क्रासिंग की जगह एक ऊपरी पुल बनाने की योजना की सिफारिश उड़ीसा सरकार ने की है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उसे कार्यान्वित करना रेलवे ने मंजूर कर लिया है। राज्य सरकार ने अभी हाल पुल के नकशे पर मंजूरी दे दी है। ढांचे के विस्तृत नकशे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) अभी इस समय यह बताना सम्भव नहीं है।

केन्द्रीय सड़क निधि से आन्ध्र प्रदेश को अनुदान

†**१८२१. श्री उलाका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को राज्य में सड़क विकास योजनाओं के लिए मार्च, १९६२ तक केन्द्रीय सड़क निधि से कुछ अनुदान कितना है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश को कितनी रकम निर्धारित की गयी है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों के विकास और विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार से और अधिक वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या राय है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) मार्च, १९६२ के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश राज्य को कुल २४३·१७ लाख रुपये का अनुदान केन्द्रीय सड़क निधि से दिया गया। इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(१) सामान्य रक्षित	१४·२८ लाख रुपया
(२) नियतन .	२०९·४० लाख रुपया
(३) विशेष रक्षित . . .	१९·४९ लाख रुपया

(ख) ९४·०० लाख रुपया (नियत रकम में से ७८·०० लाख रुपया और सामान्य रक्षित में से १६·०० लाख रुपया)।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश में डाकखाने की इमारतें

†**१८२२. श्री उलाका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने छोटे डाकखाने और शाखा डाकखाने हैं जिन्हें अभी तक विभागीय इमारतें नहीं दी गयी हैं;

(ख) इन इमारतों का निर्माण कार्य कब शुरू होगा; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी रकम खर्च की जायेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय म उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) ९६० विभागीय छोटे डाकखानों और ३ विभागीय शाखा डाकखानों को विभागीय इमारतें नहीं दी गई हैं। अतिरिक्त-विभागीय डाकखानों के लिए विभागीय इमारतें देने की सामान्य नीति नहीं है।

(ख) सीमित वित्तीय साधनों के कारण सभी विभागीय उपकार्यालयों और विभागीय शाखा कार्यालयों के लिए विभागीय इमारतें बनाना सम्भव नहीं है। आगे उपयुक्त किराये की इमारतें उपलब्ध होने के कारण, प्रत्येक मामले में विभागीय इमारतें आवश्यक नहीं हैं। फिर भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग ५० छोटे डाकखानों के लिए विभागीय इमारतें तैयार करने का विचार है।

(ग) लगभग ४० लाख रुपये।

रावणसमुद्रम् स्टेशन, दक्षिण रेलवे

†१८२३. **श्री म० प० स्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के मदुरै डिविजन में रावणसमुद्रम् स्टेशन पर टेलीफोन नहीं लगाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्लैटफार्म बहुत नीचा होने के कारण यात्रियों को रेलगाड़ियों में चढ़ने उतरने में काफी कठिनाई होती है ;

(ग) क्या दक्षिण रेलवे के अधिकारियों को स्टेशन में, खासकर प्लैटफामं ऊंचा करने और टेलीफोन लगाने के सम्बन्ध में सुधार करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो स्टेशन में आवश्यक सुधार कब किया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) नीचे स्तर के प्लैटफार्म ऊंचे स्तर के प्लैटफार्मों से कम सुविधाजनक होते हैं लेकिन धन की कमी के कारण सभी स्टेशनों पर ऊंचे स्तर के प्लैटफार्म बनाना सम्भव नहीं होगा। उप-नगरीय स्टेशनों और उन स्टेशनों को, जहां यात्रियों की संख्या बहुत अधिक होती है, जैसे जंक्शनों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) प्लैटफार्म की सतह के बारे में रेलवे प्रशासन के पास एक शिकायत पहुंची है जिसमें इन बातों के लिए भी सुझाव दिये गये हैं अर्थात् टेलीफोन व्यवस्था, अधिक क्वार्टर, बिजली से रेलें चलाना, आदि।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राज मार्ग

१८२४. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सीमावर्ती प्रदेशों का सम्बन्ध दिल्ली राजधानी से जोड़ने के लिये भी क्या राष्ट्रीय राजमार्गों में कुछ वृद्धि की सम्भावना है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या गढ़वाल जैसे पर्वतीय प्रदेशों का दिल्ली से सीधा सम्बन्ध मेरठ और बिजनौर होकर करने के लिये सरकार कुछ सोच रही है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसा करने से तीनों सैनिक स्टेशन दिल्ली, मेरठ और लैन्सडौन एक ही सड़क पर हो जायेंगे ?

†**परिवहन तथा सचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों तथा प्रदेश सड़कों के द्वारा दिल्ली पहले ही से सीमावर्ती प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। इस प्रयोजन के लिए किसी नये राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। ऐसी सड़कें भी मौजूद हैं जो दिल्ली को गढ़वाल से मेरठ, बिजनौर और लैंसडाउन होते हुए मिलाती हैं।

सलाद और उझ पनबिजली परियोजनायें

†१८२५. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर राज्य ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि वह जम्मू के चिनाब बेसिन में सलाद और उझ पनबिजली परियोजनाएं कार्यान्वित करने का काम अपने हाथ में ले ले; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या राय है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तपेदिक में वृद्धि

१८२६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तपेदिक का रोग बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में कितनी रफ्तार से बढ़ा है;

(ग) क्या यह सच है कि तपेदिक के अस्पतालों में दाखिला कठिनाई से मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो अस्पताल और बिस्तर बढ़ाने की दिशा में सरकार कौन-सा कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) इस बारे में कोई विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु मैं नहीं समझती कि तपेदिक के मामले वृद्धि पर हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सभी तपेदिक के रोगियों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिला देना आवश्यक नहीं। बहुत से तपेदिक के रोगियों का टी० बी० क्लिनिकों तथा गृहोपचार द्वारा उनके घर पर ही इलाज किया जा सकता है। क्षय अस्पतालों में बिस्तरे भी बढ़ाये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर

१८२७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० क० कुमारन : }

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** ३० मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो विशेष सुविधायें दी जा रही हैं उनसे स्थिति में कहां तक सुधार हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): बिना डाक्टरों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रतिशत धीरे-धीरे घट रहा है। फरवरी १९६० में २०.६६ प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना डाक्टरों के थे जुलाई १९६२ में सिर्फ १४·४६ प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ही बिना डाक्टरों के रहे।

दुग्ध केन्द्र

१८२८. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सहायता समिति द्वारा कुछ दुग्ध केन्द्र चालू करने के जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, उस पर अन्त में क्या निश्चय किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : १६ जून, १९६२ को अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५० के उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि समिति के पत्र की प्रतीक्षा थी। क्योंकि अभी समिति से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इस लिए इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

कांडला बन्दरगाह में आग

†१८२९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जुलाई, १९६२ के दूसरे हफ्ते में कांडला बन्दरगाह के गोदाम में आग लगी थी जिससे रुई की ३५० गांठें जल गयीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** जी, हां। ११ जुलाई, १९६२ की शाम को कांडला बन्दरगाह के 'डी' मालगोदाम में रखी हुई रुई की गांठों में आग लग गयी थी। आग से ३६९ गांठें खराब हो गयी थीं लेकिन वे पूरी तरह से जली नहीं थीं। इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए एक समिति विकास आयुक्त द्वारा नियुक्त की गयी थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। आग के कारण के सम्बन्ध में वह कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकी लेकिन उसकी राय यह थी कि स्टाक में "फायरपैक्ड" या "हॉट" गांठें रहने के कारण शायद आग लगी थी। क्लिअरिंग और फारवर्डिंग एजेन्टों की फर्म के एक प्रतिनिधि द्वारा समिति

---

†मूल अंग्रेजी में

के समक्ष दिये गय इस वक्तव्य से इस मत की पुष्टि हो जाती है कि गिनिंग और प्रेसिंग मिलों में खुले में "हॉट" गांठें रखने पर भी आग लग जाती है।

२. कांडला बन्दरगाह अधिकारी माल के नुक्सान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि उसके कारण उनके नियंत्रण से बाहर थे।

दक्षिण पूर्व रेलवे के केसिंगा रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल

†१८३०. **श्री प्र० के० देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर केसिंगा रेलवे-फाटक पर ऊपरी-पुल कब बनेगा; और

(ख) क्या धन की व्यवस्था हो गई है और इसके कब पूरा होने की आशा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). अन्त में उड़ीसा सरकार केसिंगा में विद्यमान रेलवे फाटक के स्थान पर, जो १३३/१८ मील पर है, सड़क का निचला पुल की व्यवस्था से सहमत हो गई है। वर्ष १९६३–६४ में कार्य आरम्भ करने का विचार है। कार्य का नक्शा और प्राक्कलन तैयार हो रहे हैं और उनके निश्चित होते ही वे राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेज दिये जायेंगे।

भारत में जल विद्युत् सम्भाव्य संसाधन

†१८३१. **डा० क० ल० राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत में जल विद्युत् सम्भाव्य संसाधन के विस्तृत अध्ययन के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया था और क्या इसका प्रयोग नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) भारत में जल विद्युत् परियोजनाओं की जांच पड़ताल के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि ने २,३५१,९०० डालर की सहायता दी थी। योजना को कार्यान्वित करने की कार्य योजना पर २३-६-१९६२ को हस्ताक्षर हुए हैं। सहायता मुख्य कर जांच पड़ताल कार्य के लिए सामान खरीदने के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की पूर्ति करने के लिए है और इसका प्रयोग किया जा रहा है। सामान की पहिली खेप भारत पहुंचने में लगभग एक वर्ष लगेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टेलीफोन सम्बन्ध

१८३२. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में टेलीफोन चाहने वाले लोगों की प्रतीक्षा सूची में अलग-अलग कितने नाम दर्ज हैं;

(ख) उन सब को टेलीफोन देने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) इन शहरों में नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग पूरी करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क)

कलकत्ता . .	४२,००० (लगभग)
बम्बई . . .	३३,७७८
मद्रास . .	९,३०१ तथा
दिल्ली . .	३६,३३८ ।

(ख) साधनों की कमी ।

(ग) मार्च, १९६६ तक कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में क्रमश: ३०,९००, ५८,२१०, २४,७५० तथा ४४,२०० लाइनों तक के उपस्कर और लगाये जाने की संभावना है ।

एयर इण्डिया के वाणिज्यिक विज्ञापन

†१८३३. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया इन्टरनेशनल ने वाशिंगटन में एक विज्ञापनकारी पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें श्रीमती जेक्वेलीन केनेडी का वह चित्र है जो अन्तिम फरवरी में उनके भारत आने पर लिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'ह्वाइट हाउस' ने वाणिज्यिक विज्ञापन के लिए प्रेसीडेन्ट की पत्नी का चित्र प्रयोग करने का विरोध किया था; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त पुस्तिका को परिचालन से वापस ले लिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) प्रश्नास्पद रचना विज्ञापन पुस्तिका नहीं है । वह तो एयर इण्डिया की कर्मचारी पत्रिका के मार्च-अप्रैल, १९६२ के अंक की अनुपूरक है । इस पत्रिका का नाम है "मैजिक कार्पेट" और यह उस विशेष उड़ान के बारे में है जिससे श्रीमती जोहन् एफ० केनेडी रोम से दिल्ली गई थीं ।

(ख) ह्वाइट हाउस ने इस बात पर आपत्ति की थी कि भारत में श्रीमती केनेडी के साथ यात्रा करने वाले प्रेस संवाददाताओं को रोम में दी गई एयर इण्डिया की एक पार्टी के चित्रों के साथ श्रीमती केनेडी के चित्र का प्रयोग किया गया था । आपत्ति का कारण यह था कि रोम में प्रेस-पार्टी के चित्र बुलेटिन की उल्टी ओर छपे थे ।

(ग) मार्च-अप्रैल, १९६२ के "मैजिक कार्पेट" के अंक के साथ प्रकाशित हुआ अनुपूरक अंक उस समय परिचालन से वापस ले लिया गया जबकि कारपोरेशन के न्यूयार्क कार्यालय ने २२ मई, १९६२ को कारपोरेशन को 'ह्वाइट हाउस' द्वारा किये गये विरोध की सूचना दी ।

बीज के आलू

†१८३४. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बीज के आलू की बीज प्रमाणीकरण प्रणाली आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली देश के किन भागों में लागू है;

(ग) इस प्रणाली की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या इस प्रणाली को कड़े ढंग से लागू करने के लिए कोई विधान बनाया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). यद्यपि प्रमाणीकरण का वास्तविक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था शिमला आलू की कुछ वाणिज्यिक किस्मों का रोगमुक्त आधार पर स्टाक बना रही है और रख रही है । ये आलू राज्य बीज गुणक यूनिटों को दिये जाते हैं । यह प्रणाली आजकल बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लागू है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वंशधारा परियोजना

†१८३५. **श्री पे० वेंक्टा सुब्बया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वंशधारा परियोजना के निर्माण के बारे में आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों में अन्तिम करार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो करार का क्या ब्यौरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बैंगकाक के पास विमान दुर्घटना

†१८३६. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य एयरलाइन्स का एक कमेट विमान जिसमें कुछ भारतीय यात्री थे, २० जुलाई, १९६२ को बैंगकाक के पास घने जंगल में गिर गया; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में कितने भारतीय जन मारे गये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** :(क) २० जुलाई, १९६२ को बैंगकाक के पास जंगल में संयुक्त अरब गणराज्य एयरलाइन्स का एक कमेट विमान गिर गया था ।

(ख) समाचार मिला है कि विमान में यात्रा कर रहे तीनों भारतीय राष्ट्रजनों की मृत्यु हो गई है ।

दिल्ली टेलीफोन मंत्रणा समिति

†१८३७. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन मंत्रणा समिति में संसद् का प्रतिनिधित्व एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसत्सदस्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली टेलीफोन मंत्रणा समिति में संसद् का प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति रखने के लिए उसका विधान बदल दिया है जो संसद् सदस्य नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) हां, सदस्य को हटा दिया गया है ।

(ख) और (ग). नहीं । संसद् के नये सदस्य को मनोनीत करने का मामला विचाराधीन है ।

डाक तथा तार कर्मचारी

†१८३८. **श्री प० कुन्हन**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक तथा तार विभाग को अनुदेश दे दिये हैं कि यदि जुलाई, १९६० की सामान्य हड़ताल में भाग लेने के लिए कर्मचारी खेद प्रकट करते हुए याचिका प्रस्तुत करते हैं तो उनके दण्ड का पुनरीक्षण किया जाये;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं और उनपर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या प्रार्थनापत्र खेद प्रकट करने पर भी अस्वीकार हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) जुलाई, १९६० की सामान्य हड़ताल के बाद शीघ्र ही हड़ताल के मामलों पर प्रत्येक मामले की परिस्थितियों का ध्यान रख कर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने के प्रशासी अनुदेश दिये गये थे । इन अनुदेशों के अनुसार यदि खेद प्रकट किया जाता, तो उसका ध्यान रखा जाना था । इस समय तक, प्रायः सभी मामलों पर पदनुसार विचार किया गया है । यह बात कि खद की अभिव्यक्ति का ध्यान रखा जाना था, हाल में कही गई थी । कोई नये अनुदेश देने की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

तीसरी योजना में पीने के पानी और नाली की सुविधायें

†१८३९. **श्री उग्रा नाथ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी और नाली की सुविधाओं के लिए स्वीकृत धनराशि बढ़ाने का विचार है ।

(ख) यदि हां, तो अब कितना धन स्वीकृत किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने २० करोड़ रुपये निश्चित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो मद्रास राज्य को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नहीं ।

(घ) मद्रास की तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय जल तथा स्वच्छता प्रोग्राम के अन्तर्गत नगरीय तथा ग्रामीण जल संभरण तथा स्वच्छता के लिए क्रमानुसार ९५० लाख रु० और १५० लाख रु० का आवंटन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुराने किले के पास भूदृश्य

†१८४०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में पुराने किले के पास भ दृश्य में सुधार करने की योजना को स्वीकार करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उसका क्या ब्यौरा है और इस कार्य के लिए कितना धन स्वीकार किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). दिल्ली चिड़ियाघर परिषद् (दिल्ली जूलाजिकल पार्क काउन्सिल) ने अपनी २२-६-१९६२ की बैठक में चिड़ियाघर के द्वार पर सुन्दर वातावरण बनाने के लिए एक योजना स्वीकार की है। इस योजना के अनुसार पुराने किले के ढलानों तथा आगे की भूमि का विकास किया जायेगा। योजना में ढलानों के खड्डों आदि को भर कर विभिन्न रंग के पौदों लगाने और पृष्ठभूमि में घास के मैदान बनाने की व्यवस्था है जिन में बीच-बीच में कन्नाबेड, शबरी, टापिमारी, आदि होंगे। कार्य आरम्भ हो चुका है। व्यय के लिए दिल्ली चिड़ियाघर के वार्षिक आय-व्ययक प्राक्कलनों में उपबंध किया गया है। सम्भव है कि इस वर्ष उपरोक्त कार्य पर लगभग ५,००० रु० व्यय हों।

रेलवे कर्मचारियों को रात्रि भत्ता

†१८४१. { **श्री हेम राज** :
श्री प० कुन्हन :
श्री उमा नाथ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी रेलवे कर्मचारियों को बिना किसी शर्त के रात्रि भत्ता देना स्वीकृत हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह रियायत सहायक स्टेशन-मास्टरों को नहीं दी जाती थी, यदि दी जाती है तो, कुछ शर्तों पर दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). जैसाकि कर्मचारियों की अन्य श्रणियों में है, सहायक स्टेशन-मास्टरों को रात्रि भत्ता देने की शर्तें निश्चित हैं। सहायक स्टेशन-मास्टरों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

दिल्ली में सड़क पर फैली पाई गई डाक

†१८४२. **श्री हेडा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, १९६२ के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में लाहौरी गेट के पास फाटक हबशखां में एक पब्लिक शौचालय के पास सड़क पर लगभग १००० पत्र फैले पाये गये; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगवती)**: (क) हां, श्रीमान्। प्रविष्ठ से पता लगता है कि पत्र लगभग ५०० थे।

(ख) लेटरबक्स खोलने वाला पीअोन लेटर बक्सों से पत्र निकाल कर दिल्ली आर० एम० एस० ले जा रहा था। रास्ते में उसकी साइकिल से पत्रों का थैला अचानक गिर गया। ऐसा लगता है कि थैला किसी व्यक्ति के हाथ लग गया और उसने पत्र निकाल कर फेंक दिये तथा थैला रख लिया। सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

शर्बती जल-विद्युत् परियोजना

†१८४३. **श्री हेडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में शर्बती जल विद्युत् परियोजना पूर्ति किस अवस्था में है; और

(ख) क्या सरकार का विचार दूसरी और तीसरी अवस्था का कार्य शीघ्र आरम्भ करने का है क्योंकि मैसूर और अन्य राज्यों में विद्युत् की भारी कमी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) लिंगनामक्की में मुख्य बांध और तलकलाले में सहायक बांध, विद्युत् चेनल नाली, डेनवाइल दोहरी सुरंगें और मलाली सुरंग जैसे सभी भवन-निर्माण कार्य सन्तोषजनक से हो रहे हैं। सर्ज तालाबों, थ्रष्ट ब्लाकों, सेडल सपोर्ट्स और इंजिनियरिंग स्टेशन जैसे कार्य हो रहे हैं। ८९, ८९ मेगावाट के दो यूनिटों का अधिष्ठापन पहिली अवस्था में आरम्भ कर दिया गया है। आशा है कि पहिला यूनिट वर्ष १९६३ की अन्तिम तिमाही में चालू हो जायेगा और इसकी मशीन लगभग दो, तीन मास बाद चालू हो जायेगी।

(ख) योजना की दूसरी अवस्था का विकास कार्य, जिसमें ८९, ८९ मेगावाट के और छः यूनिट लगाये जायेंगे, पहिले ही तीसरी योजना में शामिल कर लिया गया है। ऐसे ही दो और यूनिटों की स्वीकृति का प्रश्न विचाराधीन है।

गुजरात में सिंचाई की बड़ी व मध्यम परियोजनायें

†१८४४. **श्री दे० जी० नायक** :
श्री पु० र० पटेल :
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में गुजरात राज्य में सिंचाई की बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से कोई अधिक लाभ होने की आशा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार तीसरी योजना में सिंचाई के लिए विभव बनाने का है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अधिक लाभ होने की आशा है।

(ख) प्रश्न उपत्न्न नहीं होता।

(ग) हां, क्योंकि पहिली और दूसरी योजनाओं की कुछ चालू योजनायें तीसरी योजना में पूरी हो जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज संसाधन

†१८४५. { **श्री दे० जी० नायक :**
श्री पु० र० पटेल :
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा खाद और विष्टा खाद जैसे स्थानीय खाद संसाधनों के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :(क) ग्रामीण क्षैत्रों में कूड़ा खाद और विष्टा खाद का यथासंभव अधिकतम विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष १९५६ के अन्त में राज्य सरकारों तथा संघ प्रशासित राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्न योजनायें भेजी थीं :—

(१) राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खंडों में कूड़ा खाद के उत्पादन के लिए स्थानीय खाद संसाधनों को अधिक और उत्तम करना ।

(२) बड़ी पंचायतों तथा छोटे गांवों में विष्टा खाद की योजना ।

चुने हुए खंडों में कूड़ा खाद निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं । बड़ी पंचायतों में विष्टा खाद योजना लागू करने के लिए आवर्तक व्यय का २५ प्रतिशत, जो केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर बराबर उठायेंगी, कुल सहायता के रूप में दिया गया है । छोटे गांवों में विष्टा खाद योजनाओं के बारे में, खर्च को राज्य और केन्द्र दोनों बराबर उठाते हैं । इस कार्य के महत्व पर ज़ोर देने और ग्रामीण कूड़ा खाद को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से अधिकतर राज्य सरकारें विशेष आन्दोलनों का आयोजन करती हैं और कूड़ा खाद सप्ताह तथा पखवाड़ा मनाती हैं । भारत सरकार ने खंडवार बैठकें भी बुलाई थीं ताकि यदि योजना को लागू करने में कोई कठिनाई हो तो उसे ढूंढ कर दूर किया जा सके ।

(ख) राज्य सरकारों और संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार लगभग ६६० लाख टन ग्रामीण कूड़ा खाद का वर्ष १९६०–६१ में उत्पादन हुआ । वर्ष १९६१–६२ में ग्रामीण कूड़ा खाद के उत्पादन की राज्य सरकारों आदि की सूचना के अनुसार ७६० लाख टन होने की आशा है ।

गुजरात में सिंचाई वाली भूमि

†१८४६. { **श्री दे० जी० नायक :**
श्री पु० र० पटेल :
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में अब तक सिंचाई की छोटी व बड़ी योजनाओं के अन्तर्गत कितनी भूमि की सिंचाई की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि सिंचाई वाली भूमि का क्षेत्रफल अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार सिंचाई के मामले में गुजरात राज्य को अन्य राज्यों के बराबर बनाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). तीसरी योजना के लिये अपने प्रस्तावों में राज्य सरकार ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार १४ लाख एकड़ भमि और राज्य में कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग ६ प्रतिशत, भूमि में जबकि अखिल भारतीय आंकड़ लगभग १७ प्रतिशत हैं। दूसरी योजना के अन्त तक सिंचाई होने लगी थी। तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में क्रमानुसार सिंचाई की बड़ी और मध्यम परियोजनाओं से १.८ लाख एकड़ और १.६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हुई।

(ग) राज्य में सिंचाई वाली भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने तीसरी योजना में आने का योजनाओं का प्रस्ताव किया है और उनका लक्ष्य ८.६४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं और ११.९० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की छोटी योजनाओं से करने का है। इसके अलावा, हाल में राज्य सरकारों को लिखा गया है कि वे राज्य की योजनाओं में शामिल की सिंचाई की छोटी योजनाओं का पुनरीक्षण करें और उनकी प्रगति तेज करने के लिये उन्हें नया रूप दें। यदि गुजरात सरकार सिंचाई की अन्य छोटी योजनायें आरम्भ कर सके, तो वर्तमान केन्द्रीय वित्तीय सहायता की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त धन और कुल योजना व्यय प्राक्कलनों की व्यवस्था भारत सरकार करेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे म भटनी जंक्शन स्टेशन पर दुर्घटना

†१८४७. **श्री रा० प्र० सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ मई, १९६२ को ९०६ डाउन मालगाड़ी उत्तर पूर्व रेलवे के कटनी जंक्शन पर लाइन संख्या ५ पर आ गई और उसी लाइन पर खड़े इंजन से टकरा गई ; और

(ख) यदि हां, तो कारण क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय म उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां।

(ख) मानवीय त्रुटि के कारण दुर्घटना हुई।

महापौर सम्मेलन

†१८४८. **डा० श्रीनिवासन** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में उटाकामण्ड और वर्ष १९६१ में बम्बई में हुए महापौर सम्मेलनों के संकल्प क्या हैं —

(ख) सम्मेलन में क्या प्रस्ताव रखे गये ; और

(ग) कितने संकल्प क्रियान्वित किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री(डा० सुशीला नायर)** : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें **वर्ष १९५९ में** (१९६० में नहीं) उटाकामण्ड में हुए प्रथम महापौर सम्मेलन और वर्ष १९६१ में बम्बई में हुए द्वितीय महापौर सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३८५ / ६२]**

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें दोनों सम्मेलनों की कार्यसूची में शामिल विभिन्न प्रस्ताव बताये गये हैं **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३८५ / ६२ ।]**

(ग) सभा पटल पर शीघ्र ही एक विवरण रखा जायेगा जिसमें दोनों सम्मेलनों में सिफारिश किये गये विभिन्न प्रस्तावों के क्रियान्वयन के बारे में नवीनतम स्थिति बताई जायेगी।

मद्रास राज्य से आन्ध्र राज्य को बिजली

†**१८४९. डा० श्रीनिवासन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य से आन्ध्र राज्य को बिजली देने का कोई प्रस्ताव है ; **और**

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें और ब्यौरा क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) मद्रास द्वारा आन्ध्र प्रदेश को १०९० किलोवाट बिजली का पहले से ही सम्भरण किया जा रहा है। मद्रास से आन्ध्र प्रदेश को बिजली के सम्भरण के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं परन्तु उनको अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) इनको अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

कोटा-बीना रेल मार्ग पर ड्राई स्टोन पिचिंग

†**१८५०. श्री बैरवा कोटा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा से बीना तक जो ड्राई स्टोन पिचिंग रेलवे की पटरी के साथ-साथ कहीं-कहीं लगी है उसका स्पेसीफिकेशन क्या है ;

(ख) उसकी रेट हन्डरेड स्क्वेयर से है या स्क्वेयर फुट से ;

(ग) उसकी रेट क्या है ; और

(घ) उसमें क्या पत्थर सरकारी है या ठेके दार का ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कोटा-बीना सेक्शन पर ड्राई स्टोन पिचिंग के लिये पश्चिम रेलवे के नमूने के अनुसार लगाई गयी है।

(ख) स्टोन पिचिंग की दर १०० घन फुट अथवा एक घन मीटर के लिये हैं।

(ग) ड्राई स्टोन पिचिंग के लिये पश्चिम रेलवे की दर की अनुसूची के अनुसार दर ३२-४० रुपये प्रति १००घन फुट अथवा ११.४०रुपये प्रति घन मीटर है और ड्राई स्पेन पिचिंग के लिये केवल श्रम की दर १०.८०रुपये प्रति १००घन फुट अथवा ३.८०रुपये प्रति घन मीटर है। ठकेदारों द्वारा बनाई गई श्रम की दर उपरोक्त अनुसूचित दर से ४० से ४४ प्रतिशत तक अधिक थी।

(घ) पत्थर सरकार ने दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर डिवीजन में चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जाति के कर्मचारी

१८५१. श्री विश्वनाथ पांडे : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर डिवीजन के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की १९६१ से जून, १९६२ तक कितनी नियुक्ति की गई है ?

(ख) उक्त कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी हैं ; और

(ग) उनमें गोरखपुर डिवीजन के रहने वाले कितने हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). पूर्वोत्तर रेलवे में डिवीजनल प्रणाली की व्यवस्था नहीं है और वहां अलग से गोरखपुर नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन गोरखपुर के सिम्बन्दी कार्यालयों में २९३ व्यक्ति काम करते हैं, जिनमें से ५७ अनुसूचित जातियों के हैं। इनमें १८२ व्यक्ति गोरखपुर के हैं।

त्रिपुरा में भूमि का सर्वेक्षण

†**१८५२. श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे सदर में हाल में ही किये गये सर्वेक्षण तथा निबटारा कार्य के दौरान अगरताला, त्रिपुरा में सभी भूमि का सर्वेक्षण कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अगरताला कस्बे में प्राप्त सरकारी खास भूमि का कुल क्षेत्र कितना है ;

(ग) क्या यह भूमि नागरिकों के कब्जे में है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कब्जे में कुल कितनी भूमि है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां।

(ख) ५४९.५६ एकड़।

(ग) केवल कुछ भाग।

(घ) १२८.८७ एकड़।

आन्ध्र प्रदेश में मरेदुमिल्ली-चिन्तूर सड़क

†**१८५३. श्री द० ब० राजू** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक करोड़ रुपये की योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में पूर्व गोदावरी जिले में मरेदुमिल्ली-चिन्तूर सड़क पर अब तक कितना खर्च किया गया है ;

(ख) क्या सड़क बन कर पूरी हो गयी है और यह मोटर चलाने योग्य है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इसके लिये चालू वर्ष में कोई अनुदान दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जुलाई, **१९६२** तक २६.४५७ लाख रुपये ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ङ). सड़क अभी पूरी नहीं बनी है । कई क्रास नालियों का कार्य और सड़क को पक्का करने का काम अभी किया जाना है । सड़क की प्राक्कलित लागत में काफी वृद्धि हो गयी है और १ करोड़ रुपये की योजना में उपबन्धित राशि के अतिरिक्त सहाय्य अनुदान देने की राज्य सरकार की प्रार्थना भारत सरकार के विचाराधीन है । कार्य प्रगति पर है ।

दक्षिण रेलवे पर नीबू का बुकिंग

†**१८५४. श्री द० ब० राजू** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण रेलवे प्राधिकारियों द्वारा बुक किये गये नीबू को वनस्पति की श्रेणी में रखा जाता है ताकि फलों पर रियायती दर से छूट मिले जबकि वही नीबू बंगाल सरकार द्वारा कराधान के लिये फल माना जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). नीबू पर, उनके वनस्पति के रूप में सामान्य रूप से इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए, शुल्क लिया जाता है । रेल द्वारा परिवहन के लिये लिये जाने वाले शुल्क की दर कराधान के लिय वर्गीकरण के आधार पर नहीं है ।

'एयर इंडिया' द्वारा विज्ञापन आन्दोलन

†**१८५५. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा**: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'एयर इण्डिया' ने वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में भारत के बाहर विज्ञापन आन्दोलन पर कितनी धनराशि व्यय की ;

(ख) यह विज्ञापन आन्दोलन किस विज्ञापन अभिकरण द्वारा किया जा रहा है; और

(ग) 'एयर इण्डिया' के साथ उसके ठेके की अवधि कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) क्रमश: ४१ लाख रुपये और ५२ लाख रुपये ।

(ख) विभिन्न देशों में विज्ञापन आन्दोलन उन देशों में अर्हताप्राप्त अभिकरणों द्वारा किया जाता है ।

(ग) ठेके की अवधि एक समय में एक वर्ष है परन्तु उनकी सेवाओं को ध्यान में रख कर, उचित नोटिस देकर उनको समाप्त किया जा सकता है अथवा नवीकरण किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार-पश्चिम बंगाल क्षेत्र में विद्युत् आवश्यकताओं के लिये विदेशी मुद्रा

†१८५६. **श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार-पश्चिम बंगाल क्षेत्र की विद्युत् आवश्यकताओं की जांच करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गयी सचदेव समिति ने भारत सरकार से विदेशी मुद्रा की स्वीकृति में विलम्ब की व्यक्तिगत रूप से पड़ताल करने के लिये एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने के लिये सिफारिश की है; और

(ख) क्या भारत सरकार ने यह सुझाव मान लिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) सिफारिश स्वीकार कर ली गयी है और शीघ्र ही इसके लिये एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया जायेगा ।

आन्ध्र प्रदेश में ग्राम्य विद्युतीकरण

†१८५७. **श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि तीसरी योजना के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश में केवल १५ प्रतिशत गांवों में बिजली लगाई जावेगी जबकि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने लगभग ३० प्रतिशत गांवों में बिजली लगाने का लक्ष्य रखा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : वर्ष १९५१ की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में २६,७४३ कस्बों और गांवों में से द्वितीय योजना के अन्त तक २,१६५ गांवों में बिजली लगाई गयी । तृतीय योजना के अन्त तक २,००० अन्य स्थानों में बिजली लगाये जाने की आशा है जिससे यह प्रतिशतता केवल १५.५७ बैठती है । इस बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया ।

टी० टी० ई० को बटुए का मिलना

†१८५८. **श्री रा० प्र० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ३० जून, १९६२ के 'इण्डियन नेशन' पटना में प्रकाशित "टी० टी० ई० ने खोया बटुआ जमा कराया जिसमें ३०० रुपये थे" शीर्ष के अधीन समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बटुआ उसके स्वामी को वापस कर दिया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सरकार को इस समाचार का पता है ।

(ख) जी, अभी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पटना से बरवाडीह तक ट्रेन सेवा का बन्द किया जाना

†१८५९. श्री स० मो० बनर्जी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरी ग्रोन-सोन और डाल्टनगंज होकर पटना से बरवाडीह तक जो एक्सप्रेस ट्रेन चालू की गयी थी, क्या वह बन्द कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). १-४-१९६२ से केवल प्रयोगात्मक आधार पर पटना और बरवाडीह के बीच दो एक्सप्रेस गाड़ियां संख्या ४७ अप/४८ डाउन चालू की गयी थीं परन्तु उनका चलाना २५-५-६२ से बन्द कर दिया गया है क्योंकि इस पर यातायात संतोषजनक नहीं रहा ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टर

†१८६०. श्री स० मो० बनर्जी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाल्टनगंज (पालामऊ), बिहार में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए कोई क्वार्टर नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में क्वार्टर बनाने के लिए कोई उपबन्ध किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) एक क्वार्टर ।

(ख) क्वार्टरों के निर्माण के लिए एक एकड़ भूमि प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। भूमि प्राप्त करने के बाद क्वार्टर बनाये जायेंगे ।

तम्बाकू की खेती

†१८६१. श्री ह० च० सोय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटा नागपुर के रांची, धनबाद और सिंहभूम जिलों में उगाया जाने वाला तम्बाकू उत्तर बिहार में उगाये जाने वाले तम्बाकू के मुकाबले गिरी किस्म का होता है और उत्पादकों को उसका थोड़ा मूल्य मिलता है;

(ख) क्या छोटे नागपुर और उत्तर बिहार के तम्बाकू उत्पादकों को लाइसेन्स फीस एक ही दर पर देनी पड़ती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तम्बाकू की खेती समाप्त हो रही है क्योंकि लाइसेन्स फीस बहुत अधिक है; और

(घ) छोटा नागपुर के तम्बाकू उत्पादों की स्थिति के अनुकूल लाइसेन्स फीस का पुनरीक्षण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है। फिर भी, बिहार सरकार से जानकारी मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) तम्बाकू की खेती पर कोई लाइसेन्स फीस नहीं लगती।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कोठार बान्ध

१८६२. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी बान्ध (बैरेज) में नेपाल की पहाड़ियों से आने वाले रेत को रोकने के लिए कोठार बान्ध (डैम) बनाने का प्रस्ताव समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि विशेषज्ञों का मत है कि यदि पहाड़ों से आने वाला रेत न रोका जाये, तो बैरेज की अवधि कम और अनिश्चित हो जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) हां।

(घ) कोसी बान्ध (बरेज) की प्रभावी अवधि बढ़ाने के लिए एक दोहरा समाधान विचाराधीन है। इसमें (१) कोठार के पास कोसी के निकास क्षेत्र में रेत रोकने के लिए रोक बान्ध बनाना, और (२) कोसी के जलागम क्षेत्र में भूमि संरक्षण उपायों को अपनाना। कोठार में प्रस्तावित बान्ध स्थल की नींव स्थिति के अध्ययन की भतत्वीय जांच पड़ताल हो रही है। कोसी के जलागम क्षेत्र में भमि संरक्षण योजनाओं को कार्यान्वित करने के उपाय विचाराधीन हैं।

राजस्थान में टिड्डी आक्रमण

†१८६३. **श्री ब्रज राज सिंह** (कोटा) : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कितने गांवों पर हाल के टिड्डी आक्रमण का भारी प्रभाव पड़ा है;

(ख) राजस्थान का कौन सा भाग सब से अधिक प्रभावित हुआ है; और

(ग) इस भारी संकट का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) २२ अगस्त तक, ५५७५ गांवों में से जिनमें टिड्डी आई, ४९५० गांव हम्पारों से साफ कर दिये गये थे।

(ख) प्रभावित जिले मुख्यकर राज्य पूर्वी व पश्चिमी भाग में हैं।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) (१) केन्द्रीय टिड्डी विरोधी संगठन, जो भारत में राजस्थान, पंजाब और गुजरात के लगभग ८०,००० मील मरुस्थल क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण कार्य के लिए जिम्मेदार है, काफी बढ़ा दिया गया है।

(२) मशीनें और टिड्डी जहर काफी मात्रा में खरीदा गया और टिड्डी आने से काफी पहिले महत्वपूर्ण स्थानों पर रख दिया गया था।

(३) फील्ड लोकस्ट आउटपोस्ट की संख्या, जिनके द्वारा केन्द्रीय टिड्डी विरोधी संगठन मरुस्थल क्षेत्रों में काम करता है, इस वर्ष ४१ से बढ़ा कर ५५ कर दी गई है।

(४) राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग से उपलब्ध सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त टिड्डी सम्बन्धी जानकारी के लिए ३६ बिना तार के तार केन्द्र स्थापित किये गये हैं जो लगभग सभी चौकियों को टिड्डी सम्बन्धी स्थिति की शीघ्र जानकारी देते हैं।

(५) भूमि पर नियंत्रण कार्य की सहायता, जहां आवश्यक हो, वैमानिक कार्यवाही से की जाती है।

(६) जिला कलक्टर ग्राम वासियों तथा स्थानीय कर्मचारियों की सहायता से हम्पारों को हटा रहे हैं।

डाक तार विभाग के वार्षिक खेल

१८६४. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष से डाक-तार विभाग द्वारा जो वार्षिक खेल कूद समारोह किये जा रहे हैं वे खूब लोकप्रिय व सफल सिद्ध हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे प्रारम्भ से अब तक किस-किस वर्ष किस-किस स्थान पर आयोजित किये गये थे ;

(ग) प्रतिवर्ष उनमें कितने व्यक्तियों ने भाग लिया ;

(घ) उन खेल कूद समारोहों पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय हुआ ; और

(ङ) उन खेल कूदों का स्तर और ऊंचा करने तथा इन समारोहों को और सफल बनाने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं अथवा विचार किया जा रहा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख), (ग) तथा (घ) विवरण पत्र संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०**]

(ङ) (१) खेलकूद एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन, उन्नति और विकास तथा उन पर पूरा-पूरा नियन्त्रण करने के लिये मुख्यालय में, परिमण्डल (प्रादेशिक) तथा मण्डल स्तर पर अपने सम्बद्ध यूनिटों सहित, एक डाक-तार खेल कूद नियन्त्रण बोर्ड स्थापित किया गया है, जिसमें ऐसे क्रियाकलापों से सम्बन्धित टूर्नामेंट, प्रदर्शनियां, खेल कूद उत्सव समारोह आदि भी शामिल हैं।

(२) इन क्रियाकलापों की उन्नति से सम्बन्धित कार्यक्रमों की देखभाल के लिये मुख्यालय में एक सहायक महानिदेशक (स्पोर्ट्स) का पद बनाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में पेय जल सम्भरण योजनायें

१८६५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नगरों व ग्रामीण क्षत्रों की पेय जल सम्भरण योजनाओं के लिये कितनी-कितनी धन राशियों की मांग की थी ;

(ख) उनमें से प्रतिवर्ष इस कार्य के लिये केन्द्र द्वारा कितनी-कितनी सहायता स्वीकार की गई ;

(ग) प्रतिवर्ष कितने नगरों व कितने ग्रामों को पेय जल की सुविधायें उपलब्ध की गईं ; और

(घ) सन् १९६२–६३ के लिये इस सम्बन्ध में किस प्रकार का कार्यक्रम स्वीकार किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१]

(ग) और (घ). राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

विमान दुर्घटना

१८६६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० अगस्त, १९६२ को उत्तर-प्रदेश के नैनीताल जिले में काशीपुर के समीप कीटाणु-नाशक दवाइयों का छिड़काव करने वाला एक विमान गिर कर ध्वस्त हो गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दुर्घटना के कारणों, परिस्थितियों, जन धन की हानि आदि सभी आवश्यक बातों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायगा ; और

(ग) हताहतों को अथवा उनके परिवारों को सहायता देने की क्या व्यवस्था की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). मेसर्स एविएशन सर्विसेज का एक आस्टर वायुयान वी०टी०-सी०एल०ओ०, जो कि गन्ने की फसल पर छिड़काव करने में लगा हुआ था, नैनीताल जिले में काशीपुर से लगभग चौदह मील दूर बख्शी गांव के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुयान में बैठे एकमात्र व्यक्ति विमान-चालक की मृत्यु हो गई और वायुयान की काफी क्षति हुई । दुर्घटना की जांच नागर विमानन विभाग के एक अधिकारी कर रहे हैं । दुर्घटना के कारणों के बारे में जांच रिपोर्ट, पूरी हो जाने और सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद, सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) मृतक विमान-चालक के परिवार के सदस्यों को अभी तक कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है ।

आसाम में कृषि विश्वविद्यालय

१८६७. **श्री ओ० ना० हजारिका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार, जोरहाट, आसाम में प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान देने का विचार करती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उस दिशा में किसी प्रगति की सूचना राज्य सरकार ने दी है और प्रायः प्रत्येक राज्य में एक एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में कितना समय लगेगा; और

(ग) कृषि विश्वविद्यिालयों को सहायक अनुदान देने की कसौटियां क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). अभी तक आसाम सरकार की ओर से जोरहाट में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अतः सहायक अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना मुख्यतः राज्य सरकारों का काम है । यदि किसी राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाती है, और सम्बद्ध राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाती है तो वह योजना केन्द्र से सहायक अनुदान प्राप्त करने के लिये अर्ह होती है ।

रेलवे म अराजपत्रित चिकित्सा पदाधिकारी

१८६८. श्री विश्वनाथ पांडे : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में कोई अराजपत्रित चिकित्सा पदाधिकारी भी हैं ;

(ख) उनमें कितने पूर्वोत्तर रेलवे में हैं ; और

(ग) क्या इन पदाधिकारियों को तृतीय श्रेणी में रखा गया है और क्या कम्पाउण्डर, नर्स, ड्रैसर और क्लर्क भी उसी श्रेणी में रखे गये हैं ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). शायद माननीय सदस्य का मतलब असिस्टेंट सर्जनों से है, जिन्हें पांच वर्ष का सेवा-काल पूरा होने पर अवैतनिक राजपत्रित अफसरों का दर्जा दिया जाता है । पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ऐसे ४५ असिस्टेंट सर्जनों में से ४१ को यह दर्जा देने के लिये कार्रवाई कर रहा है, जिनका सेवा-काल पूरे पांच वर्ष का हो चुका है । यद्यपि इन कर्मचारियों का दर्जा तीसरी श्रेणी के बराबर होगा, जिसमें कम्पाउण्डर, नर्स, ड्रैसर और क्लर्क रखे जाते हैं, फिर भी ये पहली और दूसरी श्रेणी की कुछ सुविधाएं पाने के हकदार हैं ।

कृषि आयक्त

†**१८६६. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि आयुक्त तथा विस्तार आयुक्त के कर्तव्य क्या हैं; और

(ख) क्या उन पदों का स्वरूप प्रविधिक और वैज्ञानिक है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) कृषि आयुक्त के कर्तव्य

(१) राज्य सरकारों और कृषि संस्थाओं द्वारा भेजी गई अनुसंधान योजनाओं का परीक्षण;

(२) विभिन्न अनुसंधान योजनाओं के नाम के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्टों और प्रविधिक कार्यक्रमों का परीक्षण तथा उनका निरीक्षण ;

(३) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जो योजनाएं बनाता है उनको तैयार करना;

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) कृषि अनुसंधान योजनाओं और देश की कृषि सम्बन्धी प्रविधिक समस्याओं के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रकाशित विविध पत्रिकाओं द्वारा सूचना का प्रसार करना ;

(५) भारत सरकार, राज्य सरकारों, योजना आयोग, अनुसंधान संस्थाओं तथा सामग्री समिति को कृषि सम्बन्धी समस्याओं से सम्बन्धित मामलों पर मंत्रणा देना ।

बिस्तार आयक्त के कर्तव्य—

(१) देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से राज्यों में 'पैकेज' कार्यक्रम के नाम से सामान्यता क्षति गहन कृषि जिला कार्यक्रमों के सक्रिय तथा शीघ्र कार्यान्वित करवाना ;

(२) कृषि अनुसंधान संस्थाओं और किसानों के बीच सम्पर्क कायम रखना ;

(३) विस्तार कर्मचारियों मुख्यतः ग्रामसेवकों और ग्रामसेविकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, तथा विषयों के विशेषज्ञों की सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ;

(४) कृषि विषयक जानकारी और साहित्य तैयार करने तथा उनके वितरण एवं प्रचार साधनों के द्वारा किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं के लाभार्थ खेतीबाड़ी के उत्तम उपायों के सम्बन्ध में कृषि सम्बन्धी सूचना के प्रसार की व्यवस्था करना ;

(५) प्रौद्योगिकीय उन्नति लाने की दृष्टि से खेती बाड़ी के शैक्षिक पहलुओं पर, विषयों के विशेषज्ञों के एक दल के द्वारा, जो विस्तार कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त हैं, राज्यों में कृषि विभागों और अन्य विस्तार अभिकरणों को मंत्रणा देना ।

(ख) कृषि आयुक्त का पद प्रविधिक है, किन्तु विकास आयुक्त का पद प्रविधिक नहीं है ।

वरिष्ठ पदों के लिये भरती

†१८७०. **श्री बृजेश्वर प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान विद्या, मुर्गीपालन, भूमि, जानकारी आदि जैसे विषयों के विशेषज्ञों के वरिष्ठ पदों के लिए भरती करने की क्या प्रक्रिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : उद्यान विद्या, मुर्गीपालन, भूमि, जानकारी, आदि जैसे विषयों के विशेषज्ञों के वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से प्रत्येक पद के लिए बनाये गये नियमों के अनुसार होती है । इस नियुक्ति के लिए या संघ लोक सेवा आयोग समाचारपत्रों में विज्ञापन देता है या राज्य सरकारों के काम कर रहे अधिकारियों में से कुछ अधिकारियों को अवधिविशेष के लिए रखा जाता है, या राज्य सरकारों से या केन्द्रीय सरकारों से उपयुक्त अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

पैकेज प्रोग्राम

†१८७१. **श्री बृजेश्वर प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैकेज प्रोग्राम के लिए जिलावार कितने परिव्यय-धन की व्यवस्था है; और

(ख) प्रोग्राम के अन्तर्गत लाये जाने वाले नये जिलों की अपेक्षा यह राशि कम है या अधिक?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). जिलावार परिव्यय धन राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है [देखिये **परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२**]

ग्रामीण विकास संबंधी प्रशिक्षण योजनायें

†१८७२. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबकि ग्रामीण विकास सम्बधी प्रशिक्षण योजनायें सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहयोग मंत्रालय चलाता है तो केवल ग्राम सेविकाओं को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विस्तार निदेशालय में प्रशिक्षण देने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वह सच है कि लगभग ४० उम्मीदवारों को विस्तार प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है जबकि वर्तमान विदेशी मुद्रा की स्थिति इतनी कठिन है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले दस सालों में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र बनाने के लिए विस्तार सम्बन्धी पर्याप्त अधिकारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया है; और

(घ) क्या विस्तार कार्य ऐसा विशेष कार्य है जिसके लिए प्रयोगशाला और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है जिनकी देश में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) ग्राम सेविकाओं का मुख्य कार्य किसानों को कृषि के उत्तम ढंग अपनाने में और गांवों में खेती का स्तर ऊंचा करने में सहायता देना है । अतः ग्रामसेविका के प्रशिक्षण में कृषि मुख्य आधार होना चाहिये । इसी कारण इस श्रेणी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए कृषि विभाग सर्वोतम एजेन्सी है ।

(ख) वर्ष १९६३ में विस्तार प्रशिक्षण के लिए लगभग ४० उम्मीदवारों को विदेश भेजने का अनिश्चित विचार है परन्तु कोई विदेशी मुद्रा व्यय नहीं होती । इसका कारण यह है कि प्रशिक्षणार्थियों की दोनों ओर की यात्रा तथा विदेशों में उनका निर्वाह व्यय का सारा व्यय अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेन्सी उठायेगी ।

(ग) नहीं, क्योंकि वर्ष १९५१ से १९६१ तक कृषि विस्तार तथा विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में केवल ३३ व्यक्तियों ने विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है ।

(घ) "विस्तार" एक विशिष्ट विषय है । इसके लिए केवल विशेषज्ञ अध्यापक कर्मचारियों तथा सामान की ही आवश्यकता नहीं है अपितु उन देशों में व्यावहारिक फील्डट्रेनिंग की आवश्यकता है जहां विस्तार सेवायें पर्याप्त प्रगति कर चुकी हैं । फिर भी, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली में विस्तार सम्बन्धी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हाल में आरम्भ कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, हैदराबाद तथा आनन्द में दो विस्तार शिक्षा संस्थायें बनाई जा रही हैं ताकि विस्तार शिक्षा सम्बन्धी उच्च प्रशिक्षण दिया जा सके जिससे एम० एम० और पी० एच डी० की उपाधियां मिलेंगी ।

आन्द्राथ तथा कवरती द्वीप समूह में प्रकाश स्तम्भ

†१८७३. **श्री नल्ला कोया** : क्या **परिहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्द्राथ द्वीप में सामान्य प्रकाश स्तम्भ तथा कवरती द्वीप में स्थानीय प्रकाशस्तम्भ बनाने के प्रस्ताव के बारे में वर्तमान प्रगति क्या है; और

(ख) योजना कब निश्चित हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). आन्द्राथ द्वीप प्रकाशस्तम्भ के लिए दृष्टि सम्बन्धी सामान्य जहाज़ में भारत आ रहा है। द्वीप में निर्माण कार्य करने के लिए किसी ठेकेदार के तैयार न होने के कारण, प्रयास किया जा रहा है कि इस कार्य को लक्कदीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह के प्रशासक के विभाग द्वारा कराया जाये।

कवरती द्वीप के बारे में, वहां प्रकाशस्तम्भ बनाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

कडुनाथ तथा चतेलत द्वीपों में चिकित्सा सुविधायें

†१८७४. **श्री नल्ला कोया** :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कडुनाथ तथा चतेलत द्वीप-वासियों को कोई चिकित्सा सुविधायें नहीं हैं;

(ख) क्या यह सच है कि योजना आयोग इन द्वीपों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का सुझाव पहिले ही दे चुका है; और

(ग) योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवही की गई है और सरकार का विचार कब तक केन्द्र खोलने का है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) कड़ामठ और चथलथ द्वीपों में से प्रत्येक में एक एक प्रसव केन्द्र है। इन में से प्रत्येक केन्द्र में एक प्रसव सहायक और एक आया है।

(ख) योजना आयोग तीसरी योजना काल में इन प्रसव केन्द्रों को प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बदलने से सहमत हो गया है।

(ग) (१) कड़मठ और चतलत मैं प्रसव केन्द्रों को वर्ष १९६२–६३ में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बदलने के आदेश पहिले ही दिये जा चुके हैं।

(२) अपेक्षित चिकित्सा सामान देने के लिए मद्रास के चिकित्सा भण्डार विभाग को आदेश दे दिये गये हैं।

(३) चिकित्सा अधिकारियों के दो पद स्वीकृत हो चुके हैं और उन्हें भरने का प्रयास किया जा रहा है।

पदों पर डाक्टरों के आते ही केन्द्र प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में काम करना आरम्भ कर देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में सिंचाई की बड़ी परियोजनायें

१८७५. { **श्री बेधे :**
श्री तुलशी दास जाधव :
श्री वि० तु० पाटिल : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री महाराष्ट्र राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में सिंचाई की स्वीकृत बड़ी परियोजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में महाराष्ट्र में पुरना परियोजना ही सिंचाई की बड़ी परियोजना है।

महाराष्ट्र में सिंचाई की बड़ी परियोजनायें

१८७६. { **श्री बेधे :**
श्री तुलशी दास जाधव :
श्री वि० तु० पाटिल : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में सिंचाई की ऐसी स्वीकृत और प्रारम्भ की गई बड़ी परियोजनायें कौन कौन हैं ; जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार को उन के कब पूरी होने की आशा है ; और

(घ) इन परियोजनाओं का पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) (१) वीर बान्ध

(२) न्यु खड़कवसाला

(३) गिरना

(४) मूला

(५) पुरना (तीसरी योजना में स्वीकृत हुई किन्तु इसका आरम्भ दूसरी योजना में हो गया था)

(ख) से (घ). मूला परियोजना को छोड़कर सभी परियोजनायें तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में समाप्त होने को हैं। आशा है कि मूला परियोजना चौथी योजना में पूरा होगा ।

योजना आवंटन करते समय, पूर्ति के लिए चालू योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है । ताकि शीघ्र ही लाभ प्राप्त होने लगे । इन परियोजना की प्रगति का पुनरीक्षण केन्द्रीय सिंचाई दल ने किया है । परियोजनाओं का कार्य सन्तोषजनक ढंग से हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन पर विदेशी पर्यटकों का 'ग्रुप बुकिंग'

†१८७७. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा अभिकरण जैसे "होटलप्लान" दक्षिण पूर्व एशिया के पर्यटकों को परामर्श दे रही है कि भारत में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन "ग्रुप बुकिंग" नहीं करती है इसलिये भारत को अपनी यात्रा में शामिल न करें ?

(ख) क्या सरकार जानती है कि एयर इंडिया द्वारा किये गये पर्यटन यातायात पर आन्तरिक उड़ानों में ग्रुप बुकिंग न होने के कारण बुरा असर पड़ रहा है ;

(ग) क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिए एयर इंडिया को कोई अन्य प्रस्ताव दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव क्या हैं ; और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा अभिकरणों के ऐसे परामर्श की जानकारी नहीं है । परन्तु यह सच है कि अपने वर्तमान विमानों के द्वारा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन मांग के अनुसार स्थान नहीं बना सकी है।

(ख) और (घ). जब कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन सामान्यतः ट्रंक मार्गों पर जिन पर वाइकाउन्ट और फाकर विमान चलते हैं उनकी ग्रुप बुकिंग की मांग पूरी करती है तभी उन के लिए बड़ा कठिन है कि २० से अधिक संख्या वाले व्यक्तियों के ग्रुप को बुक करें क्योंकि डकोटा विमानों में स्थान बड़ा सीमित होता है । इसका एयर इंडिया पर निश्चित रुप से बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वही पर्यटकों के ग्रुपों को भारत लाता है। एयर इंडिया का कुछ अन्य यात्रा अभिकरणों ने इस समस्या की ओर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का ध्यान दिलाया है।

परन्तु कारपोरेशन यथासंभव प्रयत्न कर रहा है कि अतिरिक्त सेवा चला कर अथवा बड़े विमानों के मार्ग बदल कर मांग पूरी करे। परन्तु विमान सीमित होने के कारण सर्वदा यह संभव नहीं होता कि ग्रुप बुकिंग की मांग पूरी की जाये। जब डकोटा के स्थान पर कारपोरेशन बड़े तथा आधुनिक विमान चलाने में समर्थ हो जायेगा तब स्थिति में सुधार हो जायेगा।

जिला शोलापुर, महाराष्ट्र में पीने के पानी का संभरण

†१८७८. **श्री सोनावने :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर जिले में उन क्षेत्रों जो सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आते हैं के संबंध में पीने के पानी के संभरण की कौन सी योजनाओं को स्वीकृति दी गई अथवा स्वीकृति देने की आशा है ; और

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्र से जल संभरण योजनाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में केन्द्र से कुछ कहा है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) तीसरी योजना के राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम के अधीन अब तक शोलापुर ज़िले में पीने के पानी के संभरण की कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है। परन्तु महाराष्ट्र सरकार का विचार तीसरी योजना में शोलापुर ज़िले में निम्नलिखित नगरीय योजनायें चालू करने का है :—

(१) पंढरपुर जल संभरण (वितरण पद्धति)

(२) संगोला जल संभरण योजना

(३) बारसी जल संभरण योजना

(४) कुरडुवाड़ी जल संभरण योजना

(५) भीमा नदी जल संभरण योजना ।

(ख) योजनायें स्वीकार हो जाने के बाद सामान्य व्यवस्थानुसार राज्य सरकारों को वितीय सहायता दे दी जायेगी ।

जयपुर डिवीजन के लिये वैगन

†१८७९. श्री काशीराम गप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में मासिक वैगन कोटा पद्धति प्रचलित है ;

(ख) यदि हां, तो उस डिवीजन के लिए १९५९, १९६० तथा १९६१ वर्षों के लिए भी वैगनों का कोटा क्या था ;

(ग) १९६०, १९६१ वर्षों में तथा वर्तमान वर्ष में कोटा बढ़ा है अथवा कम हुआ है ;

(घ) यदि घटा है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस डिवीजन में वैगनों की प्राप्यता के संबंध में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) पहले वर्षों अर्थात् १९५९, १९६० तथा १९६१ की तुलना में १९६२ में जयपुर डिवीजन में दैनिक औसत लदान बढ़ा है । जयपुर डिवीजन के स्टेशनों पर यातायात के शीघ्र आवागमन के लिए सभी संभावित कदम उठाये गये हैं ।

रेलवे में रोजगार तथा पदोन्नति के लिये झूठे शिक्षा प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना

†१८८०. श्री जसवन्त मेहता : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों को यह मालूम हुआ है कि कुछ व्यक्ति झूठे शिक्षा प्रमाणपत्र जारी करते हैं जिस से रेलवे में रोजगार तथा पदोन्नति मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) जी हां। कुछ कर्मचारियों ने झूठे प्रमाणपत्र पेश किए हैं ?

(ख) (१) मूल प्रमाणपत्रों की जांच रेलवे सेवा आयोग तथा रेलवे नियुक्ति के समय करता है और जब भी कोई मामला झूठे प्रमाणपत्रों के आधार पर रोजगार अथवा पदोन्नति प्राप्त करने से संबंधित होता है तभी कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है। कर्मचारियों को सेवा-मुक्त कर दिया जाता है ।

(२) मामलों को जांच के लिए राज्य पुलिस को सौंप दिया जाता है तथा सर्टिफिकेट देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। शिक्षा विभागों से भी कार्यवाही करने का परामर्श दिया गया है ।

अननुसूचित विमान संचालकों को विमानों को बदलने के लिये सहायता

†**१८८१. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्र विमान संचालकों (अनअनुसूचित) ने दुर्घटनाग्रस्त विमानों को बदलने के लिए सरकार से सहायता देने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां ।

(ख) मामले की जांच हो रही है ।

यमुना पर छोटे बहुप्रयोजनीय बांध संबंधी समिति

†**१८८२. श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना पर कई छोटे बहुप्रयोजनीय बांध बनाने के प्रस्ताव की जांच में शीघ्रता करने के लिए समिति स्थापित की गई है ;

(ख) उक्त समिति का गठन कैसा है; और

(ग) समिति के प्रस्ताव क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन):** (क) समिति का गठन अभी होना है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खाद्यान्नों के आयात के लिये दिया गया भाड़ा

†**१८८३. { श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री सोलंकी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने पी० एल० ४८० करार के अधीन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में तथा तीसरी पंच-

†मूल अंग्रेजी में

वर्षीय योजना के पहले वर्ष में विदेशी फ्लैग स्टीमरों को विदेशी मुद्रा में अथवा विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय रुपयों में कितना भाड़ा दिया क्या भारतीय जहाजों को कितना भाड़ा दिया ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

वर्ष	विभिन्न मुद्राओं में दी गई भाड़े की राशि (करोड़ रुपयों में आंकड़े)			
	भारत में अमरीकी दूतावास को रूपयों में भुगतान	अपरिवर्तनीय भारतीय रूपयों में	विदेशी मुद्रा में	जोड़
१९५६–५७	२.६५	०.१३	६.८२	९.६०
१९५७–५८	४.७९	कोई नहीं	१०.३६	१५.१५
१९५८–५९	६.५९	०.११	०.९०	७.६०
१९५९–६०	५.७४	०.१८	१.५४	७.४६
१९६०–६१	८.७१	०.३१	८.६६	१७.६८
१९६१–६२	४.२१	०.१२	४.१५	८.४८
जोड़	३२.६९	०.८५	३२.४३	६५.९७

जहाजों के अर्जन के लिये विदेशी मुद्रा

†१८८४. { **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** :
श्री सोलंकी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में विदेशों से जहाज़ों के निर्माण अथवा अर्जन के लिए कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया है; और

(ख) आस्थगित भुगतान के ये अर्जित स्टीमरों के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना अधीन के चार शेष वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

किराये पर लिये गये स्टीमर

†१८८५. { **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री सोलंकी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में और तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में कितने जहाज निर्धारित समय के लिए या यात्रा के लिए किराये पर लिये गये ;

(ख) उन पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में और तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में इस प्रकार समय या यात्रा के लिए किराये की कितनी रकम रुपयों में और विदेशी मुद्रा में दी गयी ; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में और तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में, समय या यात्रा के लिए किराये पर लिये गये इन जहाजों ने भारत के लिए शुद्ध कितनी विदेशी मुद्रा (अर्थात् विदेशी मुद्रा में भुगतान घटाकर माल भाड़े की कमीई) प्राप्त की ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

डाकघर भवन देवरिया

१८८६. { **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम सेवक :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवरिया (उत्तर प्रदेश) में पोस्ट आफिस की इमारत बनाने के लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यह भूमि कब ली गई और इसकी इमारत बनने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह देवरिया पोस्ट आफिस इमारत कब तक बन जायेगी और उस में कितना रुपया खर्च किया जावेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां ।

(ख) जमीन १९४८ में प्राप्त कर ली गई थी । इमारत बनाने के लिए १९५४ में एक प्रायोजना को मंजूरी दे दी गई थी । किन्तु फिर भी डाकघर को पदोन्नत कर के प्रधान डाकघर बना दिया गया, अतः नक्शों में संशोधन करना पड़ा । १९५७ में इमारत बनाने के कार्यों पर जो प्रतिबन्ध लगा दिया गया था उस के कारण प्रायोजना में आगे और विलम्ब हो गया । चूंकि इसी बीच में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो गई, अतः नक्शों में एक बार फिर से संशोधन करना पड़ा । संशोधित नक्शों को नवम्बर, १९५९ में स्वीकृति दी गई और मई, १९६० में प्रारम्भिक प्राक्कलन प्राप्त हुआ । प्रारम्भिक प्राक्कलन में संशोधन करना पड़ा और मार्च, १९६१ में इस कार्य के लिए अन्तिम रूप से मंजूरी दे दी गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) चूंकि २० अगस्त, १९६२ को मांगें गए टेंडरों के कोई उत्तर नहीं मिले अतः टेंडर फिर से मांगे जा रहे हैं। यदि इस वर्ष के दौरान टेंडर स्वीकार कर लिए गए तो काम १९६३ के अन्त तक पूरा हो जाएगा। इस प्रायोजना की अनुमानित लागत, २,६४,००० रु० है।

रेलवे स्कूलों में अध्यापक

†१८८७. **श्रीमती सरोजनी महिषी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि रेलों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं हैं ;

(ख) वहां पर्याप्त संख्या में अध्यापक रखने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ग) अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :(क) से (ग). रेलवे स्कूलों में अध्यापकों की किसी सामान्य कमी के बारे में सूचना नहीं मिली है। विशिष्ट मामलों के संबंध में जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

हुबली शोलापुर लाइन पर सीतीमनी पुल

†१८८८. { **श्री स० ब० पाटिल :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के हुबली शोलापुर लाइन पर सीतीमनी पुल पर फिर से गर्डर लगाने का काम रुक गया है और उस से यातारात में भारी रुकावट पैदा हो गयी है ; और

(ख) क्या इस लाइन पर शीघ्र यातायात की सहूलियत के लिए जल्द ही यह काय शुरू करने का सरकार का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां। इस रेलवे पुल पर फिर से गर्डर लगाने का कार्यक्रम बनाया गया था लेकिन १९५९ से यह काम रोक दिया गया है क्योंकि मैसूर राज्य सरकार ने कृष्णा नदी पर बांध बनाने की योजना बनायी है जिससे यह पुल डूब जायेगा।

(ख) अब यह पता चला है कि राज्य सरकार की यह योजना कुछ समय के लिए संभतः कार्यान्वित नहीं की जायेगी। इसलिये, मूल योजना के अनुसार, इस पुल पर फिर से गर्डर लगाने का काम शुरू करने का निश्चय किया गया है।

मैसूर राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण जल संभरण योजनायें

†१८८९. **श्री सं० ब० पाटिल :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण जल संभरण संबंधी कोई योजनाएं हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं कौन कौन सी हैं और किस प्रकार की हैं ;

(ग) क्या इन योजनाओं को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां।

(ख) (१) दूसरी योजना में आरम्भ की गयी जल संभरण और सफाई योजनाएं पूरी करने के लिए ;

(२) जिन गांवों में कुएं नहीं हैं वहां कुएं खोदने के लिए।

(ग) और (घ). जी हां। १९६१-६२ में २२ लाख रूपये की रकम खर्च की गयी और १९६२-६३ के लिए ३६ लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है।

मैसूर में टेलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन आफिस

†**१८९०. श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में मैसूर राज्य में कितने टेलीफोन एक्सचेंज़ तथा सार्वजनिक टेलीफोन आफिस खोलने का विचार है ; और

(ख) इनको किन स्थानों पर खोलने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (घ) तीसरी योजना में ४५ नये एक्सचेंज़ और १३० सार्वजनिक टेलीफोन आफिस अस्थाई रूप से खोलने का विचार है।

(ख) जिन स्थानों पर एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन आफिस खोलने का विचार है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६३**]। इनके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी यदि उन से पर्याप्त आय हुई तो एक्सचेंज और टेलीफोन आफिस खोलने का विचार है।

मैसूर और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय जल संभरण और सफाई कार्यक्रम

†**१८९१ श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम के अधीन तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा सरकार को कितनी सहायता का अनुदान दिया गया ;

(ख) मैसूर राज्य सरकार ने इन अवधियों में से प्रत्येक में कितना धन व्यय किया ; और

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम के अधीन राजस्थान के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना धन आवंटित किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) मैसूर सरकार को राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम (ग्रामीण) के अधीन १९५७-५८ में ग्रामीण जल संभरण तथा सफाई योजनाओं के लिए २६.८० लाख रूपये स्वीकार किये गए थे। १९५८-५९ के बाद से वर्तमान प्रक्रिया के

†मूल अंग्रेजी में

अनुसार राज्यों को धन योजनाओं के मोटे मोटे वर्गों अथवा श्रेणियों के लिये इकट्ठा धन भी स्वीकार किया जाता था और एक योजना के लिए नहीं। इसलिए राष्ट्रीय जल संभरण तथा सिंचाई कार्यक्रम (ग्रामीण) के लिए विशेषतया स्वीकृत अनुदान का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) जानकारी राज्य सरकार से मंगाई गई है और मिलने पर सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) राजस्थान की तीसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्य-क्रम के अधीन नगरीय योजना के लिये ४ करोड़ तथा ग्रमीण योजना के लिए २ करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

मैसूर राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण

†१८९२. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के कितने गांवों में अब तक बिजली लगा दी गई है ;

(ख) मैसूर राज्य में तीसरी योजनावधि में कितने गांवों में बिजली लगा दी जायेगी ; और

(ग) तीसरी योजनावधि में इस काम के लिए कितना धन स्वीकार किया गया तथा कितना अब तक व्यय किया गया ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ३१–३–१९६२ तक १,८२२ गांवों में।

(ख) २,७४२ (पूर्वानुमानित)।

(ग) राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए तीसरी योजना में ४२५ लाख रुपये का उपबन्ध है। १९६१–६२ में 'विद्युत् योजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण समेत' पर लगभग २२२ लाख रुपये का व्यय किया गया है।

पश्चिम बंगाल---बिहार औद्योगिक बस्ती में बिजली का संभरण

†१८९३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर विद्युत् संयंत्र (जिस में हाल में ही आग लग गई थी) तथा बोकारो संयंत्र में बिजली का संभरण भंग हो जाने के कारण पश्चिमी बंगाल बिहार औद्योगिक बस्ती की दशा बहुत खराब है ; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक बस्ती में कितनी बिजली का संभरण सामान्य करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

डाक तथा तार के लिये विश्व बैंक का ऋण

†१८९४. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(घ) क्या डाक तथा तार बोर्ड को सभापति के नेतृत्व में तीन सदस्यों का शिष्टमण्डल डाक तथा तार की तीसरी योजना के कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से ऋण की बातचीत के लिए नई दिल्ली से चला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मांगे गए ऋण से किन योजनाओं में धन लगाया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य योजनायें हैं ; स्थानीय एक्सचेंज का विस्तार, कोक्शल केबल और माइक्रोवेव प्रोजैक्टों समेत ट्रंक टेलीफोन का विस्तार, तथा रेल के विद्युतीकरण कार्य क्रम से संबंधित दूर संचार और तार सेवाओं में सुधार ।

मुरैना में डिलक्स ट्रेन का पटरी से उतर जाना

†**१८९५. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५ अगस्त, १९६२ को मद्रास जाने वाली २२ अप–डिलक्स एक्सप्रेस मुरैना में पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस के पटरी से उत्तर जाने के कारण यदि जान और माल की कोई हानि हुई है तो वह क्या है ;

(ग) क्या दुर्घटना की कोई जांच की गई है , और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमान है कि रेलवे सम्पत्ति की ३,७२,००० रुपये की हानि हुई है । दुर्घनटना में कोई व्यक्ति नहीं मरा था ।

(ग) और (घ). जी हां । रेलवे सुरक्षा, बम्बई, के अतिरिक्त आयुक्त ने दुर्घटना की जांच की थी और उनकी उपपत्तियों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

तिनेलवेली एक्सप्रेस की लेबल क्रासिंग पर दुर्घटना

†१८९६. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० प० स्वामी : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ अगस्त , १९६२ को मद्रास में उपनगरीय कोदामबकूम तथा मामबलम स्टेशनों के बीच लैवलक्रासिंग पर तिनेलवेली एक्सप्रेस से एक टैक्सी टकरा गई थी ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे थे ; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** :(क) जी हां।

(ख) टैक्सी के ड्राइवर और टैक्सी में बैठे दो व्यक्तियों के चोटें आईं। रेलगाड़ी के किसी भी व्यक्ति के चोट नहीं लगी।

(ग) वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की एक समिति जांच कर रही है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भेषज (पहला संशोधन) नियम

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं भेषज अधिनियम, १९४० की धारा ३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २१ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८४ में प्रकाशित भेषज (पहला संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रख रहा हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ३८० (६२) शस्त्र नियम]

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं शस्त्र अधिनियम १९५९ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८७ में प्रकाशित शस्त्र नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३८१ / ६२]

पिछड़े वर्गों के प्रभारी राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन क निष्कर्ष

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : मैं अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में नई दिल्ली में २६, और २७ जुलाई, १९६२ को हुए पिछड़े हुए वर्गों के प्रभारी राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३८२ / ६२]

नियम ६६ के परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ और नागालैण्ड राज्य विधेयक, १९६२ पर विचार करने और उन्हें पारित करने सम्बन्धी प्रस्तावों के विषय में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६६ के परन्तुक को लागू होने से विलम्बित कर दिया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

इस नियम के परन्तुक के अन्तर्गत यदि कोई विधेयक किसी अन्य विधेयक पर आश्रित हो तो ऐसा विधेयक तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य विधेयक अधिनियम न बन जाए।

नागालैंड राज्य विधेयक संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक पर अग्रिम आश्रित है। दूसरी ओर संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक भी नागालैंड राज्य विधेयक पर आश्रित है। यह बात संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित अनुच्छेद ३७१—ए के अन्त में दिए गए व्याख्या से स्पष्ट होंगे । इस के अतिरिक्त संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित नए अनुच्छेद ३७१ —क में नागालैंड राज्य , नागालैंड, नागालैंड विधान सभा, नागालैंड राज्य का राज्यपाल जो कि जब नागालैंड राज्य विधेयक पारित हो जाए और लागू हो जाए तब अस्तित्व में आयेंगे का बार बार उल्लेख आता है। इन सब से यह मालूम होता है कि दोनों विधेयक एक दूसरे पर अश्रित हैं।

यदि नागालैंड राज्य विधेयक का पारित किया जाना संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक के संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये जाने तक के लिये स्थगित कर दिया जाएगा तो विधान सभा निर्वाचित क्षेत्रों के सीमांकन जैसे प्रारंभिक कदम नहीं उठाये जा सकेंगे । वह सरकार की इस इच्छा के विरुद्ध होगा कि ऐसे प्रारंभिक कदम शीघ्र उठाये जाने चाहियें । संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक के अनुसमर्थन में कछ समय लगेगा, योंकि राज्य विधान सभाएं शायद अभी नहीं बैठ रही हों। ऐसी परिस्थितियों में मैं सुझाव देता हूं कि सभा को नियम ६६ के परन्तुक का निलम्बन स्वीकार कर लेना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ और नागालैण्ड राज्य विधेयक, १९६२ पर विचार करने और उन्हें पारित करने सम्बन्धी प्रस्तावों के विषय में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६६ के परन्तुक को लागू होने से निलम्बित कर दिया जाये"

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : दोनों विधेयक एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। अतः नियमों का निलम्बन आवश्यक नहीं है। मैं इस विषय पर आपका विनिर्णनय चाहती हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां दोनों विधेयक सम्बद्ध हैं और जब तक नियमों का निलम्बन न हो तो कार्यवाई नहीं चल सकेगी ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : संविधान का संशोधन नागालेंड विधेयक के पारित किये जाने के फलस्वरूप होगा। जब तक वह विधेयक पारित नहीं होगा तब तक 'नागालेंड राज्य' शब्दों की उत्पत्ति ही नहीं होगी और तब तक नागालैंड राज्य का जन्म नहीं होगा तब तक संविधान के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। अतः नियम को निलम्बित नहीं करना चाहिए।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : प्रधान मंत्री जी ने अभी जो प्रस्ताव किया है उस के सम्बन्ध में एक से अधिक आपत्तियां हो सकती हैं। प्रक्रिया नियमों के परस्पर आश्रित विधेयक के संबंध में कोई नियम नहीं है । नागालैण्ड राज्य विधेयक पहले पारित करना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** जो माननीय सदस्य की राय है कि बिना संविधान के संशोधन के नागालैण्ड राज्य विधेयक पारित किया जा सकता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** अतः मैं कहता हूं कि परस्पर आश्रित विधेयकों के लिए कोई नियम नहीं है और नहीं कोई परन्तुक है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां नियम नहीं है मैं प्रक्रिया को विनियमित कर सकता हूं । अतः उस के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** अगली बात परन्तुक को हटाने या निलम्बित करने के बारे में है वह इस लिए कि वह राष्ट्रपति द्वारा अनुमति के बारे में है । यह सरकार के रास्ते में रुकावट है ।

मान लीजिए कि संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक को जिसे पारित किया जाना चाहिए राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलती या वे सदन को विधेयक वापिस भेज देते हैं । तो नागालैंड राज्य विधेयक पर पुनः विचार आदि करना पड़ेगा । जिस से सदद का समय निष्फल होगा ।

अतः दोनों विधेयकों पर अलग अलग विचार होना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या विधि मंत्री इस मामले पर कुछ कहना चाहेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन :** हमें श्री कामत की आपत्तियों से विश्वास नहीं हुआ है । नागालैण्ड विधेयक को देखने से पता चलेगा कि हम केवल अलग राज्य ही नहीं स्थापित कर रहे हैं । हम एक विधान सभा स्थापित कर रहे हैं । जिसको सीमित शक्तियां हैं । जैसा कि अनुच्छेद ३७१–ए में कहा गया है जिसे संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक संविधान में जोड़ने की प्रस्तावना करता है ।

नागालैंड राज्य विधेयक पर उस के विशेष उपबन्धों के कारण नहीं किया जा सकता तब तक कि हम संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित न करें । साथ ही संविधान (संशोधन) विधेयक दूसरे विधेयक पर आश्रित है, क्योंकि इस में नागालैण्ड इत्यादि का जिक्र है । इस का मतलब यह है कि जब तक नागालैण्ड न स्थापित किया जाए, इस विधेयक का कोई मतलब नहीं होगा । अतः किसी भी विधेयक को पहले लीजिए । इतराज होगा । यही बात जब विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तो श्री कामत ने कही थी । अब वे इसे नहीं मामते ।

किसी भी सभा के नियम किसी काम के लिये होते हैं । यदि यह ध्येय हो कि नागालैण्ड के लोगों को जो कुछ संसद् ने पहले मंजूर किया है देना है तो प्रक्रिया के नियमों को अंतिम जैसा मान लिया जाए ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** नियम अनुलंघनीय नहीं ह । परन्तु हमें नियमों का आदर करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** नियमों के निलम्बन के प्रश्न का निर्णनय स्वयं सभा द्वारा किया जाता है । प्रक्रिया नियम ३८८ के अन्तर्गत प्रस्ताव पेश किया जा चुका है । अब यह सदन के हाथ में है कि वह उसे स्वीकार करे या न करे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** पहले नागालैंड राज्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं जिसमें कि संविधान में और संशोधनों की आवश्यकता पड़े ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : अनुच्छेद ३७१ का संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि हम राज्यपाल को विशेष शक्तियां देने का विचार कर रहे हैं। क्या हम इस बात को पहले से नहीं मान रहे कि अगले विधेयक में सदन राज्यपाल को विशेष शक्तियां देने के लिए मान जाएगा। यदि सदन उस बात को नहीं मंजूर करता तो सारा मामला उलट हो जाएगा। हम नागालैंड विधेयक को बिना निलम्बन के पारित कर सकते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय—

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं। आप जो सुनाना चाहते हैं उसको सुनने में मुझे कोई उज्र तो नहीं है, पर मुझे यही डर है कि इसके सम्बन्ध में नहीं होगा।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं इसी के सम्बन्ध में कहूंगा, और कोई दूसरी बात नहीं कहूंगा। प्रथम बात तो यह है कि यह विधान अनेक बार बदला जा चुका है और अब इसको फिर बदलने का यत्न किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी बात सुन तो लीजिए। आज जो संशोधन पेश किया जा रहा है वह इसलिए है कि नागालैंड बने और उसके लिए यह यत्न किया जा रहा है कि यह बिल पास हो। मैं कहना चाहता हूं कि अपने बनाए हुए विधान को इस प्रकार बार-बार बदलना ठीक नहीं। यह कोई रबड़ की नाक तो है नहीं जिसको इस प्रकार बदला जा सकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने पेश है। इसलिए जो तर्क उपस्थित किये गये हैं उनको हिन्दी में भी बताया जाना चाहिए। यह कोई इंगलैंड की पार्लियामेंट तो नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां सारा काम अंग्रेजी में होता है। इसलिए हम उसकी चर्चा अंग्रेजी में कर सकते हैं। अब आप तशरीफ रखिए। आप कानून में भी दखल देते हैं।

मेरे विचार में नियमों का निलम्बन करके दोनों विधेयकों के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जाएं। जहां तक चर्चा का सम्बन्ध है, दोनों विधेयकों पर इकट्ठी चर्चा हो सकती है उसके बाद हम पहले नागालैंड के बारे में प्रश्न सदन के सामने रख सकते हैं फिर दूसरे विधेयक के बारे में। हम नियमों का निलम्बन कर सकते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वर्तमान मामले में नियम लागू नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

> "कि संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ और नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२ पर विचार करने और उन्हें पारित करने सम्बन्धी प्रस्तावों के विषय में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६६ के परन्तुक को लागू होने से निलम्बित कर दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और नियम का निलम्बन कर दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ तथा नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२

†श्री जवाहर लाल नेहरू : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा है, ये दो विधेयक एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मतदान के समय आप किस पर मतदान पहले करते हैं किन्तु विचार करने की अवस्था पर दोनों पर इकट्ठा विचार किया जाना है, ताकि माननीय सदस्य पूरी स्थिति को देख सकें और इसकी आलोचना कर सकें या इसे संशोधित कर सकें।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

"कि नागालैंड राज्य की स्थापना और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

दो साल पहले मैंने सदन में नागालैंड और वहां के नेताओं के साथ किये गये समझौते के बारे में एक वक्तव्य दिया था। आज हम जो कुछ कह रहे हैं, वह उस समझौते के अनुसरण में है। यह केवल बिल्कुल नई चीज नहीं है। उस समझौते पर दो साल तक अमल होता रहा है, यद्यपि संविधान में संशोधन नहीं किया गया था।

हम यह कार्यवाही पहले करते, किन्तु चूंकि स्थिति साधारण नहीं थी, हमने सोचा कि पहले स्थिति साधारण होनी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि अब स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है, किन्तु पहले से बहुत अच्छी है। नागालैंड स्थायी परिषद् असाधारणतया सफलतापूर्वक काम करती है। उसने इच्छा प्रकट की थी कि दो साल पहले के समझौते को अब क्रियान्वित किया जाये। इसलिये सदन इन विधेयकों के सिद्धान्त पहले ही स्वीकार कर चुका है।

अब मुझे इस संशोधन को प्रस्तुत करते हुए खुशी होती है हम सैनिक शक्ति प्रयोग करने के विरुद्ध हैं किन्तु कुछ विरोधी तत्वों के खिलाफ ऐसा करना पड़ा। हमने इन्हें राजनैतिक तरीकों से अपनाना चाहा है। नागा नेताओं ने जो १६ सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत किया था, उसे हमने लगभग सारा मान लिया था। सदन के सामने भी इसे रखा गया था और मोटे तौर पर उसने इसकी मंजूरी दी थी। अब उसको क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत उपबन्ध किये जा रहे हैं।

१९४७ में आजादी के बाद, नागा हिल्ज़ ज़िला और ट्यूनसांग ज़िला को उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी में शामिल करके इन्हें संविधान की ६ठी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।

बाद में कुछ लोगों ने सशस्त्र विरोध आरम्भ किया था और हत्या, लूटमार आदि भी हुई थी। हमें सैनिक कदम उठाने पड़े थे। हमारी सैनिक और पुलिस बलों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बेकसूर व्यक्ति मारे जायें। कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा था, जिसका हमें दुःख है। इन सब बातों के होते हुए और हमारी अत्यधिक सावधानी के बावजूद श्री फिज़ो और उनके साथियों ने जो प्रचार किया है, वह बहुत असाधारण और उत्तेजना पैदा करने वाला है।

---

†मूल अंगेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैं नहीं कह सकता कि इतने वर्षों के कार्य में पुलिस या सेना के किसी सदस्य ने अवांछनीय कार्य नहीं किया। हम इसे रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु हम अपनी सेना और आसाम राइफल्ज़ को बधाई देते हैं कि उन्होंने इतनी कठिनाइयों के सामने इतना अच्छा काम किया है, क्योंकि यह कोई नियमित लड़ाई नहीं थी ।

चूंकि विरोधी नागा सीमान्त की दूसरी ओर चले जाते थे, हम उनका पीछा नहीं कर सकते थे और हम बर्मा के क्षेत्र में नहीं जा सकते थे उनकी अनुमति के बिना। इस तरह उन्हें आश्रय मिल जाता था और जब संभव होता था, वह वापस आ जाते थे ।

यह कुछ समय तक होता रहा जब कि पहला सम्मेलन हुआ, १९५७ में। उस सम्मेलन की पहली मांग यह थी कि नागा हिल्ज़ क्षेत्र और ट्यूनसांग विभाग को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत अलग एकक बना दिया जाये। हमने इस मांग को स्वीकार कर लिया था। ये क्षेत्र आसाम राज्य का भाग होते हुए भी अलग थे और यह उस समय से चला आ रहा है।

अब यह परिवर्तन किया जा रहा है कि इस अलग क्षेत्र को नया नाम दिया जा रहा है और कुछ शक्तियां जिसमें विधान सभा आदि भी है, दी जा रही हैं। यह क्षेत्र संसद् के निर्णय से अलग रहा है। अब इन विधेयकों द्वारा इसको नया नाम और कुछ स्वायत्तता दी जा रही है। आसाम से अलग कुछ वर्ष पहले १९५७ में हुआ था। १९५८ में नागालैंड का एक और सम्मेलन हुआ था। उन्होंने एक सम्पर्क सम्यक् समिति भी नियुक्त की थी जिसका काम यह था कि पथ-भ्रष्ट नागाओं को भी सीधे रास्ते पर लाया जाये। ताकि वे भी नागालैंड के प्रशासन में अपना उत्तर-दायित्व संभाल सकें ।

यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ। इसके बाद, अक्तूबर, १९५८ में मोकोकचुंग में तीसरा सम्मेलन हुआ था, जिसमें १६ सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया गया था। उनकी मुख्य मांग भारत संघ में एक अलग राज्य नागालैंड बनाने की थी। इसके बाद जुलाई, १९६० में सम्मेलन के प्रधान डा० आओ ने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए मुझ से भेंट की थी। उसके फलस्वरूप वह समझौता हुआ था, जो संसद् के सामने रखा गया था। एक परिषद् बनाई गई थी जो दो साल से काम कर रही है। राज्यपाल ने उस परिषद् की इच्छा अनुसार काम किया है ।

सदन को याद होगा कि डा० आओ को कुछ विरोधी तत्वों ने गोली से मार दिया था। इससे प्रकट होता है कि वे किस किस्म के लोग हैं जिन्होंने अपने नेता को मार दिया था।

इस समझौते में नागा नेताओं की इच्छा के अनुसार एक संक्रमणकाल था, जिसमें १५ सदस्यों की एक आन्तरिक निकाय और निकाय के ५ सदस्यों की परिषद् बनाई जानी थी, ताकि नागालैंड के प्रशासन में राज्यपाल की सहायता की जा सके। यह व्यवस्था अच्छी तरह काम करती रही है। ग्राम और आदिम जाति परिषदों के चुनाव हुए थे और नागालैंड के प्रशासन में स्वयं नागा लोगों का अधिकाधिक हाथ रहा है ।

हम इस परिवर्तन के लिए वचनबद्ध हैं और संसद् भी वचनबद्ध है।

इस विधेयक के कुछ विशेष उपबन्ध हैं। एक यह है कि थोड़े समय के लिए राज्यपाल के शान्ति और व्यवस्था और वित्त के मामलों में विशेष अधिकार होंगे किन्तु स्थिति साधारण होने के बाद ऐसा नहीं होगा ये सब उपबन्ध स्वयं नागा लोगों के बनाए हुए हैं। इस समय नागालैंड की

आय बहुत कम है । भारत सरकार ने कल्याण, योजनाओं पर बहुत रकम खर्च की है । हमने उचित समझा है कि अपव्यय को रोकने के लिए राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होनी चाहियें ।

ट्यूनसांग ज़िले को उसके प्रतिनिधियों की इच्छा के अनुसार अलग रखा गया है और नागा प्रतिनिधि इससे सहमत थे । यह क्षेत्र नागालैंड के दो और ज़िलों से अधिक पिछड़ा हुआ है । इसलिए इसके लिए एक प्रादेशिक परिषद् रखी गई है । राज्यपाल का पहले १० वर्षों में इसके प्रशासन में अधिक हाथ रहेगा । इस अवधि को कम भी किया जा सकता है ।

यह प्रस्ताव है कि आसाम का राज्यपाल नागालैंड का राज्यपाल भी हो और आसाम का उच्च-न्यायालय नागालैंड का उच्चन्यायालय भी होगा ।

हम उनकी आदिम जाति प्रथाओं और परम्पराओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते । इसलिए उनकी आदिमजाति विधियों को नहीं छेड़ा गया । उनकी परिषदें इनका निर्णय करेंगी और भूमि हस्तांतरण के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा ।

ऊपर बताये गये प्रतिबन्धों के साथ यह राज्य संघ का अलग स्वायत्तशासी राज्य होगा और समय आने पर यह भी अन्य राज्यों की शक्तियां प्राप्त कर लेगा ।

यह हर्ष की बात है कि इस समस्या का हल हमने सैनिक तरीकों से नहीं बल्कि राजनैतिक तरीकों से किया है और उनको संघ में बराबर का साझेदार बनाया है ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी में भी जरा समझा दीजिये क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है । हमारे प्रधान मंत्री जी हिन्दी भी जानते हैं और वह हिन्दी में भी समझा सकते हैं । बिना इसको समझ हुए हम कैसे इसके पक्ष में अपना अथवा विपक्ष में मत दे सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी एक दो बार कहा है कि थोड़ी सी मदद जो आप प्रधान मंत्री जी से मांगते हैं, आप अपने साथ बैठ हुए किसी माननीय सदस्य से भी मांग लें ।

श्री रामेश्वरानन्द : आपसे मांग रहा हूं लेकिन आप देते ही नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सारी चीज का तर्जुमा करना मेरे लिये मुश्किल होगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : आपके सामने हम भी बैठे हैं और हमारी कठिनाई को भी आपको अनुभव करना चाहिय । कैसे हम अपना मत दे सकेंगे जब कि इसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं । ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेला ही नहीं समझा हूं बल्कि और भी कई माननीय सदस्य हैं जो इसको समझे नहीं हैं

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना हमेशा ही संभव नहीं होता है । यह चीज़ पहले से ही चली आ रही है, पहले से ही ये अंग्रेज़ी में मूव होते आ रहे हैं । हमने आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दी की तरफ जाना है । जहां तक हम पहुंचे हैं उससे आग जाने का हम यत्न कर रहे हैं ।

जो बिल पेश किया गया है, उसको आपने पढ़ा ही होगा और उसको समझने की कोशिश की ही होगी । उन्होंने बताया है कि एक अर्से से, १९५७ से उनको वैसे तो हक दे चुके हैं और वैसा वे करते चले आए हैं, तमाम हकूक का इस्तेमाल करते चले आए हैं । मगर अब उनको एक अलहदा नाम देना है और कुछ ताकत देनी है । यह इसका मकसद है और इस चीज को सामने रखते हुए उन्होंने इस बिल को पेश किया जो कि आपके सामने है ।

श्री रामेश्वरानन्द : आवश्यकता क्या पड़ गई, यह नहीं बताया आपने ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए । क्या श्री बड़े अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री बड़े** : मैं दोनों संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नाम एक ही हैं ?

श्री बड़े : नाम अलग अलग हैं ।

अध्यक्ष महोदय : फिर दोनों के नाम पढ़ दीजिये ।

श्री बड़े : मैं विधयकों को प्रवर समिति को सौंपे जाने के लिए दो संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इन सब माननीय सदस्यों की क्या सहमति प्राप्त कर ली गई है ?

श्री बड़े : जी हां, सहमति प्राप्त कर ली गई है और इसलिए अलग-अलग नाम दिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है । अब ये दोनों एमेंडमेंट्स और ये बिल हाउस के सामने हैं । इसके लिए चार घंटे रखे गय हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा निवेदन है कि इन विधेयकों के लिए समय ४ घंट से ६ घंटे तक बढ़ा दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह समय अपर्याप्त हुआ, तो सदन और निर्णय कर सकता है और इसे बढ़ा सकता है ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : संशोधन मैंने भी कल भेजे थे लेकिन वे आ नहीं सके हैं । मैं निवेदन करूंगा कि उनको भी मुझे मूव करने की इजाजत दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : पता लगा लूंगा कि अगर वे कल भेजे थे तो क्यों नहीं आये हैं । देरी में आपने भेजे होंगे । इसको देख लिया जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : वर्तमान विधेयक नागालैंड और त्यूनसांग क्षेत्रों के लोगों द्वारा व्यक्त की गई इच्छा के कारण लाया गया है और वह एक लम्बे समय की बातचीत के बाद तैयार किया गया है । इसमें वे सिद्धान्त सन्निहित हैं जिनको हम बहुत पहले ही स्वीकार कर चुके हैं । उसे पारित किया जाना आवश्यक है ।

राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं । वे यथाशीघ्र जनता के प्रतिनिधियों को मिलनी चाहियें । राज्यपाल के हाथ शक्तियों का अत्यधिक केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिये ।

जहां तक त्यूनसांग क्षेत्र का सम्बन्ध है, विधान सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचनों का उपबन्ध होना चाहिय । पता नहीं वहां अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों रखा गया है ।

नागालैंड के विकास के लिए अधिक वित्तीय उपबन्ध किया जाना चाहिये । उसे दो प्रथम योजनाओं के लाभ नहीं मिल सके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम की भौगोलिक स्थिति एवं संचार साधनों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि नागालैंड का अलग राज्यपाल हो ।

विधेयक के अन्तर्गत राज्यपाल को संसद् के किसी भी अधिनियम के निरसन की शक्ति दी गई है। इस सम्बन्ध में अधिक छानबीन किये जाने की जरूरत है। सरकार को इस पर और प्रकाश डालना चाहिये ।

नागालैंड विधेयक पर हुए विवाद का उत्तर देते हुए, मुझे आशा थी कि प्रधान मंत्री उच्च न्यायालय का भी उल्लेख करेंगे। मेरा विचार है कि यदि इसकी भी अलग से व्यवस्था हो जाये तो अच्छा। उन लोगों को नागालैंड से गोहाटी तक नहीं आना पड़ेगा। यह भी देखना चाहिये कि उच्च न्यायालय ऐसे स्थान पर हो जो वहां के लोगों के लिए सुविधापूर्ण हो। नागालैंड को पूर्ण आन्तरिक स्वतंत्रता होगी, वे अपना सर्वमुखी विकास कर सकेंगे। देश में एकता स्थापित करने का भी यही रास्ता है। इन शब्दों से मैं नागालैंड विधेयक का समर्थन करती हूं और नागा भाइयों का भारतीय संघ में सम्मिलित होने पर उनका स्वागत करती हूं।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): मैं देश को बहुत राज्यों में विभाजित करने के पक्ष में नहीं हूं। परन्तु प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से देखा जाये तो नागालैंड राज्य के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय सर्वथा उपयुक्त है। परन्तु इसके साथ ही ऐसा करने से उस राज्य की स्वावलम्बिता का प्रश्न अवश्य सामने आता है। नागालैंड का कुल क्षेत्र ६,३०० वर्गमील है और जनसंख्या ३६०,००० है। परन्तु साधन केवल ३ लाख के हैं। इसके साथ ही नागा विद्रोहियों की हिंसात्मक कार्यवाहियों को आगे हमने घुटने टेके हैं। खेद की बात है कि सरकार नागा विद्रोहियों के आगे झुक गई।

इस समय हमारे देश की सीमाओं पर हो रही गड़बड़ के कारण देश की सुरक्षा को खतरा है। और मेरा मत यह है कि देश में विघटन की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए।

पूर्वोत्तर सीमान्त पर एक बड़े राज्य के निर्माण के प्रश्न की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। फिर यह प्रश्न भी है कि क्या इससे समस्या स्थायी रूप से हल हो सकती है कि नहीं। नागालैंड के निर्माण से और भी कई राज्यों के निर्माण करने की मांगें उभर आयेंगी। फिर यह भी प्रश्न है कि नागालैंड को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं रखा जाना चाहिए था। यह मंत्रालय उसकी देखभाल अच्छी प्रकार कर सकता है। ऐसा करने से तो यही विचार होगा कि नागालैंड के लोग विदेशी ही हैं।

यह भी ठीक है कि राज्यपाल को सभी प्रकार के बहुत से अधिकार दिये गये हैं। त्युनसांग के बारे में भी बहुत व्यापक अधिकार उनको दिये गये हैं। मेरा मत है कि उनको इन अधिकारों पर कुछ रोक लगाई जानी चाहिए। आशा है कि इस विधेयक से नागालैंड में शान्ति स्थापित हो जायगी और उसकी प्रगति हो सकेगी। क्योंकि हमारी नीति है कि किसी को सताया न जाये। मैं इस बात का समर्थक हूं कि कोहिमा में आसाम उच्च न्यायालय की एक "सर्किट बैंच" स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिय। हमें इस बात की स्मृति है कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द सेना बना कर सब से पहले तिरंगा कोहिमा में ही फहराया था। अच्छा है कि यह ऐतिहासिक धरती भारतवर्ष का अंग बनेगी ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री स० मु० जमीर)** : मैं विधेयक का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। मुझे विश्वास है कि इसके बारे में अन्ततोगत्वा एक मत हो जायगा। यद्यपि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स०म० जमीर]

नागालैंड की पृष्ठ भूमि के बारे में उल्लेख किया था, परन्तु इस बारे में भी कुछ माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यद्यपि नागालैंड का क्षेत्रफल बहुत कम है फिर भी इसके बारे में इतना कहा जा सकता है कि भारतीय संघ के अन्तर्गत नागालैंड का निर्माण भारत के लिए गर्व का मामला है। १८३० की बात है जब कि प्रथम बार अंग्रेजों ने नागालैंड पर आक्रमण किया था। अंग्रेजों की शक्ति के आगे बेचारे नागा ठहर न सके, यद्यपि नागा लोग बहादुर, ईमानदार और मेहनती हैं। १८३४ से नागालैंड में अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। वैसे यह भारत का अंग था परन्तु अंग्रेजों ने इसे अलग अलग रखा। इसका यह भी कारण हो सकता था कि १९२९ में साइमन कमीशन को एक ज्ञापन दिया था कि यदि ब्रिटिश शासन का अन्त हो तो उन्हें अपने भविष्य के निर्णय करने का अधिकार दिया जाये। इस प्रकार नागाओं के लिए स्वतंत्र राज्य बनाने की बात नयी नहीं थी। अतः उन्होंने १९४७ में यह मांग प्रस्तुत की। यह बात १९२९ से ही चल रही थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद नागालैंड का विभाजन हो गया? कुछ हिस्सा नेफा में चला गया, कुछ आसाम में और कुछ मनीपुर में। इससे नागा लोगों की भावनाओं को बहुत आघात पहुंचा। इस दिशा में श्री गोपीनाथ बारदलोई के प्रयत्न असफल हो गये, परन्तु उस समय के आसाम के राज्यपाल श्री अकबर हैदरी के प्रयत्नों के कारण नागाओं से एक नौसूत्री समझौता हुआ। परन्तु इसे भी कार्यान्वित करने के मामले में मतभेद हो गया। १९५१ में नागा राष्ट्रीय परिषद् में जनमत भी करवाया, इस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते। १०० प्रतिशत मत स्वतन्त्र नागालैंड की स्थापना के पक्ष में पड़े। १९५२, १९५७ के दो आम चुनावों का भी नागाओं ने बहिष्कार किया। इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप नागालैंड में खिंचाव बहुत बढ़ गया।

१९५४ में फिजो और उनके साथियों ने हिंसा कार्य आरम्भ कर दिये। उन्होंने अशिक्षित नागाओं को गुमराह करना आरम्भ कर दिया। उसके दल ने स्वतन्त्रता के नाम पर निरपराध ४०० नागाओं की हत्या कर दी। श्री टी० शकहरी और बहुत से सरकारी कर्मचारियों की हत्या ने स्थिति को अति शोचनीय बना दिया। सरकार को सुरक्षा कार्यवाही करनी पड़ी। इन सब परिस्थितियों में नागाओं का प्रथम सम्मेलन अगस्त, १९५७ में कोहिमा में हुआ। उसी सम्मेलन में यह तय हुआ कि भारतीय संघ के अन्तर्गत अन्तिम राजनीतिक हल निकालने का ऐतिहासिक निर्णय किया गया। यद्यपि फीजो ने अमरीका में यह कहा कि इस सम्मेलन को नागाओं का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। सम्मेलन के निर्णय के अनुसार शिष्टमंडल दिल्ली आया, और उन्होंने यहां आकर प्रधान मंत्री से भेंट की। परस्पर समझौता हो गया और नागाओं को शान्त रहने की अपील की। रूहपोश हो गये लोगों को प्रकट होने के लिए काफी समय दिया गया। उन्हें क्षमा कर देने की घोषणा कर दी गयी।

नागाओं का दूसरा सम्मेलन १९५८ में उन्गमा में हुआ, उसमें रूहपोश हुए लोगों से सम्पर्क करने के लिए एक सम्पर्क समिति बनाई गई। परन्तु उन लोगों ने स्वतन्त्रता से कम किसी भी बात पर वार्ता करने से इन्कार कर दिया। अक्तूबर, १९५९ में तीसरा सम्मेलन हुआ। पूरे नौ दिन की चर्चा के बाद १६ सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया गया। इसी के आधार पर वर्तमान नागालैंड विधेयक तैयार किया गया है। इसी के आधार ही अन्तरिम परिषद् ने वहां १८ फरवरी, १९६१ को अपना कार्य आरम्भ किया था। इस सम्बन्ध में नागाओं की आने वाली सन्तानें डा० आओ को

नागालैंड के राज्य के निर्माता के रूप में याद करती रहेंगी। इस कार्य के लिए काफी खून बहा और बलिदान हुए और नागालैंड भारत संघ का एक अंग बना।

यह है वह सारी पृष्ठ भूमि जिसमें कि यह विधेयक पारित किया जा रहा है। इस विधेयक के पारित हो जाने से नागालैंड के कुछ लोगों के सन्देह दूर हो जायेंगे। भूमि तथा उसके संसाधनों पर नागाओं के पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी विशेष उपबन्धों को स्वीकार करने में सरकार ने न केवल नागाओं की स्वामित्व की भावनाओं का आदर ही किया है वरन् उदार हृदयता भी दिखाई है। ऊनशांग जिले के लिए तनिक जटिल व्यवस्था है। पिछड़े लोगों को कुछ विशेष सुविधायें दी गयी हैं। अब वहां नागा विधान सभा और मंत्रिमंडल होगा। ऊनशांग क्षेत्र के लिए एक विशेष मंत्री होगा जिसके परामर्श से राज्यपाल कार्यवाही करेंगे। हमने सरकारी कर्मचारियों को क्षेत्रीय परिषदों में लेने की व्यवस्था भी कर दी है ताकि लोगों को लोकतंत्रीय संस्थाओं के प्रशासन का अनुभव हो सके। इस प्रकार नागाओं की सभी प्रकार की भावनाओं का आदर किया गया है। यह बात बिल्कुल गलत है कि सरकार ने हिंसा के दबाव में आकर ऐसा किया है अथवा खुश करने की नीति अपनाई है।

वित्तीय मामलों के बारे में मेरा निवेदन है कि इस नवराज्य के पुनर्निर्माण के लिए केन्द्र को ही वित्तीय सहायता देनी होगी। इस क्षेत्र के विकास के लिए वित्त की कमी नहीं रखी जानी चाहिए। सीमान्त का विकास केवल उस क्षेत्र के लोगों की ही जिम्मेदारी नहीं वरन् समस्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर) : मैं इस बारे में आसाम के लोगों की राय सभा के समक्ष रखूंगा। यद्यपि मैं नागालैंड विधेयक, १९६२ का समर्थन करता हूं परन्तु मुझे दुःख है कि ऐसे समय में जब कि देश में फूट को समाप्त करने की समस्त वृत्तियों को खत्म करने के प्रयत्न हो रहे हैं, यह दुर्भाग्य की बात है कि हम एक ऐसे विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण की विचारधारा के सर्वथा विरुद्ध है। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के १५ वर्ष बाद भी देश के उत्तर-पूर्वी खंड में स्थिति प्रशासनीय तौर से ठीक नहीं हुई। विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों से भी वहां शान्ति की स्थापना नहीं हो सकी। यहां पर १९४७ में २१ जिलों का एक प्रशासन था अब वहां ९ प्रशासन हैं।

यह दुख की बात है कि जब भी आसाम का मामला आता है तो भाषा का प्रश्न अवश्य उठा दिया जाता है। तथा कुछ लोग वहां के प्रशासक दल को बदनाम करने में तुले हुए हैं। अब लोगों का यह आरोप है कि नागालैंड का जन्म भी भाषा समस्या के कारण हुआ है। वास्तविकता यह है कि पृथक पहाड़ी राज्य की मांग १० वर्ष पुरानी है तब भाषा सम्बन्धी विवाद नहीं उठा था।

वस्तुतः आसाम भाषा अधिनियम अत्यन्त उदार है और उसमें भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ अत्यन्त उदारता बरती गई है। भाषा के मामले में आसामियों और नागाओं के बीच कोई विवाद नहीं है।

नागा क्षेत्र में कई बोलियां बोली जाती हैं तथापि केवल आसामी ही एक मात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक जाति के लोग दूसरी जाति से सम्पर्क स्थापित करते हैं। यही कारण है कि

†मूल अंग्रजी में

[श्री प्र० चं० बरुआ]

नागा जाति सम्मेलन की सारी कार्यवाही आसामी में हुई और उन्होंने अपने संविधान में आसामी, नागा तथा हिन्दी को मान्यता दी है ।

यह स्मरण रखना चाहिये कि पृथक नागा राज्य की मांग अंग्रेजों के समय नहीं थी । न कोई पहाड़ी जिला पृथक राज्य की मांग कर रहा था तथापि अब प्रत्येक क्षेत्र से पृथक राज्य की मांग उठने लगी है। सरकार ने कदाचित खून खराबी रोकने के लिये यह मांग स्वीकार कर ली। तथापि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ।

इस सम्बन्ध में आसाम विधान सभा से राय मांगी गयी थी । उन्होंने इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया उसका आशय इस प्रकार है :

> "इस विधान सभा का यह मत है कि देश की एकता, सुदृढ़ता को देखते हुए तथा पूर्वीय क्षेत्र के विकास तथा वहां राजनैतिक स्थिरता लाने के कारण भारत के अधीन राज्यों का एकीकृत राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिये ।
>
> तथापि विधान सभा का यह मत है कि नागालैंड राज्य विधेयक १६६२ से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी ।"

विधान सभा को ज्ञात है कि भारत सरकार नागालैंड बनाने के लिये वचनबद्ध हो चुकी है ।

हमें दुख है कि हमारे नागाबन्धु हमसे पृथक हो रहे हैं तथापि आसाम और नागालैंड की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि वे एक दूसरे से पृथक् नहीं रह सकते । मैं नागाओं के सुख तथा समृद्धि की कामना करता हूं मुझे विश्वास है कि भविष्य में दोनों पुनः एक होंगे ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : भारत एक देश है । एक भूमि है अतः यहां दूसरी भूमि लैंड को जन्म देना ठीक नहीं । नागालैंड का नाम नागा प्रदेश होना चाहिये ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद ३ के अधीन आसाम विधान सभा की राय मांगी गयी थी, उन्होंने जो मत व्यक्त किया है उससे इस विधेयक का सरासर विरोध किया गया है इतना ही नहीं । लोक सभा में आसाम के लगभग सभी सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है । अठारह में से केवल दो सदस्यों ने इसका आंशिक समर्थन किया है अतः यह उचित नहीं है कि हम आसाम के जनमत की, जो उसका निकटवर्ती पड़ोसी देश है उपेक्षा करें तथापि मैं जानता हूं कि सरकार इस सभा में बहुमत के बल पर सब कुछ करवा लेगी ।

सरकार का यह रवैया उचित नहीं है । यह स्मरण रखना चाहिये कि इस राज्य के अन्तर्गत केवल ६३०० मील भूमि आयेगी और ३,६०,००० की जनसंख्या होगी । एक प्रकार से इस प्रकार हम फीजो की जिद पूरी करेंगे । वस्तुतः यह हमारी प्रशासन क्षमता तथा कूटनीतिज्ञता पर भारी आक्षेप है ।

आश्चर्य की बात यह है कि साम्यवादी दल ने इस विधेयक का समर्थन किया है । वे सामान्यतः अमेरिका का हर बात में विरोध करते हैं तथापि वे यह नहीं देख सके कि यह ईसाई मिशनरियों की ही देन है । मैं इस सम्बन्ध में डाक्टर होमेश्वर देव चौधरी को उद्धृत करता हूं जिन्होंने कहा था ईसाई मिशनरियों ने उन्हें इस बात की शिक्षा दी है कि वे एक पृथक राष्ट्र हैं तथा उन्होंने उनमें पथकता की भावना भरी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें स्मरण रखना चाहिये कि भारत के सभी प्रदेशों में आदिम जातियां रहती हैं। वे भी भाषा, रीति रिवाजों तथा रहन सहन के आधार पर पृथक् राज्य की मांग कर सकते हैं। तथापि हम उनकी मांगों को मान्यता नहीं देंगे जब कि हमने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को स्वीकार कर लिया है।

इस समस्या का सब से शोचनीय पहलू यह है कि हम पहले से ही उनके लिये बहुत कुछ कर चुके हैं। हमने उनके लिये प्रादेशिक परिषदें बनायीं तथापि वे सन्तुष्ट नहीं हुए। तो क्या वे नागालैंड की स्थापना से सन्तुष्ट हो जायेंगे। फीजो अपना मत व्यक्त कर चुका है कि वह हमसे सन्तुष्ट नहीं है। दुख की बात यह है कि न हमने फीजो पर कोई आरोप लगाया और न उसे प्रत्यर्पण द्वारा भारत ही लाने को मजबूर किया।

इस राज्य की वित्तीय अवस्था भी आत्मनिर्भर नहीं रहेगी। पहले ही वर्ष इस राज्य को ४.७० करोड़ का घाटा होगा। क्या हम इस राशि का अन्यत्र उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके स्थान पर हमें इस राशि का उपयोग ऐसे प्रचारक भेजने में करना चाहिये था जो वहां राजनैतिक जागरूकता व एकता की भावना पैदा करते। विचित्रता तो यह है कि राज्यपाल, न्यायपालिकायें इत्यादि सब एक ही रहेंगी केवल एक विधान सभा और बनेगी जहां ६००० व्यक्तियों में एक प्रतिनिधि चुना जायेगा जब कि भारत के अन्य प्रदेशों की विधान सभाओं में ६०,००० से ९०,००० के बीच एक प्रतिनिधि चुना जाता है।

वस्तुतः हमें चाहिये कि हम देश को संगठित और सुदृढ़ बनावें न कि छोटे छोटे एकक बना कर उसे विघटित करें। नये राज्य की स्थापना की पहली शर्त यह होनी चाहिये कि वह आत्मनिर्भर होना चाहिये तथापि हम देश में विघटन के बीज बो रहे हैं। गोआ, पांडुचेरी, चन्द्रनगर के सम्बन्ध में भी हमारी नीति ढुलमुल है हम उन्हें पड़ोसी राज्यों में मिलाने में हिचकिचा रहे हैं।

यदि यही रवैया जारी रहा तो विघटन और पृथकता के बीज फैलते जायेंगे और कल को नागालैंड के समीपवर्ती जिलों से भी पृथकता का नारा लगने लगेगा और देश ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जायेगा जिनका प्रशासन अलग अलग तरीकों से होता है।

अन्त में मैं यह अनुरोध करता हूं कि भले ही हम पृथक राज्य बनाने के लिये वचनबद्ध हैं तथापि हमें इस मामले में आसाम की जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मैं नागालैंड की स्थापना का स्वागत करता हूं। नागा सम्मेलन और भारत सरकार के बीच जो समझौता हुआ उससे वहां खून खराबी बन्द हो गयी और नागाओं की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को मूर्तरूप मिला।

एसे समय हम डा० आओ की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं जिन्होंने नागालैंड के लिये अपने प्राणों का बलिदान दिया।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि इससे राजनैतिक स्थायित्व पर आघात होगा। मेरे विचार से यह बात सही नहीं है। मेरे विचार से जब किसी जाति या राष्ट्र की महत्वाकांक्षायें पूरी होती हैं तो उनसे वे शान्ति बनाये रखने में अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

यह प्रसन्नता का विषय है कि इस प्रदेश के सम्बन्ध में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और वास्तविकता यह है कि उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

ऐसे समय में भारतीय सेना के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी वीरता से नागाओं की गोलियों का सामना किया है। निस्संदेह हमारी सेना के युवकों पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अत्याचार किये हैं तथापि मेरे विचार से इसमें फीजो की शरारत का भी हाथ है।

नागालैंड ७५ वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के अधिकार में रहा। उन्होंने कभी भी उनके सुधार का प्रयत्न नहीं किया। उन्हें अंग्रेजी राज्य के वे लाभ नहीं दिये गये जो कि उनके अन्य बन्धुओं को प्राप्त हुए। फल यह हुआ कि वे बहुत पिछड़े रह गये लेकिन अब उनमें भी आगे बढ़ने की भावना पैदा हो रही है जिसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिये।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने आन्तरिक मुक्ति विनियम १८७३ और सीमान्त क्षेत्र विनियम १८८० बना कर इस बात का प्रयत्न किया कि पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्तियों को मैदानी क्षेत्र के व्यक्तियों से पृथक् रखा जाय। इस प्रकार उनके तथा भारत की अन्य जनता के बीच एक दीवार बना दी गयी जिससे कि स्वाधीनता की लहर वहां तक न पहुंचने पाये। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी भारत सरकार ने वहां की जनता में भारतीय भावना भरने के लिये कुछ नहीं किया।

तथापि वहां १९४७ से ही फिजो के नेतृत्व में नागालैंड को पृथक् राज्य बनाने के प्रयत्न हुए। २१ मई, १९४७ को फिजो ने नागा राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना की। १९५३ में भारत सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की घोषणा की गई १९५६ में नागालैंड में एक समानान्तर सरकार की स्थापना की गई और उन्होंने एक संविधान बनाया।

मैं नहीं चाहता कि इस समस्या का समाधान विधि और व्यवस्था के आधार पर हो। लेकिन सरकार ने सन् १९५७ तक इस समस्या का समाधान उस समय तक नहीं किया जब तक कि लोगों ने मिलकर नागालैंड अलग से बनाने की मांग नहीं की। आखिरकार प्रधान मंत्री ने जनता की चिन्ता का अनुभव किया और उन्होंने नागाओं के लिए एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की। जहां तक विधेयकों के उपबन्धों का सम्बन्ध है, संविधान (संशोधन) विधयक का खंड २ राज्यपाल को बहुत अधिकार शक्ति प्रदान करता है। यह समझ में नहीं आता है। 'त्युएनसांग' क्षेत्र के लिये अलग प्रशासन की व्यवस्था करने की भी कोई जरूरत नहीं थी जब कि हम सारे राज्य के लिये एक निर्वाचित विधान सभा की व्यवस्था कर रहे हैं। यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती कि सभी वित्तीय शक्तियां भी राज्यपाल को दे दी गई हैं। ऐसा क्यों किया गया है। "शान्ति और व्यवस्था" को राज्यपाल को सौंप देना भी एक गलत बात है। यह उत्तरदायित्व विधान सभा को होना चाहिये। इससे मतभेद होने का डर है। हो सकता है कि सैनिक तथा असैनिक प्राधिकारियों में इस बात को लेकर मतभेद हो जाये। और पीछे ऐसा हुआ भी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह उपबन्ध विधेयक में नहीं होना चाहिये। राज्यपाल को मनमाने अधिकार दिये गये हैं। 'त्युनसांग' कार्यों के मंत्री को राज्यपाल के अधीन रहना होगा। ऐसी संभावना है कि इस मंत्री में तथा अन्य मंत्रियों में मतभेद हो सकता है। इस कारण मैंने एक संशोधन रखा है कि विधेयक में से खंड २ निकाल दिया जाये और उसके स्थान पर वे उपबन्ध रख दिये जायें जो अन्य राज्यों पर लागू होते हैं। यदि ऐसा नहीं किया तो यह प्रजातन्त्र नाम का प्रजातन्त्र होगा।

†**श्री स० रो० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : इस विधेयक का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्तावित नागालैंड का क्षेत्रफल ६,००० वर्ग मील है। यहां लगभग ४ लाख लोग रहते हैं जो इधर उधर बिखरे हैं और उनकी आय बहुत कम है। भारत के किसी भी राज्य के किसी भी जिले से यह क्षेत्र छोटा हैं। तथा यहां का जनसंख्या भी कम है अतः हर आदमी के दिमाग में यह बात आती है कि फिर क्यों नागालैंड बनाया जाये लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में यह नागालैंड बनाना आवश्यक है।

हालांकि नागा लोग हमारे साथ एक लम्बे अर्से से चले आ रहे हैं लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। संचार साधन न होने के कारण वे एक प्रकार से अलग बने रहे हैं। पिछड़े होने के कारण वे एक दूसरे के प्रति भी विद्रोही बने हुए हैं। वहां बहुत सी इकाइयां थी जो आपस में एक दूसरे से लड़ती रही थीं। उनका जीवन बहुत ही कठोर था। यह स्थिति अंग्रेजों के आने से पहले थी। उन्होंने यहां आकर हर चीज पर अपनी मुहर लगा दी। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ये नागा लोग देश के अन्य भागों से जोड़ दिये गये। इसी प्रकार कारबार चलता रहा। भारत स्वतन्त्र हुआ। यहां के लोगों ने यह इच्छा प्रकट की कि उनके यहां भी प्रशासन अच्छा हो। और प्रशासन में उनका भी हाथ हो अतः नागा लोगों में फैले हुए असन्तोष तथा प्रशासन द्वारा उनकी समस्याओं को सुलझाने में असमर्थता से एक काबू से बाहर स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। कुछ विदेशों में चले उपक्रम नागा लोग उस परिस्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं तथा उनके कदम हर जगह जम रहे हैं। समस्या के खंडशः बात बहुत पुरानी हो चुकी है। केवल पूर्ण स्वायत्तता से ही स्थिति को वश में किया जा सकता है। अतः इस स्वायत्तता की पूर्ति के उद्देश्य से लाये गये विधेयक को समर्थन प्राप्त होना चाहिये।

†**डा० कोलाको** (गोआ, दमन, दीव) : इस विधेयक के द्वारा संविधान में जनता को दी गई न्यायपूर्ण आकांक्षाओं को मान्यता दी गई है। इससे सभी झगड़े और कष्ट समाप्त हो जायेंगे। दूसरे यह विधेयक नागालैंड के लोगों को एक सम्पूर्ण राज्य का सम्मान प्रदान करता है जिसके द्वारा उनको कुछ परित्राण मिलेगा। इस विधेयक के द्वारा 'त्युनसांग' में एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना की जायेगी।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

यह आवश्यक है कि लोग ऐसा अनुभव करें तथा देखें कि उनकी अभिलाषा और आकांक्षा का एक विस्तृत और वास्तविक के माध्यम से आदर और सम्मान हो जिससे वह देश के साथ एकीकरण प्राप्त कर सकें। गोआ की उसी पद के लिये आंकांक्षा ठीक ही थी क्योंकि उससे उसकी स्वाभाविक उन्नति का प्रतिनिधान होता है।

नागालैंड स्वतन्त्र ही नहीं हुआ है बल्कि भारत का एक अलग राज्य भी बनाया गया है। आसाम से अब इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। वहां उनकी अपनी विधान सभा रहेगी। इस प्रकार वह अन्य राज्यों के समान हो जायेगा।

गोआ भी चाहता है कि उसे भी यह सम्मान मिले। केन्द्र और राज्यों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदन प्रदान द्वारा स्वस्थ प्रकार का सम्पर्क बना रहना चाहिये और ऐसा संगठन पर्यटन से होना चाहिये। इससे लोगों के विभिन्न समुदायों को परस्पर खुल कर मिलने जुलने का अवसर मिलेगा।

संविधान के अनुच्छेद के अनुसार गोआ, दमन और दीव को भी राज्य परिषदों में स्था मिलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : इस विधेयक को देखने से पता चलता है कि नागालैंड के प्रस्तावित राज्य को न तो सम्पूर्ण राज्य कहा जा सकता है और न ही इसे केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र ही समझा जा सकता है। संभव है कि इससें नागा लोग सन्तुष्ट न हों। इसे बीच में रखा गया है। इससे इस बात का भी डर है कि कहीं केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र भी अपने यहां विधान मंडलों की मांग न कर बैठे। राज्यपाल को बहुत अधिकार दिये गये हैं। उच्च न्यायालय की भी अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। निर्वाचित निकायों को जो सुविधायें प्राप्त होती हैं उनकी व्यवस्था इस विधेयक में नहीं की गई है। ऐसा करना प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों के अनुसार नहीं है।

एक बात यह भी है कि अन्य राज्यों के बारे में तो विधि और व्यवस्था के लिये गृह मंत्रालय उत्तरदायी होता है किन्तु नागालैंड के बारे में विदेश मंत्रालय होगा। इससे यह प्रकट होता है कि इसके साथ अन्य राज्यों जैसा समान बर्ताव नहीं हो रहा है।

यह तथ्य कि हम एक नये राज्य की स्थापना करने लगे हैं जनसंख्या के उन समस्त भारों को प्रोत्साहन देगा जो पृथक राज्यों की मांग करते हैं। वे अपनी मांग को ज़ोर से पेश करेंगे। हमें यह मन में रखना चाहिये कि ऐसे समय पर विघटन की शक्तियां उत्पन्न न हों जब कि हम राष्ट्रीय एकीकरण के लिये समस्त प्रयत्न कर रहे हैं।

अंत में मैं यही कहूंगा कि यह विधेयक बहुत देर से लाया गया है। उस क्षेत्र में विधि और व्यवस्था की स्थापना करने के लिये बहुत पहले ही प्रस्तुत करता था। इस विधेयक के द्वारा हम संविधान के परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों की भी एक सीमा होनी चाहिये। इस विधेयक का मैं केवल इसलिये ही स्वागत करता हूं क्योंकि इस के द्वारा एक नई कड़ी जोड़ी जा रही है।

श्री राम सेवक यादव : यह जो विधेयक लाया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। यह जो समस्या है यह आज़ादी के बाद से ही हमारे देश के सामने रही है और जिस तरह से इस समस्या को हल करना चाहिये था, उस तरह से इसको नहीं किया गया है। पिछले पन्द्रह वर्ष के इतिहास को यदि आप देखें तो आपको मालूम होगा कि उस इलाके में कितना ही खून बहा है, कितना ही धन बहा है और किस तरह से बदमज़गी और एक दूसरे के प्रति अविश्वास फैला है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

आज पंद्रह वर्ष के पश्चात् इस तरह का विधेयक ला करके हम एक नागा राज्य की बात सोच रहे हैं। इसका मैं स्वागत ही करूंगा। यदि हम इन दोनों विधेयकों के बीच में जायें तो पाएंगे कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इनको प्रस्तुत किया गया है, शायद हम उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर भी जो थोड़ा बहुत किया जा रहा है, उसका स्वागत ही होना चाहिये।

यह सही है कि नागा लोग अलग राज्य चाहते थे, वे हिन्दुस्तान से अलग रहना चाहते थे। उनकी यह इच्छा बुरी थी। कुछ लोगों ने बगावत भी की, यह भी सही है। लेकिन बगावत करने वाले जो थे और वे भी जो इस देश के साथ थे, उन दोनों को ही अगर आप देखें वे सब हिन्दुस्तानी ही थे। मैं चाहता हूं कि उन के साथ भारत सरकार का वैमनस्य या दुश्मनी भरा बरताव नहीं होना चाहिय जैसा कि पिछले पंद्रह सालों में किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब हम विधेयक की ओर आते हैं तो पाते हैं कि इसका नाम नागालैंड विधेयक रखा गया है सब से पहला मेरा एतराज़ यह है कि यह जो नागालैंड विधेयक इसका नाम रखा गया है यह ठीक नहीं है। इसकी जगह इसको अगर नागा प्रदेश विधेयक कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। यह केवल नाम का ही प्रश्न है और मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी इसको जरूर स्वीकार कर लेंगे। ऐसा करने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये। जैसे हमारे अन्य प्रदेश हैं, महाराष्ट्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या दूसरे प्रदेश हैं, उन के साथ यह नागालैंड अगर जोड़ा जाए तो ऐसा लगता है जैसे शायद कोई दूसरा देश हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा प्रधान मंत्री जी से ऐसा कर देने से कोई भारी परिवर्तन नहीं हो जाता है। हम दिमागी तौर पर एक तबदीली महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं और कोई अलगाव नहीं पाते हैं इस वास्ते इसको नागा प्रदेश कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

इस विधेयक धारा ११ को जब हम पड़ते हैं तो पाते हैं कि वहां एक नागा राज्य की स्थापना की कल्पना की गई है और वहां के निवासयों को यह मौका दिया गया है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो कर अपनी तरक्की खुद करें और हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों के साथ साथ वे भी आगे बढ़ें। लेकिन वहीं पर हम उसकी उप-धारा १ और उसके खण्ड १ में यह भी पाते हैं कि छः जगहें वहां की विधान सभा की जो होंगी वे त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट के लिये सुरक्षित रहेंगी। यहां तक तो यह बात मेरी समझ में आ जाती है और मैं समझ सकता हूं कि उसके लिये छः जगहें निश्चित रहें, सुरक्षित रहें, वहां से उतने लोग जरूर चुन कर आएं। लेकिन उसके बाद जब कहा जाता है कि ये छः जगहें जो यहां की विधान सभा के लिये होंगी, इनकी पूर्ति वालिग मताधिकार के द्वारा नहीं होगी बल्कि वहां पर जो रिजनल काउंसिल की स्थापना होगी, उसके सदस्यों द्वारा इन जगहों के लिये चुनाव होगा, तो मैं इसको समझ नहीं पाता हूं। यह बात प्रजातंत्र के सिद्धान्त के विपरीत जाती है और और शायद जिन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसकी पूर्ति भी इससे न हो सकेगी। जो रिजनल काउंसिल की स्थापना होगी, उन्हीं में से छः आदमियों का चुनाव होगा, यह जो उपधारा २ इस विधेयक की है यह आपत्तिजनक है। वहां की जनता जोकि बालिग मताधिकार पर वोट देने का हक रखती है, उसके अधिकारों पर यह एक प्रकार का कुठाराघात है और इससे जनतंत्र की अवहेलना होती है। मैं चाहता हूं कि इसमें से इसको निकाल दिया जाए।

उपधारा ३ का जो प्राविसो है उसको भी नहीं रहना चाहिये उसी आधार पर जैसा कि मैंने निवेदन किया है।

संविधान में जो संशोधन किया जा रहा है, उस विधेयक की ओर अब मैं आता हूं। आर्टिकल ३७१ (ए) जो है, उसके प्राविसो (सी) और (डी) जो हैं और उसके बाद जो खण्ड १ है, ये सब चूंकि जनतंत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध पड़ते हैं, इसलिये इनको डिलीट कर दिया जाना चाहिये। इस में भी मेरा यही संशोधन है, जैसा कि दूसरे विधेयक में था। मैंने यह भी कहा है कि नागालैंड की जगह नागा प्रदेश कर दिया जाये जहां जहां पर भी संविधान के संशोधन विधेयक में नागालैंड आया है, वहां-वहां उसकी जगह नागा प्रदेश कर दिया जाए :

उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो ३७१ (ए) का जो प्राविसो है, उसमें लिखा हुआ पाते हैं " कि राज्यपाल का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता।" एक तरफ तो हम वहां जिम्मेदार सरकार की स्थापना करते हैं लेकिन उसके साथ ही वहां के गवर्नर को इस तरह के अधिकार देते हैं, तो क्या इससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हम

[श्री राम सेवक यादव]

वही चीज कर रहे हैं जो कि १९३५ के एक्ट में थी। इससे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों को हम ने अंग्रेज़ों से बिरासत में लिया है, जो चीजें हमें परम्परा से प्राप्त हुई हैं, उन्हीं को हम फिर से यहां पर लागू कर रहे हैं। यह भी वही चीज है कि एक रीजनल कौंसिल की स्थापना होगी। गवर्नर उस की स्थापना करेगा वही उसके लिये नियम बनायेगा कि किस तरह से उस के सदस्य हों, किस तरह से चुनाव हो। एक रीजनल कौंसिल बनेगी जिस में छः सदस्य होंगे, लेकिन उस का चेयरमैन कौन होगा? वहां का जिला-धीश। यह जो सारी धारायें हैं, वे जिस मक्सद की पूर्ति के लिये प्रधान मंत्री ने यह विधेयक उपस्थित किया है, शायद उस की पूर्ति न कर सकें। आगे चल कर उसी तरह से २, ३, ४, ५ और ६ उप-धारायें हैं। यह कहा जा सकता है कि इस तरह की व्यवस्था इसलिये की जा रही है कि सब खास जिले की एक खास अहमियत है। लेकिन जब विधेयक में यह व्यवस्था है कि जो सदस्य चुने जायेंगे उन में से :—

"नागालैंड की विधान सभा में त्युनसांग से जो प्रतिनिधि आयेगा उसे त्युनसांग कार्यों का मंत्री बनाया जायेगा।"

जो सदस्य उस जिले से चुन कर जायेंगे उन में से एक मंत्री होगा। तो क्या यह काफी नहीं है कि वहां के हितों की वह सुरक्षा करे। उस में आप ने यह कर दिया है कि जो वहां की रीजनल कौंसिल होगी उस का अध्यक्ष वहां का जिलाधीश बनाया जाय और गवर्नर को यह अधिकार दिये जायें कि वह उसके लिये नियम बनावे। यह तो उसी तरह से है जिसे कहा जाता है कि "हाफहार्टे मेजर" है। उन लोगों का दृष्टिकोण दूसरा है और यह चीज दूसरी दिशा में है। यह ऐसा "हाफहार्टेड मेजर" है जो कि जिस तरह की स्वतन्त्रता स्वाधीनता वहां के लोग चाहते थे उसे पूरा नहीं करेगा। इस लिये मैं चाहता हूं कि मेरे सारे संसाधनों को मान कर इन चीजों को निकाल दिया जाये और पूरी जिम्मेदार सरकार के जो अधिकार होते हैं, जैसे कि दूसरे राज्यों में हैं, वे वहां पर भी दिये जायें।

प्रधान मंत्री ने जब इन दोनों विधेयकों को प्रस्तुत किया तो हम यह आशा कर रहे थे कि हमारा जो पूर्वी प्रदेश है, नेफा का इलाका है, मणिपुर का इलाका है या दूसरे राज्य हैं, उन के बारे में भी वे कुछ संकेत देंगे कि वहां किस तरह का सेटअप वे चाहते हैं। वे वहां पर जिम्मेदार सरकार देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इस की ओर कोई संकेत नहीं मिला। इस से हम एक ही नतीजा निकालने पर मजबूर हैं कि सरकार के सामने कोई इस तरह का उद्देश्य नहीं, कोई योजना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई दूरदर्शिता नहीं। केवल जहां जहां से प्रेशर पड़ा, जोर पड़ा, उसी तरह की चीजें कर दी गईं। अपनी तरफ से सोच कर के वहां के लिये कोई विशेष व्यवस्था कानून की या राज्य करने की बात नहीं की गई।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि अगर इस तरह से अलग अलग राज्य बनेंगे तो हमारी रक्षा पंक्ति और कमजोर होगी, देश बंट जायेगा और कमजोर हो जायेगा, लेकिन मैं बहुत निम्रता से निवेदन करूंगा कि मैं उन की राय से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर इस राय को मान लिया जाये तो जो हमारे पन्द्रह राज्य हैं वे हमारी कमजोरी का बायस बनेंगे। मैं इस दलील को नहीं मानता कि यह पन्द्रह राज्य देश को कमजोर करते हैं, मजबूत नहीं करते हैं। मैं मानता हूं कि लोगों की जो अपनी निजी और स्थानीय आवश्यकतायें हैं

उन्हें पूरा करने के लिये जिस तरह के कानून की ओर जिस तरह के संवैधानिक शासन की व्यवस्था जरूरी हो वह लोगों को दी जाये। उस से देश मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में प्रधान मंत्री बतलायें कि वे मणिपुर इत्यादि के बारे में क्या सोचते हैं। और ज्यादा अच्छा होगा कि इस तरह से अलग अलग विधेयक न लाकर सारी बातों को सोच कर एक विधेयक लाया जाये। इससे समय भी बचेगा और नतीजा भी अच्छा निकलेगा।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर): मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। काफी लम्बे समय के बाद नागा लोगों को यह रियायत दी गई है। नागा लोगों की अपनी मांग पर ही यह किया गया है। सरकार ने स्वयं नागाओं की वार्ता को इसमें रखकर अच्छा किया है। उनका संविधान क्या होगा तथा उनका स्तर क्या होगा इस बारे में भी वे ही निर्णय करेंगे। उनकी सहमति से ही यह राज्य बनाया जा रहा है।

हमें इस बात से डरना नहीं चाहिये कि इस राज्य से कोई हानि होगी। यह ठीक है कि नागालैंड के निर्माण से देश कमजोर नहीं होगा। लोगों को इस प्रकार का भय बिल्कुल बेकार है। इसके विपरीत देश मजबूत होगा। असन्तुष्ट नागा लोग देश के लिये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि सीमान्त स्थिति की दृष्टि से उनकी स्वामिभक्ति महत्वपूर्ण है। आज हमारी सीमा की स्थिति बहुत ही गम्भीर है। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारी सीमा पर लोग सन्तुष्ट रहें और वे लोग देशभक्त हों।

कुछ लोगों की शिकायत है कि नये राज्य को जो अधिकार दिये गये हैं वे पूरे नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह अस्थायी विधेयक हैं। आगामी वर्षों में अनुभव के आधार पर और भी परिवर्तन किये जायेंगे। यह अच्छी बात है कि आसाम के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नागालैंड तक बढ़ा दिया गया है। मेरा निवेदन है कि जब तक नागालैंड के निवासियों की रीति रिवाज, नियम, निधियां आदि ठीक से काम करे तब तक उन्हें इसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहना चाहिये।

नये नागालैंड राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वहां काम करने वाली मिशनरियों से वहां के निवासियों की रक्षा करे क्योंकि वे लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। साथ ही सरकार को यह भी यत्न करना चाहिये कि लोगों में नये राज्य के प्रति तथा देश के प्रति स्वामिभक्ति बढ़े। अंत में मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। प्रत्येक सदस्य यही समझता है कि वर्तमान परिस्थितियों में यही कार्यवाही उत्तम थी। इसलिए इस विधेयक का स्वागत है।

यह विचार ठीक नहीं है कि नागालैंड की स्थापना से पूर्वोत्तर सीमांत कमजोर हो जायेगा। सीमांत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की सन्तुष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिये यह अपरिहार्य है कि नागालैंड को आसाम से अलग कर दिया जाये।

नागा समस्या अंग्रेजी की विरासत है जिन्होंने उन क्षेत्रों को हमेशा एक पृथक इकाई बना कर रखा आदिवासी लोगों की समस्या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है वरन् उसका विस्तार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

होता जा रहा है । इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये, कुछ आदिम जातियां पृथक राज्य क्षेत्रों की मांग कर रही हैं। उन समस्त मांगों पर विचार किया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में नीति निश्चित की जानी चाहिये। यदि पहाड़ी लोग आसाम प्रशासन से अलग होने के लिये दृढ़ निश्चित हैं तो कटुता उत्पन्न होने से पूर्व ही मैदान के लोगों का, एक बड़ा संघ बना दिया जाना चाहियें।

संविधान की छठी अनुसूची के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये। या तो पहाड़ी लोगों के अलग-अलग राज्यवार बना दिये जायें अथवा छठी अनुसूची को निकाल दिया जाना चाहिये और उन क्षेत्रों को राज्यों के साथ मिला दिया जाना चाहिये।

†**श्री बसुमतारी** (गोलपाड़ा) : मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं । यदि आप नागालैंड के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि शुरू से ही यह अलग बना रहा है । देश की समस्त जनता ने कभी नागाओं से सम्पर्क बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया। यही कारण है कि हम उनके हृदय पर विजय नहीं पा सके। वे लोग बहुत ही सहृदय हैं उन्हें जीतना बहुत ही आसान है ।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब उनका एक राज्य अलग से बनाया जा रहा है । वे इस अपने राज्य का विकास अपने ही ढंग से करेंगे। नागालैंड बहुत ही सरल एवं परिश्रमी हैं । उनमें जो एकता है, वह अतुलनीय है ।

उनकी भाषा जन जाति की भाषा है । वह कई भाषाओं का मिश्रण है ।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करूंगा । और आशा करता हूं कि नागा लोग अपने ढंग से अपने राज्य की उन्नति करेंगे तथा आसाम के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ायेंगे । मैं उनकी पूर्ण सफलता की कामना करता हूं ।

श्री तुलसी दास जाधव (नांदड़े): अध्यक्ष महोदय, इस हाउस के सामने नागालैंड के नाम से एक स्वतंत्र बिल स्टेट इस फ़ेडेरेशन में बनाने के लिए जो बिल आया है , इस को मैं हार्दिक सपोर्ट करता हूं।

जहां तक नागाओं की मांग का सम्बन्ध है, यह कोई नई बात नहीं है । अगर हम पुराने इतिहास को देखें, तो पता चलता है कि बहुत दिनों से, अंग्रेज़ों के राज्य में भी, नागाओं ने एक अलग प्रदेश के लिए आन्दोलन किया, लेकिन उस समय उन की मांग को स्वीकार न किया गया और उन की इच्छा के अनुसार एक अलग प्रदेश का निर्माण करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की गई । इस लिए अब इस बात की जरूरत महसूस की गई कि नागा लोगों को अपने रीति–रिवाज और रहन सहन के तरीके के अनुसार एक अलग प्रदेश में रहने का अवसर दिया जाये । जैसा कि मैं ने अभी निवेदन किया है, अंग्रेज़ों के राज्य में उन लोगों की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया गया । स्वतंत्रता के बाद अगस्त, १६५७ में उन्होंने अपना पहला सम्मेलन किया और प्राइम मिनिस्टर , श्री नेहरू , से उन की मुलाकात हुई । उस मुलाकात में उन लोगों की ग्रीवेन्सेज़ और कठिनाइयों को देख कर उन के लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया गया । लेकिन उस के बनने के बाद भी उन्होंने दूसरा सम्मेलन किया । बार-बार सम्मेलन करने का उन का उद्देश्य यह था कि वहां पर जो लोग गड़बड़ कर रहे थे और राज्य के

†मूल अंग्रेजी में

खिलाफ़ कार्यवाहियां करते थे, उन को शांत किया जाये। यह दूसरा सम्मेलन उन्होंने मई, १९५८ में किया और उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई, जिस को यह काम सौंपा गया कि वह उन लोगों को ठीक तरह से समझाए, जो कि वहां पर नाराज़ थे, और इस प्रकार वहां पर शान्ति से काम चले। इस में थोड़ी सफलता मिली ।

उसके बाद तीसरा सम्मेलन अगस्त, १९५९ को किया गया, जिस के बाद उन्होंने अपनी यह मांग रखी कि हम को एक स्वतंत्र स्टेट चाहिए। इस संबंध में वे अप्रैल, १९६० में आसाम के चीफ़ मिनिस्टर से मिले और पंडित जी से जुलाई, १९६० में मिले। पंडित जी से मुलाकात के समय जो समझौता हुआ, उस के अनुसार यह बिल इस सदन में लाया गया है। इसलिए, जैसा कि मैं ने पहले भी कहा है, यह कोई नई बात नहीं है।

आसाम लेजिस्लेटिव असेम्बली को यह बिल भेजा गया और वहां पर पंडित जी का १ अगस्त, १९६० का स्टेटमेंट चीफ़ मिनिस्टर ने पढ़ कर सुनाया। इस को पढ़ने से मालूम होता है कि यह नई चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चीज है, स्वतंत्र स्टेट करना जरूरी बात है। उस के अनुसार यह बिल आया है। यह बड़ी अच्छी बात है और इस में विरोध का तो कोई कारण ही नहीं है। लेकिन एक बात यह नज़र आती है कि जो कुछ कहा जाता है, उस के मूजिब इम्प्लीमेंटेशन होता है और यह खुशी की बात है। उन का जो तीसरा सम्मेलन हुआ, उस में उन्होंने सोलह मांगें रखीं। उस के मूजिब यह बिल हमारे सामने आया है और इस को पास करने में हम को खुशी होती है।

बहुत पहले, आजादी मिलने से पहले हम यह कहते थे कि हमें आजादी चाहिये, हमें मौका मिलना चाहिये कि हम जो हमारी तकलीफें हैं, उन को खुद हल करें, और हम अपने आप मालिक हों, हमारा ही यहां पर राज्य हो। ऐसी ही इच्छा नागा लोगों की भी थी। हमें उन के दर्द को महसूस करना चाहिये और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। उनको बिरादरी के अन्दर ही स्वतंत्रता प्रदान करने के बारे में यह बिल आया है।

फिर एक यह भी बात है कि जब लोगों में अशांति होती है, लोगों के विचारों में परिवर्तन आ जाता है और उनकी कुछ इच्छायें होती हैं जिनको वे पूरा करने के लिये उतावले हो उठते हैं तो एक प्रकार की गड़बड़ फैल जाती है और शांति कायम नहीं रह पाती है और जो काम करने वाले होते हैं, जो राज काज चलाने वाले होते हैं, उन को भी चैन नहीं पड़ता है। हम शान्ति और व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि देश में कोई गड़बड़ी फैले। जहां पर रेवोल्यूशंज़ होते हैं, ब्लड रेवोल्यूशंज़ होते हैं तथा जहां पर कैपिटलिस्टक प्रवृत्तियां चलती हैं, उन जगहों पर तो समस्याओं का निबटारा करने के लिए अलग दूसरे तरीके होते हैं, दूसरे रास्ते होते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में जहां पर डेमोक्रैसी है, जहां पर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का निर्माण हम करना चाहते हैं और उस रास्ते पर चल रहे हैं और जहां पर लोगों के लिये ही, उन के हित के लिए ही, हमें काम करना है, हमें लोगों के विचार सुन कर, उनकी मांगों को, उनकी आकांक्षाओं को सामने रखकर ही कार्य करना होगा और यह उचित भी है। मैं समझता हूं कि एक अच्छा काम आज इस वक्त यहां पर नागालैंड स्थापित करने के बारे में बिल को लाकर किया जा रहा है। जिस तरह से पंद्रह अगस्त को जब हम स्वतंत्र हुए थे, हमने खुशियां मनाई थी उसी तरह से आज नागा लोगों के लिए भी खुशी का दिन होना चाहिये जो यह बिल यहां पास हो रहा है। उनको इस बात की खुशी होगी कि उन के लिए एक स्वतंत्र स्टेट बनने जा रहा है।

[श्री तुलसीराम जाधव]

एक माननीय सदस्य ने असम असैम्बली के अन्दर जो कुछ हुआ, वहां पर जो स्पीचिज़ हुई हैं, जो चीफ मिनिस्टर की स्पीच हुई है, उसका हवाला दिया है। वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने जो रेजोल्यूशन पेश किया उस को उन्होंने पढ़ दिया उस में से एक पैरा इस प्रकार है :—

इस सभा का यह विचार है कि नागालैण्ड विधेयक १९६२ उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता जो कि पहले निश्चित किये गये थे।

यह ठीक है कि उन्होंने अपनी दृष्टि से वहां पर मूव किया। ऐसा करना एक साधारण सी बात है। आज भी देखा जाता है कि जब दो स्टेट्स के मध्य झगड़ा होता है तो जो नेतागण होते हैं, उन को वहां के लोगों की इच्छाओं के अनुरूप ही कहना और करना पड़ता है। यह तो कोई तीसरा आदमी ही फैसला कर सकता है, सैंटर में बैठने वाला ही फैसला कर सकता है कि क्या उचित है है और क्या अनुचित। वहां के लोग अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन पेश करें कि इनको नागालैंड दे दिया जाए, एक स्वतंत्र राज्य दे दिया जाए तो उन के लिए वहां पर मुश्किल हो सकती है। लोगों की अलग अलग भावनायें होती हैं। वहां पर जो स्पीचिज़ हुई उन से चौदह आना प्रतिकूल थे और दो आना अनुकूल थे। बहुमती लोगों का कहना था कि स्वतंत्रता नागा लोगों को प्रदान कर देने से, असम की शक्ति कम होगी। ऐसा कहना उन के लिए स्वाभाविक ही था। लेकिन ऐसा विरोध वहां पर नहीं हुआ कि उन के लिए काम करना ही मुश्किल हो जाता। इस तरह की बातें मामूली होती हैं; छोटी होती हैं और इनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और मैसूर के बीच झगड़ा है। इसका भी सैंटर की तरफ से न्यायिक हल, मैं समझता हूं, निकाल लिया जाएगा। । वहां के जो लोग हैं वे भी चाहते हैं कि कोई न्यायसंगत हल निकल आए। असम असैम्बली के रेंजोल्यूशन को देख कर तथा वहां हुई स्पीचेज़ को देख कर, इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिये, ठीक नहीं है और इसका कोई आधार नहीं है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो बिल नागालैंड स्टेट बनाये जाने के बारे में आया है, यह बड़े आनन्द की बात है। पंडित जी ने ऐसा कर के इस बात का परिचय दिया है कि वह डेमोक्रेसी को कितना महत्व देते हैं और डेमोक्रेटिक रीति से ही काम करना चाहते हैं। इस वास्ते मैं समझता हूं कि इस चीज़ को ठीक रीति से समझा जाए और इस को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

†**श्री बड़े** : अध्यक्ष महोदय, यह जो नागालैंड का बिल सामने आया है और साथ ही साथ कांस्टीट्यूशन को एमेंड करने के बारे में बिल आया है, इन दोनों के बारे में मैं ने एमेंडमेंट दिए हैं नेशनल इंटैग्रेशन का जो हमारा कि इनको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाए। इसका कारण है कि मैंने बिल में देखा है कि इस से नेशनल इंटैग्रेशन का जो हमारा ध्येय है, वह पूरा नहीं होता है। हम अपने देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त करते जा रहे हैं, छोटी-छोटी टैरिटरीज़ में बांटते जा रहे हैं और यही अगर हालत रहती है तो हम कहां जा कर रुकेंगे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने रावी के किनारे खड़े होकर कहा था कि हिन्दुस्तान एक है, यह हमारी मातृभूमि है और उन्होंने जय भारत का नारा बुलन्द किया था। इस चीज़ को हमने रीडर में पढ़ा है। लेकिन अब हम क्या देखते हैं। किसी को हाथ काट कर दिया जा रहा है, किसी को भारत माता का पैर काट कर दिया जा रहा है। जब मैंने इसको देखा तो गोल्डस्मिथ की स्टोरी मेरे सामने आ गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक गेस्ट उस के पास गया अपना घोड़ा लेकर । वह घोड़ा वहां मर गया । जब उस ने घोड़े को वापिस मांगा तो उसने घोड़े के बजाय एक लकड़ी उसको दे दी और कहा कि दिस स्टिक विल बी यूअर हार्स । उसने कहा कि यह कैसा मजाक कर रहे हो, यह स्टिक कैसे हार्स हो सकती है । उसने कहा कि कुछ नहीं, यूविल वाक बिद यूअर लैग्ज़, लेकिन यह जो स्टिक है उसको हार्स ही समझो। इसी प्रकार का यह बिल है । १९३५ का जो एक्ट था उस में जिस तरह की पावर्स इम्पीरयलिस्टक गवर्नर को दे दी गई थीं, उसी प्रकार की पावर्स यहां पर भी गवर्नर को दी जा रही हैं और इस बिल का नाम नागालेंण्ड रख दिया गया है । क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है, समझ में नहीं आता है। इस बिल में बहुत से ऐसे दोष हैं जिन को दूर करने के वास्ते इसको सिलैक्ट कमेटी को रेफर करना बहुत जरूरी है। आप ने उनको आटोनोमी तो दी लेकिन साथ ही साथ गवर्नर को एक मुगल एम्परर की हैसियत में उन के ऊपर ला खड़ा कर दिया है। ऊपर से तो ऐसा ही मालूम पड़ता है कि उनको आटोनोमी दी गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है ।

इसके साथ ही साथ मैं एक खतरे की घंटी भी बजा देना चाहता हूं और यह खतरा ईसाई मिशनरियों की तरफ से उपस्थित है। बैरीयर एलविन की किताब में भी इसका कुछ जिक्र है। ईसाई मिशनरीज़ जो हैं वे नागाओं में, आदिवासियों में बहुत ही गलत ढंग का, बहुत ही भ्रांतिपूर्ण प्रचार कर रहेहैं और उन को गुमराह कर रहे हैं, हम से अलग कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि बैड नागाज़ अच्छे हैं, लेकिन गुड हिन्दूज़ अच्छे नहीं हैं। इस तरह की भावनाऐं वे इन लोगों के दिमागों में भरते जाते हैं। इनको वे हम से अलग करने की हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं । हमारे इतिहास को, हमारे धर्म-ग्रन्थों को तोड़ मरोड़ कर उन के सामने रख रहे हैं। उन्होंने उनको यहां तक कहा है कि शंकर भगवान ने किरात का रूप लिया था। उमा ने भी किरात का रूप लिया था । वे अर्जुन को मिले। अर्जुन ने नाग की कन्या उलुकी से शादी की। अब वे कहते हैं कि किरात का मतलब नागाज़ है, ऐसा महाभारत में है, ऐसा हमारा इतिहास है । इस तरह से वे उनको गुमराह कर रहे हैं और हमसे उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। फिज़ो ने अशांति फैलाई और उसके आगे हमारी सरकार झुक गई । जिसको हम पिलपिली गवर्नमेंट करते हैं, वैसी यह गवर्नमेंट है । जो भी कोई इस पर प्रेशर डालता है, उस के आगे यह झुक जाती है। दबने वाली यह गवर्नमेंट है। प्रेशर आया और पाकिस्तान बन गया । प्रेशर आया तो महाराष्ट्र और गुजरात अलग-अलग हो गए। पंजाबी सूबे के बारे में भी शायद ऐसा ही ही होगा . . .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री बड़े : इस तरह की प्रेशर थ्यूरी पर अगर आप चलते हैं तो यह गलत बात है । हमारे यहां पश्चिम में भी आदिवासी हैं। उनकी भाषा भी एक है और एक प्रान्त के ही वे रहन वाले हैं। कल को वहां से भी मांग उठ सकती है कि जब आप ने तीन साढ़े तीन लाख नागाओं के लिए नागालैंड दे दिया तो क्यों नहीं आप हमारे लिए भी आठ लाख के लिए भीलावा लैंड दे देते। तब आप क्या करेंगे। अगर वह भी, दे देंगे तो कहां तक आप जायेंग ।

अब भी वक्त है कि इस तरह की पृथकतावादी प्रवृत्तियों पर आप रोक लगायें। मैं चाहता हूं कि आप आज आश्वासन दें कि आईंदा और अधिक भारत के टुकड़े नहीं होंगे। आपको चाहिये कि आप कहें कि अब की बार माफ कर दीजिय आइंदा और टुकड़े नहीं होने दिये जायेंगे ।

[श्री बड़े]

एक तरफ तो नेशनल इन्टैग्रेशन की बात चल रही है, उस कमेटी की मीटिंग चल रही है और वहां पर यह मांग की जाती कि देश एक होना चाहिये, इधर आप और टुकड़े करते जा रहे हैं। जवाहरलाल जी की वह बात कहां गई जो उन्होंने कही थी कि इंडिया इज अवर कंट्री और जो उन्होंने जयभारत का अर्थ बताया था कि वी आर आल वन क्यों आप हिन्दुस्तान के छोटे छोटे-टुकड़े करते जा रहे हैं। क्यों नहीं आप चार जोंज रखते और यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट करते। इससे आपका खर्चा कम होगा और आपको टैक्स बढ़ाने की जरुरत महसूस नहीं होगी। नागालैंड का पूरा खर्चा आप उठाने जा रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी गवर्नर को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई है। ऊपर से तो बहुत शो कर दिया है कि नागालैंड बनाने के बारे में यह बिल है और हम उनको आटोनोमी देने जा रहे हैं लेकिन अन्दर से यह दूसरी ही कहानी कहता है। इस वास्ते मैं ने एमेंडमेंट दिया है कि इसको सिलैक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए। इसका एक कारण यह भी है कि ३७१ जो आर्टिकल कांस्टीट्यूशन का है, उसका पांचवां शैड्यूल्ड जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के बारे में और छठा शैड्यूल ट्राइबल एरियाज के बारें मैं है। साथ ही छठा जो शैड्यूल है वह १९३५ का जो एक्ट था और उसमें ट्राइबल्ज के बारे में जो एक पालिसी निर्धारित की गई थी, वही पालिसी और उसी लैबैसी को इसमें भी कैरी आउट किया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर इसको सिलैक्ट कमेटी मैं भेजा जाए तो वह इस पर विचार कर सकेगी कि दरअसल मैं गवर्नर को कितनी पावर्स दी जानी चाहियें। जो नारे आप इक्वैलिटी' फैटर्निटी, लिबर्टी और जस्टिस के लगाते हैं अपने कांस्टिटयूशन में, उन नारों के अनुसार यह अमेंडमेंन्स हो रहे हैं या नहीं, इस का परीक्षण किया जाये, इस वास्ते मैं ने अपने संशोधन रक्खे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : लगभग सभी सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है।

इस ~~समस्या के~~ समाधान के लिये अभी हाल मैं प्रयत्न नहीं किया गया है बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही बल्कि उससे पहले से ही प्रयत्न किया जा रहा है। सदैव से ही यह प्रयत्न रहा है कि देश में एकता बनी रहे। मेरी समझ में उन लोगों की बात नहीं आती जो दावा तो देशभक्त होने का करते हैं लेकिन वैसे देश के विभाजन की बात करते हैं। राष्ट्रवादी वही व्यक्ति कहा जा सकता है जो हर काम राष्ट्र के हित के लिये करे।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार का आधारभूत दृष्टिकोण यह रहा है कि लोगों की सद्भावना से भिन्नता होते हुए भी एकता को रखते हुए एक संगठित भारत का निर्माण किया जाये।

भारतीय लोग विदेशों में गए। विदेशी हमारे देश में आए और यहां उनका एकीकरण हो गया। उन के विचार और धर्म यहां मिल गए। भारत में कई धर्म हैं। भारत ऐसा देश नहीं है जिसमें एक ही धर्म है और एक ही भाषा है। कोई भी व्यक्ति या जनसमुदाय या राष्ट्र तभी बड़ा हो सकता है जब उनका दृष्टिकोण विशाल हो और वे चीजें ग्रहण करने के लिए तैयार हों। दुर्भाग्यवश अलग रहने की आदत भारत में भी आई और बहुत बड़े लोगों को भिन्न विचारों वाले बना दिया और इससे उन का पतन हुआ।

हमारी विचारधारा भिन्न है। हम अलग नहीं रहते। समय आएगा जब राष्ट्रीयता पर्याप्त नहीं समझी जाएगी। अत हमें भारत में रहने वाले सभी लोगों का, उनका कोई धर्म हो उन की कोई रीतियां हों, स्वागत करना है और सब से मिल कर काम करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह विधेयक सही विधेयक है । यह विधेयक उस समझौते पर आधारित है जो कि दो वर्ष पूर्व दिए गए ज्ञापन पर हुआ था । यह विधेयक नागा नेताओं से सलाह कर के बनाया गया था । अतः बहुत सी आलोचनाएं उचित नहीं हैं ।

राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कुछ आलोचनाएं हुई थीं । इस विधेयक से पूरा राज्य बनेगा । इस राज्य पर कुछ अस्थायी प्रतिबन्ध हैं । पहला प्रतिबन्ध तो शांति-व्यवस्था के सम्बन्ध में है, दूसरा प्रतिबन्ध कुछ धन के बारे में है और तीसरा प्रतिबन्ध त्युनगसांग जिले के सम्बंध में है । इन प्रतिबन्धों के अतिरिक्त यह पूरा राज्य है ।

नागालैंड में शांति व्यवस्था की अवस्था सामान्य सी है । यह पहले से सामान्य है, परन्तु इसे असामान्य तरीके से सम्भालना है । अतः इस काम का कुछ बोझ राज्यपाल सम्भालें और कुछ उत्तरदायित्व वहां के मंत्रालय पर होगा । परन्तु सारा उत्तरदायित्व उन पर छोड़ना उचित नहीं । जब वहां स्थिति सामान्य हो जायेगी तो राज्यपाल के कहने पर विशेष उपबन्धों को राष्ट्रपति समाप्त कर देंगे ।

जहां तक वित्त का प्रश्न है, इस राज्य को केन्द्रीय सरकार बहुत सा राजस्व दगी । चूंकि इस राज्य को बहुत धन केन्द्र से दिया जाएगा अतः ऐसा देखा गया कि केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि अंशतः इस निधि के निपटारे के लिए उत्तरदायी हों । वे भी राजस्व पैदा कर सकते हैं । सब राजस्व उन की अनुमति से व्यय किया जाएगा । इस प्रकार के मामलों में अन्तिम निर्णय राज्यपाल का होगा ।

त्युएनसांग जिले के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है वह वही है जिसे जिले के प्रतिनिधि चाहते थे । विभिन्न कारणों से लोग ऐसा चाहते थे । हम ने उसे मान लिया ।

जहां तक राज्यपाल का सम्बन्ध है, वह न केवल केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रपति का नौकर है, परन्तु संसद् का भी नौकर है । वह कुछ सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करेगा और जो कुछ वह करता है सरकार के सामने होगा ।

इतने छोटे क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करना उचित नहीं है । मुख्य न्यायाधीश वहां "बेंच" स्थापित कर सकता है ।

विधेयकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिस से नागालैंड के लिए पृथक राज्यपाल नियुक्त किया जा सके परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में एक ही राज्यपाल रखना वाछनीय समझा गया है । परन्तु ऐसा हमेशा ही नहीं रहेगा । इसे रोकने के लिए कुछ नहीं है ।

आसाम के राज्यपाल का नेफा के बारे में विशेष उत्तरदायित्व है । अतः आसाम का राज्यपाल नियुक्त करते समय विशेष ध्यान रखना है । आसाम के राज्यपाल के पास अधिक काम होता है और उस के बड़े उत्तरदायित्व हैं । पहले बहुत योग्य राज्यपाल थे जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया । अब हम शीघ्र एक तजुर्बे वाले कर्मचारी को वहां भेज रहे हैं । अतः व्यवहारिक दृष्टि से उचित है कि आसाम के राज्यपाल ही नागालैंड के राज्यपाल हों ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** उसका दफ्तर कहां होगा ? वह शिलांग में या मोकोकवांग में ? जब आप उसे इतनी राजनैतिक और प्रशासनिक शक्तियां दे रहे हैं तो वहां के लिए अलग राज्यपाल का होना अच्छा रहेगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वह दोनों स्थानों को जाएगा ।

कुछ सदस्यों ने सोचा कि नागालैंड बनने से वितीय भार जो कि ४ करोड़ रुपए है बहुत अधिक होगा, परन्तु अब अधिक भार है । नागालैंड हमेशा ही पृथक इकाई रहा है, किसी भाग को अलग नहीं किया जा रहा है । कुछ वर्ष पहले यह अलग किया जा रहा था । अब उस इकाई को अलग से नाम दिया जा रहा है ।

सरकार का इस समय नेफा की प्रशासकीय व्यवस्था में परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है । जहां तक मनीपुर और त्रिपुरा का सम्बन्ध है माननीय गृह-कार्य मंत्री शीघ्र ही केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए प्रस्तावनाएं रखेंगे ।

यह बिल्कुल ठीक है कि आसाम विधान सभा ने इस प्रश्न को पसन्द नहीं किया और उन्होंने कुछ हिचकिचाहट से संकल्प पारित किया, परन्तु आसाम विधान सभा के लिए यह कोई नई चीज नहीं थी । आज जो विधेयक आया है इसका दो वर्ष से पता है ।

दूसरे यह क्षेत्र कुछ वर्ष पूर्व आसाम से पृथक कर दिया गया था । पिछले दो तीन वर्षों में इस से उन का कोई सम्बन्ध नहीं था । यह तो एक तथ्य को मानना है । दूसरे और तथ्य को हमने मानना है । इस नागा क्षेत्र में जो कुछ हुआ उस से हम सब को खेद हुआ । परन्तु इस के लिये केन्द्रीय और आसाम सरकार दोनों का उत्तरदायित्व था । हमारी गलती इसलिये थी कि हमने आरम्भ में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया । स्वतन्त्रता के बाद हम कई समस्याओं में व्यस्त थे । यदि हमने और आसाम सरकार ने जिस पर कि सीमा उत्तरदायित्व था इस मामले पर भिन्न रुप से कार्यवाही की होती, तो परिणाम भिन्न होते । परन्तु कोई परिस्थिति पैदा हो गई है । हमें उस का हल निकालना है । जो रास्ता हमने निकाला है वह अच्छा है, क्योंकि अधिकांश नागाओं के लिये संतोषजनक है । आशा है कि उन का हृदय परिवर्तन होगा और हम सब में सहयोग होगा ।

आसाम के जो दो सदस्य बोले हैं उन्होंने दोनों विधेयकों का समर्थन किया है । मेरे नवयुवक साथी जी कि नागालैंड के प्रतिनिधि हैं उन्होंने जो भाषण दिया वह माननीय सदस्यों ने बड़ी दिलचस्पी से सुना है । उन्होंने बड़े जोश से बोला क्योंकि वे नौजवान हैं और वे बड़े साहस से इसलिये बोले कि वे वहां के लोगों में से हैं । अतः ये विधेयक इसी रुप में पारित करने चाहियें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं श्री बड़े का संशोधन मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा नागालैंड राज्य विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपे जाने के बारे में संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि नागालैंड राज्य की स्थापना और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं दूसरा प्रस्ताव भी मतदान के लिये रखता हूं । यह प्रस्ताव संविधान के संशोधन के सम्बन्ध में है । इसको पारित करने के लिये संविहित बहुमत की आवश्यकता है अतः मैं घंटी बजाता हूं जिससे कि जो सदस्य सभा में नहीं हैं वे भी सभा में आ जायें । इसके पूर्व में श्री बड़े का दूसरा संशोधन मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक को एक प्रवर समिति के सौंपे जाने के बारे में संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३३५: विपक्ष में ६ ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†अध्यक्ष महोदय : इस समय सभा में अच्छी उपस्थिति है । इसलिये हम पहिले संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे ।

खण्ड २ (भाग २१ का संशोधन)

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं संशोधन ५ प्रस्तुत करती हूं । इसका आशय यह है कि नागालैंड के लिये एक पृथक् राज्यपाल होना चाहिये । क्योंकि आसाम के राज्यपाल को ही वहां का राज्यपाल बनाने के पर्याप्त कारण नहीं दिये गये हैं और जब हम उन्हें राजनैतिक अधिकार दे रहे हैं तो यह भी आवश्यक है कि इस हम वहां के लिये एक पृथक् राज्यपाल देवें जो वहां की स्थिति का अध्ययन करे और उसके अनुरूप कार्य करे । मेरे संशोधन संख्या ७ का अभिप्राय यह है कि राज्यपाल को संसद के अधिनियमों को रद्द करने का अधिकार न दिया जाये । मैं नहीं जानती कि कौन से अधिनियम रद्द करने अनिवार्य हैं । यदि मंत्री महोदय द्वारा इस पर प्रकाश डाला जायेगा तो मैं इसे वापस ले लूंगी । मैं अपना संशोधन संख्या भी प्रस्तुत करती हूं ।

†श्री हरि विष्णु कामतः मैं संशोधन संख्या ३, ४, ६ और १० प्रस्तुत करता हूं ।

मैं पहिले संशोधन संख्या ६ और १० लेता हूं । इससे मेरा आशय यह है कि इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति द्वारा कितने भी आदेश निकालें जायें वे सब सभा पटल पर रखे जायें जिससे सभा उनमें अपेक्षित संशोधन कर सके ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

संशोधन संख्या ३ और ४ का आशय यह है कि नागालैंड के स्थान में इस नये प्रदेश का नाम नागालिया या नागा प्रदेश रखा जाये। नागालैंड के नाम से कई भ्रांतियां हो सकती हैं और यह नाम विदेशी अधिक लगता है। विदेशों में इस भ्रांति का अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न किया जायेगा। अतः इसके नाम में परिवर्तन कर दिया जाये। नागा भाषा में प्रदेश को "लिया" कहते हैं यदि हम तामिलनाड स्वीकार कर सकते हैं तो हमें नागालिया भी स्वीकार करना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं। इसका आशय यह है कि नागालैंड की विधान सभा को पूरी राजनैतिक और वित्तीय शक्तियां होनी चाहिये। तथापि तुएनसांग क्षेत्र के लिये राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई हैं। इससे विधान सभा और राज्यपाल के अधिकारों में विरोध होता है अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इसे हटा दिया जाये। राज्यापल को यह अधिकार दिया गया है कि वह तुएनसांग क्षेत्र के सम्बन्ध में विधान सभा के निर्णय रद्द कर सकता है और विधान सभा का कोई भी भिर्णय राज्यपाल की सहमति के बिना लागू नहीं होगा। राज्यपाल को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम या विधि को भूतलक्षी अवधि से रद्द कर सकते हैं। इस प्रकार राज्यपाल को बहुत अधिक शक्ति दी गई है जो अनुचित है। साथ ही खंड (२) (च) में यह कहा गया है कि तुएनसांग के सम्बन्ध में राज्यपाल को ही निर्णय का अंतिम अधिकार होगा।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** मैं श्रीमती रेणुचक्रवर्ती के संशोधन ७ से सहमत हूं। विधि मंत्री को उस पर पुनः विचार करना चाहिये। यह उचित नहीं है कि राज्यपाल को इतनी शक्तियां दी जायें कि वह भूतलक्षी अवधि से संसद् द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को रद्द कर सके। यह एक अभूतपूर्व विधान है अतः विधि मंत्री को दूसरा स्पण्टीकरण करना चाहिये।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** इस समय नागालैंड संघ क्षेत्र है और केन्द्रीय सरकार और संसद उसके बारे में कानून बना सकते हैं परन्तु विधेयक बाद संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नागा लैंड राज्य सातवीं अनुसूची की सूची २ के किसी भी विषय पर कानून बना सकेगा जो किसी केन्द्रीय कानून के विरुद्ध हो सकता है। उस सूची के सम्बन्ध में उसे पूर्व अधिकार दिया गया है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। संविधान में इसकी व्यवस्था है।

राज्यपाल को तुएनसांग के क्षेत्र के बारे में जो विशेष अधिकार दिये हैं उसका कारण यह है कि शायद आने वाले दस वर्षों में नागालैंड की विधान सभा इस क्षेत्र के लिये दस वर्ष तक कानून नहीं बना सकेगी। अतः यह संशोधन किया गया है कि इस अर्से में इस क्षेत्र के लिये विधायिनी प्राधिकार राज्यपाल के पास होंगे। इस क्षेत्र में लागू होने वाले सभी कानून उसके द्वारा ही पारित होंगे। इसमें कोई विचित्रता नहीं, न ही यह अधीनस्थ विधान का मामला है। यह तो संविधान द्वारा विधायनी प्राधिकार की स्थापना की जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या राज्यपाल इस मामले में विधान सभा का कार्य करेंगे।

†**श्री अ० कु० सेन :** छठी अनुसूची के पैराग्राफ १९ में राज्यपाल को अनुसूचित आदिम जाति लोगों के लिये विधान बनाने की शक्तियां प्राप्त है। यह तो संविधान की बात है जिसे हम सजीव रख रहे हैं। त्युएनसांग क्षेत्र पर विधान मंडल का कोई अधिकार नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** परन्तु यह शक्तियां तो उस समय के लिये हैं जब कोई पहाड़ी क्षेत्रों का राज्य नहीं था, परन्तु जब नागालैंड नाम से राज्य की स्थापना हो गई तो यह संवैधानिक व्यवस्था उस पर लागू नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय प्रधान मंत्री इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** प्रथम बात तो यह है कि नागालैंड और आसाम के राज्यपाल एक ही होंगे। संविधान की व्यवस्था के अनुसार "प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। परन्तु उसी व्यक्ति के दो और इससे अधिक राज्यों के राज्यपाल बनने में कोई रुकावट नहीं।" मेरी व्यक्तिगत रूप में यह ही मत है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आसाम और नागालैंड के लिए एक ही राज्यपाल होना उचित ही है।

नाम बदलने की बात श्री कामत ने की है। उनका कहना है कि इसका नाम नागालिया अथवा नागा प्रदेश रखा जाना चाहिए। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हम इस बारे में दो वर्ष तक बराबर सोचते रहे हैं। परन्तु नागा लोग "नागालैंड" नाम पर ही जोर देते रहे हैं। और वे इस बात को बहुत महत्व भी देते थे। इस बात पर हमने उनकी बात से असहमत होना ठीक नहीं समझा। अतः नागालैंड नाम ही स्वीकार कर लिया गया है। नागालैंड बोलने से किसी विदेशी देश का बोध होता है, यह बात मुझे नहीं जंचती।

इसके अतिरिक्त जहां तक विधि तथा व्यवस्था और वित्त का सम्बन्ध है, राज्यपाल को विशेष अस्थायी शक्तियां प्राप्त हैं। यह समस्त योजना का आधार है। त्युएनसांग के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था सम्बन्धित पक्षों की सहमति से की गयी है। वर्तमान परिस्थितियों में उन शक्तियों को ऐसा ही रखना होगा।

†**श्री अ० कु० सेन :** यह व्यवस्था अस्थायी है और केवल दस वर्षों तक रहेगी। केवल इतने वर्षों तक ही इस क्षेत्र के विधान मंडलीय अधिकार राज्यपाल के पास रहेंगे। कारण यह है कि यह क्षेत्र काफी ग्रस्त और पिछड़ा हुआ है। विशेष महत्व से यह विशेष व्यवस्था की गयी है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान में लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं श्री कामत का संशोधन संख्या ३ मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं श्री कामत का संशोधन संख्या ४ मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ मतदान के लिये रखा गया

सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में २९ : और विपक्ष में २९४

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री कामत का संशोधन संख्या ६ मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ मतदान के लिये रखा गया

सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में ४२ और विपक्ष में २८१

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में ३१० : विपक्ष में ६

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि खंड १, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में ३१३ : विपक्ष में ५

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ सभा की कुल सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कल हम नागालैंड राज्य विधेयक पर विचार करेंगे ।

इस के पश्चात् लोक सभा बुधवार, २९ अगस्त, १९६२/७ भाद्र १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २८ अगस्त, १९६२

६ भाद्र, १८८४ (शक)

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . २११५—४१

तारांकित
प्रश्न संख्या

६४३ ताप्ती और गोदावरी नदियों को मिलाना . . . २११५-१६
६४४ कृषि विश्वविद्यालय, मैसूर . . . २११६-१७
६४५ बम्बई के नाविकों द्वारा हड़ताल . . . २११७—१९
६४६ भारतीय रेलों में पहियों और एक्सलों की कमी . . . २११९—२१
६४७ माताटीला बांध . . . २१२१—२३
६४८ यमुना पर पुल . . . २१२३—२५
६४९ कृषि के औजार . . . २१२५—२७
६५० दूसरा शिपयार्ड . . . २१२७—२९
६५१ रेडं परियोजना से बिजली . . . २१२९—३१
६५२ आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाइयां . . . २१२३—३३
६५३ फल तथा ढोर फार्म . . . २१३३—३५
६५४ पूर्णा जल-विद्युत् परियोजना . . . २१३५-३६
६५५ भारत में रूस को सहायता प्राप्त तापीय विद्युत् संयंत्र . . . २१३६-३७
६५६ पंजाब तथा काश्मीर में भूचाल . . . २१३७-३८
६५७ डाकखानों में फार्मों की कमी . . . २१३८-३९

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

७ नई दिल्ली के इर्विन अस्पताल में पानी की सप्लाई का बन्द किया जाना . . . २१३९—४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . २१४२-८७

तारांकित
प्रश्न संख्या

६५८ पोचमपाद बहुप्रयोजनीय परियोजना . . . २१४२
६५९ पुराने डकोटा विमान . . . २१४२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या

६६०	रेलवे की चोरी गई सम्पत्ति	२१४२-४३
६६१	ऊपरी सिलेरू परियोजना	२१४३
६६२	अलनावर--डंडेली रेलवे लाइन	२१४३
६६३	खली की भाड़ा दरों में वृद्धि	२१४४
६६४	'आटोमैटिक फायर अलार्म' प्रणाली	२१४४
६६५	आदि जयन्ती पोत के कर्मचारी	२१४४-४५
६६६	बिजली का विकास	२१४५

अतारांकित प्रश्न संख्या

१८०४	कलकत्ता पत्तन से खनिज अयस्कों का परिवहन	२१४५-४६
१८०५	अलवाय में सूखी मछली के पार्सल	२१४६
१८०६	बिजली की प्रति व्यक्ति खपत	२१४६-४७
१८०७	राजस्थान का रेगिस्तान	२१४७-४८
१८०८	लाहौल और स्पिति में बीजों की उपज	२१४८-४९
१८०९	त्रिपुरा में वन सम्बन्धी मामले	२१४९
१८१०	चक्रधरपुर डिवीजन में नियुक्तियां और पदोन्नतियां	२२४९
१८११	विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों द्वारा विमान द्वारा यात्रा के लिये बुकिंग	२१५०
१८१२	केरल में तैरता हुआ डाकखाना	२१५०
१८१३	नारियल के बागान	२१५०
१८१४	क्विललोन जंक्शन पर रिटायरिंग रूम	२१५१
१८१५	त्रिवेन्द्रम पेट्टा में प्रतीक्षालय	२१५१
१८१६	डाकतार विभाग की इमारतें, रेवाडी	२१५१
१८१७	अम्बाला स्थित पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय अन्यत्र ले जाना	२१५१-५२
१८१८	करजन खोपोली रेलवे लाइन पर अतिरिक्त रेल चलाना	२१५२
१८१९	मछली ले जाने के लिये इंसुलेटेड रेफ्रिजरेटर रेल माल डिब्बे	२१५२
१८२०	झरसुगुडा रेलवे लेवल क्रासिंग पर ऊपरी पुल	२१५२-५३
१८२१	केन्द्रीय सड़क निधि से आंध्र प्रदेश को अनुदान	२१५३
१८२२	आंध्र प्रदेश में डाकखाने की इमारतें	२१५३-५४

1788(Ai)LSD—8.

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८२३	रामेश्वरम्, स्टेशन दक्षिण रेलवे	२१५४
१८२४	राष्ट्रीय राजमार्ग	२१५४–५५
१८२५	सलाद और उझ पनबिजली परियोजनायें	२१५५
१८२६	तपेदिक में वृद्धि	२१५५
१८२७	ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर	२१५६
१८२८	दुग्ध केन्द्र	२१५६
१८२९	कांडला बन्दरगाह में आग	२१५६–५७
१८३०	दक्षिण-पूर्व रेलवे के सिंगा रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल	२१५७
१८३१	भारत में जल-विद्युत् संभाव्य संसाधन	२१५७
१८३२	टेलीफोन सम्बन्ध	२१५७–५८
१८३३	एयर इण्डिया का वाणिज्यिक विज्ञापन	२१५८
१८३४	बीज के आलू	२१५८–५९
१८३५	वंशधारा परियोजना	२१५९
१८३६	बैंगशक के पास विमान दुर्घटना	२१५९
१८३७	दिल्ली टेलीफोन मंत्रणा समिति	२१५९–६०
१८३८	डाक तथा तार कर्मचारी	२१६०
१८३९	तीसरी योजना में पीने के पानी और नाली की सुविधायें	२१६०
१८४०	पुराने किले के पास भूदृश्य	२१६१
१८४१	रेलवे कर्मचारियों को रात्रि भत्ता	२१६१
१८४२	दिल्ली में सड़क पर फैली पाई गई डाक	२१६१–६२
१८४३	शर्बती जल-विद्युत् परियोजना	२१६२
१८४४	गुजरात में सिंचाई की बड़ी व मध्यम परियोजनायें	२१६२
१८४५	ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज संसाधन	२१६३
१८४६	गुजरात में सिंचाई वाली भूमि	२१६३–६४
१८४७	पूर्वोत्तर रेलवे के भटनी जंक्शन स्टेशन पर दुर्घटना	२१६४
१८४८	महापौर सम्मेलन	२१६४–६५
१८४९	मद्रास राज्य से आंध्र राज्य को बिजली	२१६५
१८५०	कोटा-बीना रेल मार्ग पर ड्राई स्टोन पिचिंग	२१६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१८५१	पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर डिवीजन में चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जाति के कर्मचारी	२१६६
१८५२	त्रिपुरा में भूमि का सर्वेक्षण	२१६६
१८५३	आंध्र प्रदेश में मरेदुमिल्ली-चिन्तूर सड़क	२१६६—६७
१८५४	दक्षिण रेलवे पर नीबू का बुकिंग	२१६७
१८५५	"एयर इण्डिया" द्वारा विज्ञापन आन्दोलन	२१६७
१८५६	बिहार-पश्चिम बंगाल क्षेत्र में विद्युत् आवश्यकताओं के लिये विदेशी मुद्रा	२१६८
१८५७	आंध्र प्रदेश में ग्राम्य विद्युतीकरण	२१६८
१८५८	टी० टी० ई० को बटुए का मिलना	२१६८
१८५९	पटना से बखाडीह तक ट्रेन सेवा का बन्द किया जाना	२१६९
१८६०	डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टर	२१६९
१८६१	तम्बाकू की खेती	२१६९—७०
१८६२	कोठार बांध	२१७०
१८६३	राजस्थान में टिड्डी आक्रमण	२१७०—७१
१८६४	डाक-तार विभाग के वार्षिक खेल	२१७१
१८६५	उत्तर प्रदेश में पेय जल सम्भरण योजनायें	२१७२
१८६६	विमान दुर्घटना	२१७२
१८६७	आसाम में कृषि विश्वविद्यालय	२१७२—७३
१८६८	रेलवे में अराजपत्रित चिकित्सा पदाधिकारी	२१७३
१९६९	कृषि आयुक्त	२१७३—७४
१८७०	वरिष्ठ पदों के लिये भरती	२१७४
१८७१	पैकेज प्रोग्राम	२१७४—७५
१८७२	ग्रामीण विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण योजनायें	२१७५
१८७३	आन्द्राथ तथा कवरती द्वीपसमूह में स्तम्भ-प्रकाश	२१७५—७६
१८७४	कडुनाथ तथा चेतलत द्वीपों में चिकित्सा सुविधायें	२१७६
१८७५	महाराष्ट्र में सिंचाई की बड़ी परियोजनायें	२१७७
१८७६	महाराष्ट्र में सिंचाई की बड़ी परियोजनायें	२१७७
१८७७	इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन पर विदेशी पर्यटकों का "ग्रुप किंग"	२१७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१८७८	जिला शोलापुर, महाराष्ट्र में पीने के पानी का संभरण	२१७८—७९
१८७९	जयपुर डिवीजन के लिये वैगन	२१७९
१८८०	रेलवे में रोजगार तथा पदोन्नति के लिये शिक्षा प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना	२१७९—८०
१८८१	अनुसूचित विमान संचालकों को विमानों को बदलने के लिये सहायता	२१८०
१८८२	यमुना पर छोटे बहुप्रयोजनीय बांध सम्बन्धी समिति	२१८०
१८८३	खाद्यान्नों के आयात के लिये दिया गया भाड़ा	२१८०—८१
१८८४	जहाजों के अर्जन के लिये विदेशी मुद्रा	२१८१
१८८५	किराये पर लिये गये स्टीमर	२१८२
१८८६	डाकघर भवन देवरिया	२१८२—८३
१८८७	रेलवे स्कूलों में अध्यापक	२१८३
१८८८	हुबली-शोलापुर लाइन पर सीतीमनी पुल	२१८३
१८८९	मैसूर राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण जल सम्भरण योजनायें	२१८३—८४
१८९०	मैसूर में टेलीफोन एक्सचेंज का सार्वजनिक टेलीफोन आफिस	२१८४
१८९१	मैसूर और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय जल सम्भरण और सफाई कार्यक्रम	२१८४—८५
१८९२	मैसूर राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण	२१८५
१८९३	पश्चिम-बंगाल-बिहार औद्योगिक बस्ती में बिजली का सम्भरण	२१८५
१८९४	डाक तथा तार के लिये विश्व बैंक का ऋण	२१८५
१८९५	मुरैना में डिलक्स एक्सप्रैस का पटरी से उतर जाना	२१८६
१८९६	तिनेवेल्ली एक्सप्रेस की लेवल क्रासिंग पर दुर्घटना	२१८६—८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१८७

(१) भेषज अधिनियम, १९४० की धारा ३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २१ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८४ में प्रकाशित भेषज (पहला संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति।

(२) शस्त्र अधिनियम, १९५९ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८७ में प्रकाशित शस्त्र नियम, १९६२ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--(जारी)

(३) अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग की रिपोर्ट के बारे में नई दिल्ली में २६ और २७ जुलाई, १९६२ को हुए पिछड़े वर्गों के प्रभारी राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों के रिकार्ड की एक प्रति ।

नियम का निलम्बन २१८७--९०

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने प्रस्ताव किया कि संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ और नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२ पर विचार करने और उन्हें पारित करने सम्बन्धी प्रस्तावों के विषय में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६६ के परन्तुक को लागू होने से निलम्बित कर दिया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित तथा विचाराधीन . . . . . २१९१—२२१७

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) ने प्रस्ताव किया कि संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक १९६२, तथा नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाये। दोनों विधेयकों को एक प्रवर समिति को सौंपे जाने के बारे में दो संशोधन अस्वीकृत हुए । नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२ पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार करने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में ३३५: विपक्ष में ९। विचार करने का प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ। संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ। श्री हरि विष्णु कामत द्वारा खंड २ पर प्रस्तुत दो संशोधन अस्वीकृत हुए और पक्ष में २९ : विपक्ष में २९४ : तथा पक्ष में ४२ : विपक्ष में २८१ क्रमशः मत आये। खंड २ को पारित करने के प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ : पक्ष में ३१० : और विपक्ष में ९ । खंड २ सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ। खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम साधारण मतदान द्वारा स्वीकृत किये गये। विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ३१३ : विपक्ष में ५ । विधेयक सभा की कुशल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ ।

बुधवार, २९ अगस्त, १९६२ / ७ भाद्र, १८८४(शक) के लिये कार्यावलि

नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२ पर अग्रेतर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना । भमि अर्जन (संशोधन) विधेयक पर विचार और पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III—1788 (Ai) LSD—27-12-62—140.